पंचम माला, खंड 27, अंक 50, शुक्रवार, 4 मई, 1973/14 वैशाख, 1895 (शक)

Fifth Series, Vol. XXVII, No. 50, Friday, May 4, 1973/ Vaisakha 14, 1895 (Saka)

लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 27 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XXVII contains Nos. 41 to 50]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 4 मई, 1973/14 वैशाख, 1895 (शक)

Friday, May 4, 1973/Vaisakha 14 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

इण्डियन एयरलाइंस के लिए रूस से विमान खरीदने का प्रस्ताव

\+

***961. श्री भान सिंह भौरा**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इण्डियन एयरलाइंस के लिये रूस से विमान खरीदने का है ;

(ख) क्या रूस के प्रतिनिधिमंडल के साथ जिसने हाल में भारत का दौरा किया था इस विषय पर कोई बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) से (ग) सोवियत दलों ने हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया था तथा उन्होंने इण्डियन एयरलाइंस के साथ अपने टी० यू०-154 और याक-40 विमानों के परिचालन तथा तकनीकी पहलुओं पर बातचीत की थी । इण्डियन एयरलाइंस के अपने विमान-बेड़े की आयोजना संबंधी अध्ययन अभी चल रहे हैं तथा उनके प्रस्तावों के अगले महीने मिलने की संभावना है ।

श्री भान सिंह भौरा : क्या मंत्री महोदय ने रूसी विमान के अधिक उपयुक्त होने पर विचार किया है क्योंकि इसके लिये कंक्रीट या तारकोल की धावन पट्टी की आवश्यकता नहीं होती जबकि बोइंग विमान के लिये वह आवश्यक है ?

डा० कर्ण सिंह : मैं कह चुका हूं कि हम अनेक विमानों के बारे में विचार कर रहे हैं और रूसी विमान उनमें से एक है ।

श्री भान सिंह भौरा : क्या मंत्री जी पश्चिम की अपेक्षा, जहां मुद्रा संकट आया हुआ है और मुद्रा सम्बन्धी अनिश्चितता है, रूस से रुपयों में भुगतान के आधार पर विमान लेने के लाभ पर विचार करेंगे ?

डा० कर्ण सिंह : किसी भी प्रकार का विमान खरीदने के बारे में अन्तिम निर्णय करते समय भुगतान का रूप भी एक पहलु होगा जिसे ध्यान में रखा जायेगा।

Shri Sukhdev Prasad Verma : May I know the names of the countries whose aircraft are being considered by Indian Airlines for purchase alongwith the Soviet aircraft ? Is the seating capacity is also being taken into account in view of the increasing inconvenience being caused to the tourists and long waiting lists of passengers ?

Dr. Karan Singh : A comparative study of aircraft of 3-4 countries is being made. These include aircraft from U.S.A., France, Soviet Union, Netherlands and one from Britain. Due attention is also being paid to the increasing tourists air traffic.

श्री भागवत झा आजाद : क्या पांचवी योजना में इंडियन एयरलाइन्स के विकास की भी कोई योजना है ? मंत्री महोदय द्वारा फ्रांसिसी, डच, ब्रिटिश अमरीकी और रूसी विमानों के नाम लिये जाने के बावजूद, जिन्हें हाल में चलाकर दिखाया गया है, इण्डियन एयरलाइन्स के अमरीका के बोइंग विमान के पक्ष में होने के क्या कारण हैं ? रूसी विमान द्वारा प्रदर्शित लाभ के बावजूद इसके क्या कारण हैं ?

डा० कर्ण सिंह : जहां तक मेरी जानकारी है, पक्ष लेने का कोई प्रश्न नहीं है। हमारे दस्ते में 7 बोइंग विमान पहले ही हैं। उन पर विचार किया जा रहा है। रूसी प्रस्ताव पर भी सावधानी पूर्वक विचार किया जा रहा है। जैसा कि मैं बता चुका हूं दो रूसी दल हाल में यहां आये थे और इण्डियन एयरलाइन्स का एक दल आगामी सप्ताह मास्को जा रहा है और उनके विमान पर यथोचित विचार कर रहे हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : भारत को अपने विमान देने का प्रस्ताव रखने वाले विभिन्न देशों ने भुगतान के स्वरूप के बारे में क्या सुझाव दिये हैं ?

डा० कर्ण सिंह : भुगतान का स्वरूप विमान की किस्म और खरीदे जाने वाले विमानों की संख्या पर निर्भर करेगा और क्या हमें विदेश से ऋण मिल सकेगा। भुगतान के स्वरूप के बारे में सामान्य रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री पी० एम० सईद : क्या सभी निर्माताओं के प्रस्तावों पर विचार कर लिया गया है, यदि हां, तो क्या फ्रांस के बड़े आकार के जैट विमानों के बारे में, जो मुझे बताया गया है कि उपलब्ध विमानों में सर्वोत्तम हैं और लगभग 400 विमानों के आर्डर बुक हो भी चुके हैं, इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विचार किया जायेगा ?

डा० कर्ण सिंह : तथाकथित बड़े आकार के तीन जैट विमान हैं, दो अमरीकी हैं और एक यूरोपियन एयरबास है। इन विमानों की लाभ-हानि पर भी विचार किया जा रहा है।

श्री शंकरराव सावन्त : क्या यह सच है कि रूसी विमान का खपत व्यय बोइंग विमान की तुलना में अधिक है ?

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत अधिक ब्यौरा पूछ रहे हैं।

श्री राम सहाय पाण्डेय : विमानों के चयन में सरकार क्या नीति अपना रही है ? क्या वे कुछ विमानों की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति पर ध्यान देते हैं ? क्या वे विमानों के साधारण व्यय, प्रारम्भिक और परिचाल व्यय, उपलब्ध स्थान आदि पर विचार करने के बाद कोई विशेष किस्म का विमान चुनते हैं ?

डा० कर्ण सिंह : अनेक बातों को ध्यान में रखना होता है। प्रारम्भिक लागत और भुगतान के स्वरूप पर विचार किया जाता है। साधारण समस्याओं, विश्वसनीयता आदि पर भी ध्यान देना पड़ता है। प्रत्येक विमान के परिचालन की कुछ मूल तकनीकी विशेषताएं होती हैं—विमान का चढ़ना, उतरना, अपेक्षित स्थान आदि। हमें यात्री सुविधाओं और माल सुविधाओं और कुल उपलब्ध स्थान पर भी विचार करना होता है, जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास एक किस्म के विमान तो हैं नहीं; हमारे पास अनेक किस्मों के विमान हैं; इन सभी पहलुओं पर विचार करना होता है।

श्री राम सहाय पांडे : क्या वे पक्षियों के टकराने से सुरक्षित होंगे ?

श्री श्याम नन्दन मिश्र : आप किस किस्म की जाँच करते हैं ? क्या विशेषज्ञ दल में इंडियन एयरलाइंस के और उनके मंत्रालय के भी विशेषज्ञ होंगे ?

डा० कर्ण सिंह : इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अध्ययन किया जा रहा है और प्रत्येक पहलु पर विचार करते हैं। अपना अध्ययन पूरा करने पर वे अपने निश्चित प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे। तब सरकार अन्तिम निर्णय घोषित करने से पूर्व उस पर सावधानीपूर्वक विचार करेगी।

Agreement between India and U.K. for Reduction of fares by Air India and B. O. A. C.

+

*962. **Shri †Bibhuti Mishra**
Shri M. M. Joseph : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether an agreement has been reached between India and U.K. according to which Air India and B.O.A.C. are going to reduce their fares from next month ;

(b) if so, the broad outlines of the agreement ; and

(c) the likely benefit to be acheived by India therefrom ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c) ; Discussions are being held between Air-India and B.O.A.C. with a view to formulating some cheap excursions fares between India and the United Kingdom in the interests of tourism promotion, increasing their revenues and checking malpractices. The fares proposed by the airlines will be subject to the approval of the two Governments.

Shri Bibhuti Mishra : May I know the points already discussed and the points yet to be taken up for checking malpractices ? What are fare at present in economy class and in allied class and the percentage of reduction proposed to be made ? What is the Cargo freight and the reduction now proposed ?

Dr. Karan Singh : Mr. Speaker, fares are proposed to be reduced with a view to check malpractices. This would help in checking the corrupt practices indulged into by the companies.

At present there are various types of fares amongst various countries. During our discussion we are trying to bring down the group-one-way fare from India to U.K., Bombay-Delhi-London, to £80. There are other fares also....

Shri Bibhuti Mishra : Please state in terms of rupees.

Dr. Karan Singh : Most of these fares are in pounds, these can be converted into rupees. As regards Cargo the rates are fixed.

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, we are faced with great difficulty that in our country we do not talk in terms of rupees but in pounds. Our Hon. Minister is a protagonist of Hindi, a scholar of *Upanishadas*. So, will he please tell us the fare now being charged in terms of rupees and the reduction contemplated ? Passengers will be going from here and passengers from those countries would be coming here, how it will be correlated ? Will an Indian passenger coming from abroad make payment in pounds or rupees ? It should not happen that the Hon. Ministers read out from the brief prepared by the secretaries.

Dr. Karan Singh : Mr. Speaker, the Hon. Member referred to *Upanishadas* which reminds of *Kathopanishad* where it is said that greed of man for money can never be satisfied, whatever may be the increase or decrease.

It is quite clear that people coming from abroad with pay in pounds but those going from here will pay in ruppees, there is no complexity in it. I have got here a list of various types of fares, group fares, excursion fares. If the Hon. Member wants to know about any particular type of fare, I will be glad to give him the information.

Shri Bibhuti Mishra : He should have stated in rupees and not in pounds.

Mr. Speaker : The exchange rate of pound varies from day to day.

Shri A. B. Vajpayee : Has the attention of the Hon. Minister been drawn to the facts that some airlines operating from East African countries bring here passenger promising concessional fares but do not arrange their return journey with the result that Air India, which charges regular fare, has to suffer. Has Government given a thought to this type of malpractice with a view to check it ?

Dr. Karan Singh : Mr. Speaker, I said earlier this type of malpractice amounts to corruption, which is a very unfortunate situation. We keep in touch with the Enforcement Directorate of I.A.T.A. which is an international body. I had discussions with their representatives who had come here. The only way to fight this malpractice is reduction in our fares.

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस समय जो विचार विमर्श हो रहा है, क्या वह नियमित उड़ानों में किराया कम करने के बारे में है या चार्टर्ड उड़ानों के बारे में है ?

डा० कर्ण सिंह : ये विचार विमर्श नियमित उड़ानों के किरायों में कटौती के बारे में है। ये प्रोत्साहन किराये, ग्रुप मात्रा आदि किराये हैं।

Air Crash of a Private Aeroplane at Patna on 9th April, 1973

+

*963. **Shri Shankar Dayal Singh** / **Shri Shiv Kumar Shastri :** } : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that a private aeroplane crashed at Patna on the 9th April, 1973 resulting in the death of four persons ;

(b) if so, the facts in regard to the accident and the action taken by Government in the matter ; and

(c) the manner in which control is exercised over private aeroplanes by his Ministry ?

Minister of Tourism And Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) & (b) Beechcraft Bonanza VT-CXO belonging to Rohtas Industries Ltd., while on a private flight from Harwa to Patna crashed outside the south fencing of Patna air-field on 9th April 1973 resulting in the death of the pilot and the three passengers on board. An inquiry into the circumstances of the accident is being made by a committee headed by a retired Director General of Civil Aviation.

(c) All civil registered aircraft, including those privately owned, are required to comply with the provisions of the Aircraft Rules and the instructions issued by the Director General of civil Aviation from time to time for ensuring proper maintenance of aircraft and safety of operations.

Mr. Shankar Dayal Singh : Mr Speaker, Sir, may I know the control exercised by the civil aviation authorities over private planes? Did the Rohtas Industries possess a fitness certificate in respect of the ill-fated plane, was it examined in time, were the seats insured or not who will pay the compensation to those killed in the crash, the insurance company or the company which owned the aeroplane or Government ?

Dr. Karan Singh: Mr. Speaker, the private aeroplanes are registered by the Department of Civil Aviation in our country but a certificate of worthiness is not compulsory—it is quite strange but we are examining it afresh. After this accident we found that in 1970 a circular was issued advising the proprietors of private airlines is obtain a certificate of worthiness but it was not made compulsory as this practice has been in vogue for 20-25 years. I have ordered a thorough probe and we feel that certificates of airworthiness may be made compulsory. It was private plane and no fare was charged and there was no commercial activity involved. As far as I know no compensation is to be paid. However, if personal insurances were there, then it will be a different matter.

Shri Shankar Dayal Singh : Mr . Speaker, we have sympathy with the deceased but according to my information two Government officer were also on board the ill-fated plane, are belonging to the Government of India and the other Bihar Government. Did they obtain any permission from Government and can a government officer board a private plane while on duty ? What action is being taken by Government in this behalf ?

Dr. Karan Singh: As far as my information goes the two officers, Deputy Locust Entomologist of Government of India and Plant protection officer of Government of Bihar, may be on excursion flight and not on duty. The case of Government officers will be dealt according to the ruels and I have no definite knowledge about it at the moment but the private passengers will not be paid any compensation.

Shri Shankar Dayal Singh : Mr. Speaker, may I have a clarification with your permission ? They were Government officers and the aeroplane belonged to Rohtas Industries. Birlas and Tatas have got private planes and these are instruments of corruption. Can a Government officer travel in such a plane for instruction of the factory ?

Dr. Karan Singh : At the moment I do not have with me the rules in the matter in respect of Government servants but I do not think that there is a ban on their air Jourban in a private capacity. I do not know whether they can go on official duty or not.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, may I know the number of private planes in the country and amount charged from them for use of airstrips by them.

Mr Speaker : It is not related with the main question, you can ask a separate question regarding the number of private planes. This question is about accident.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : उड़ान भरने योग्य विमान होने के प्रमाणपत्र के बिना किसी विमान को उड़ने देना न केवल विमान में सरकार व्यक्तियों और विमान के लिये अपितु उस क्षेत्र में अन्य वाणिज्यिक विमानों के लिये भी खतरनाक है। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार

का कोई प्रस्ताव है कि नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने तक एक कार्यकारी आदेश द्वारा उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र के बिना किसी विमान को उड़ने न दिया जाये?

डा० कर्ण सिंह : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। प्रत्येक अवसर पर उड़ान भरने से पहले विमान यातायात नियंत्रण से अनुमति लेनी होती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई भी विमान जहां चाहें उड़ सकता है। केवल असंगति यह है कि निजी विमान उड़यन योग्यता प्रमाणपत्र के बिना उड़ रहे हैं। हम इस पर विचार कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि स्थिति को शीघ्र ही सुधार दिया जायेगा।

अखिल भारतीय श्रमजीवी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

+

*965. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट**
श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1949 और वर्ष 1960 में सूचकांक 100 को पृथक-पृथक आधार मानते हुए गत तीन वर्ष के अखिल भारतीय श्रमजीवी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मासिक तथा वार्षिक औसत आंकड़े क्या-क्या हैं?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वर्ष/महीना	आधार 1960=100		आधार 1949=100	
	वास्तविक आंकड़े	मासान्त की 12 महीने की औसत	वास्तविक आंकड़े	मासान्त की 12 महोने की औसत
1	2	3	4	5
1970				
जनवरी	177	176	215	213
फरवरी	177	176	215	214
मार्च	179	177	218	215
अप्रैल	181	178	220	216
मई	183	179	222	217
जून	185	179	225	218
जुलाई	186	180	226	219
अगस्त	187	180	227	219
सितम्बर	188	181	228	220
अक्तूबर	189	182	230	221

1	2	3	4	5
नवम्बर .	189	193	230	223
दिसम्बर . .	186	184	226	224
1971				
जनवरी	184	184	224	224
फरवरी	184	185	224	225
मार्च	184	186	224	226
अप्रैल . .	184	186	224	226
मई .	184	186	224	226
जून	187	186	227	226
जुलाई	190	186	231	227
अगस्त	194	187	236	227
सितम्बर	196	188	238	228
अक्तूबर	196	188	238	229
नवम्बर	197	189	239	230
दिसम्बर	195	190	237	230
1972				
जनवरी	194	190	236	232
फरवरी	193	191	235	232
मार्च	194	192	236	233
अप्रैल .	195	193	237	234
मई .	196	194	238	236
जून	201	195	244	237
जुलाई	205	196	249	239
अगस्त	207	197	252	240
सितम्बर	208	198	253	241
अक्तूबर	209	200	254	242
नवम्बर	210	201	255	244
दिसम्बर	210	202	255	245
1973				
जनवरी	210	203	255	247
फरवरी	213	205	259	249

12 महीनों के औसत आंकड़े निकटतम पूर्णांक तक सही हैं।

Shri Narendra Singh Bisht: Will the Government be pleased to state why there has been constant price rise every year ?

Mr. Speaker : Your question is very simple and innocent.

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : उत्तर भी उतना ही सीधा होना चाहिए।

श्री के० आर० गणेश : यह बहुत विस्तृत और बुनियादी प्रश्न है जो माननीय सदस्य ने उठाया है। हम ने कल ही वित्त विधेयक पर चर्चा की थी। उससे पहले बजट पर चर्चा हो चुकी है। इस प्रश्न पर विचार किया गया है तथा वित्त मंत्री ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि मूल्यों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं तथा सरकार मूल्यों में कमी करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री प्रबोध चन्द्र : प्रश्न पूछने से पहले मैं यह बात मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमें जो जानकारी दी गई है वह तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। जबकि तथ्यों से पता चलता है कि मूल्य सूचकांक 100 से बढ़कर 200 हो गया है, मैं यह बताना चाहता हूं कि जबकि चीनी का मूल्य 1960 में 1.30 रुपए था वह बढ़ कर 4.50 रुपए हो गया है। इसी प्रकार यदि अन्य सभी वस्तुओं के मूल्यों पर विचार किया जाए तो हमें पता चलेगा कि सभी वस्तुओं का मूल्य कम से कम 400 गुणा हो गया है सूचकांक 100 से बढ़कर 400 हो गया है। जबकि हमें जो ब्यौरा दिया गया है उसमें सूचकांक अधिक से अधिक 205 ही दिखाया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम सभा को जो जानकारी दी जाए वह मैसेंजर या डाकिये की जैसी नहीं होनी चाहिए अर्थात् जो कुछ सचिव लिखता है वह सभा को भेज दिया जाता है। मैं यह बात साबित करने को तैयार हूं कि औसत व्यक्ति द्वारा प्रति दिन उपयोग की जाने वाली कम से कम 20 वस्तुओं का मूल्य 400 प्रति शत बढ़ गया है या 1960 में जो स्तर था उससे चार गुणा हो गया है। परन्तु हमें बताया गया है कि 1960 में 100 से बढ़कर यह 205 हो गया है। अतः वित्त मंत्री से प्रश्न पूछने से पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने विवरण यहां ही देखा है या यहां आने से पहले उन्होंने पता लगा लिया था कि सभा को दी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित है अथवा नहीं है ?

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिए हैं मैं उनके बारे में झगड़ा तो नहीं करुंगा परन्तु प्रश्न अखिल-भारतीय श्रमजीवी वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में है। अखिल-भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मासिक मूल्य सूचकांक एवं अखिल भारतीय औसत आंकड़े शिमला में श्रम-ब्यूरो द्वारा तैयार किए जाते हैं। आंकड़े तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। समूचे देश में 50 केन्द्र हैं जिनमें औद्योगिक केन्द्र, निर्माण केन्द्र, खनन केन्द्र, बागान केन्द्र भी शामिल हैं तथा ऐसी प्रक्रिया के आधार पर जिस पर विभिन्न समितियां विचार कर चुकी हैं यह अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक, औसत मूल्य सूचकांक तैयार किया जाता है। इसलिए माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसमें तथा उस प्रश्न में, जिस पर जानकारी मांगी गई है, बहुत कम अन्तर है।

श्री एस० एम० बनर्जी : कुछ समय पहले लकरवाला समिति नाम की एक समिति बनाई गई थी जिसने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें यह कहा गया था कि विभिन्न सरकारी अभिकरणों द्वारा, जिनमें शिमला स्थिति अभिकरण भी शामिल है, जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें मूल्य वृद्धि का पता नहीं चलता है। आंकड़ों से विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है कोई पता नहीं चलता है। क्योंकि इन आंकड़ों से फुटकर बाजार में वास्तविक मूल्य वृद्धि का पता नहीं चलता है, ताकि थोक मूल्य का, इसलिए क्या सरकार एक और समिति नियुक्त करेगी, जिसमें संसद् सदस्य भी

शामिल हों, जो यह पता लगाए कि जनवरी, 1970 से जनवरी, 1973 के बीच मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ? मेरा अनुमान है कि कुछ वस्तुओं के मूल्यों में 200–300 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

श्री के० आर० गणेश : यह सच है कि कर्मचारी इन आंकड़ों का विरोध करते रहे हैं तथा समय समय पर सरकार, राष्ट्रीय श्रम आयोग, अर्थशास्त्र सचिव तथा तकनीकी समिति, जो इन आंकड़ों की सत्यता का निरीक्षण करने के लिए स्थापित की गई थी, ने इस पर विचार किया है और इन सब के बाद तीसरे वेतन आयोग ने विचार किया है तथा उन सब ने एक विशिष्ट आधार स्वीकार किया है। जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है उसपर सरकार निरन्तर विचार कर रही है। एक और सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसमें पचास की बजाए साठ केन्द्र लिए जांएगे। एक या दो केन्द्रों का नमूना सर्वेक्षण हो चुका है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं पूछ रहा हूं कि क्या ऐसी समिति बनाई जाएगी जिसमें सभा के सदस्य हों। श्री प्रबोध चन्द्र ने, जो इस सभा के एक बहुत पुराने सदस्य हैं, इन अकड़ों का विरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रबोध चन्द्र अपना प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता था कि क्या उन्होंने विवरण भेजने से पहले इसे पढ़ा था। मैंने सात वस्तुओं अर्थात् गेहूं, चीनी, डालडा, तेल, कोका-कोला, चाय आदि का विवरण तैयार किया है। कुछ वस्तुओं के मूल्य तो 300 से 400 प्रतिशत बढ़ गए हैं। मैं जानना चाहता था कि क्या वह इसका विस्तार से विचार करने के लिए एक समिति बनाने को तैयार हैं क्योंकि जो जानकारी सभा को दी गई है वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह विवरण गलत है।

अध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न का पहले उत्तर दे चुके हैं।

श्री के० आर० गणेश : मासिक आंकड़े एवं समूचे भारत के औसत आंकड़े सरकारी सचिवालयों में सचिवों द्वारा सप्लाई नहीं किए जाते हैं। वे श्रम ब्यूरो द्वारा तैयार किए जाते हैं जिसका उत्तरदायित्व ये आंकड़े तैयार करना है। आंकड़े तैयार करने की लम्बी प्रक्रिया है। जांचकर्त्ताओं को नियुक्त करना होता है, निरीक्षकों को नियुक्त करना होता है। इसके लिए एक विशिष्ट सूत्र नियत किया गया है। माननीय सदस्य सूत्र बदलने की मांग कर सकते हैं। परन्तु ये आंकड़े ब्यूरो द्वारा तैयार किए जाते हैं जिसका काम ये आंकड़े तैयार करना है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : माननीय मंत्री श्री गणेश ने अभी सूत्र का उल्लेख किया है। इस सूत्र के खिलाफ माननीय सदस्य प्रबोध चन्द्र ने केवल इस बार नहीं पहले भी प्रश्न पूछा है। इस बात को न देखते हुए कि कर्मचारी सरकारी अथवा गैर-सरकारी उपक्रमों के हैं उन्होंने इस सूत्र का विरोध किया। वे इस सूत्र को चुनौती दे रहे हैं। मुझे मालूम है कि 1967 में पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने एक समिति बनाई थी तथा वह समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि आंकड़े गिनने का तरीका गलत है।

अध्यक्ष महोदय : आप अब प्रश्न पूछें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। यद्यपि राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल में वह समिति श्रीमती गांधी की अनुमति से बनाई थी परन्तु उन्होंने गणना करने के तरीके में

परिवर्तन की मांग की है। उन्होंने इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति पुनः नियुक्त करने के लिए केन्द्र से अनुमति मांगी है जिससे कि गलत तरीका ठीक किया जा सके और कर्मचारियों को लाभ पहुंच सके।

श्री के० आर० गणेश : मैं इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से दे चुका हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जी, नहीं। आप टाल मटोल कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति पुनः नियुक्त करने के हेतु राज्य सरकार ने केन्द्र से कुछ बातचीत की है।

श्री के० आर० गणेश : मुझे अफसोस है कि यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री वसन्त साठे : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शिमला में हिमालय की ऊंचाई से ब्यूरो तक निरन्तर निगरानी और निरीक्षण किया जाता है परन्तु फिर भी श्रमजीवी सूचकांक में मूल्यों में वास्तविक वृद्धि नहीं दिखाई जाती है इससे पता चलता है कि कहीं कुछ गलत चीज है? यह औसत निकलने के गलत तरीके का परिणाम है। मान लो कोई व्यक्ति नदी पर स्नान करने जा रहा है। आप एक किनारे पर नदी की औसत गहराई एक फुट ले लो, मध्य की 15 फुट और दूसरे किनारे की 2 फुट। यदि आप तीनों स्थानों की औसत लेंगे तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वह व्यक्ति नदी में डूब रहा है। श्रमजीवी वर्ग सूचकांक में औस्त इस प्रकार तैयार की जाती है।

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, 1949 को आधार माना गया था जो लगभग 25 से 30 केन्द्रों पर आधारित था। इस के बाद 1960 को आधार माना गया। यह 50 केन्द्रों पर आधारित था। राष्ट्रीय श्रम आयोग भी इस पर विचार कर चुका है। कोई सूत्र तो तैयार करना ही है।

श्री वसन्त साठे : केन्द्रों का इससे क्या सम्बन्ध है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय को तरीका मालूम नहीं है। वह केन्द्रों की बात कर रहे हैं। केन्द्र का 1949 अथवा 1960 के आधार से क्या सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय को मत टोकिए।

श्री वसन्त साठे : यह मेरा प्रश्न था। और मुझे आपका संरक्षण चाहिए। केन्द्रों से कोई अन्तर नहीं पड़ता। अन्तर इस बात पर पड़ता है कि टोकरी में क्या है और उसको कितना महत्व दिया जाता है और उसकी गणना कैसे की जाती है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं।

श्री के० आर० गणेश : जब मैंने केन्द्रों का उल्लेख किया था तो उससे मेरा तात्पर्य यह था कि पहले मूल्य सूचकांक के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तथा उसके आधार पर सूत्र नियत किया जाता है। पहले 25 केन्द्रों को लेकर किया जाता था। बाद में 50 केन्द्रों को लेकर किया जाने लगा। अब 60 केन्द्रों को लेकर किया जाता है। राष्ट्रीय श्रम आयोग इस प्रश्न पर विचार कर चुका है। अब वेतन आयोग इस पर विचार कर चुका है। समूचा ढांचा बदलना मेरे लिए सम्भव नहीं। मैंने आरम्भ में बताया था कि कर्मचारियों ने सरकार से विरोध प्रकट किया था। सरकार इस सब बातों पर निरन्तर रूप से विचार कर रही है और यह देखने का प्रयास कर रही है कि जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वे कहां

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर बहुत समय लग गया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कृपया इस प्रश्न पर चर्चा की अनुमति दीजिए।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बार बार मत खड़े हो जाया करें।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महोदय ने सभा से न्याय नहीं किया है। सभा इस बात पर क्षुब्ध है कि सूचकांक आंकड़ों से यह बात स्पष्ट नहीं होती है कि मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह है कि जो सूत्र आप अपना रहे हैं वह संतोषजनक नहीं हैं। जो मदें ली जाती हैं तथा उन्हें जो महत्व दिया जाता है वे दोनों लागू नहीं होते। अत: परिवर्तन लाना आवश्यक है। स्थिति निरन्तर बदल रही है। अत: समय आ गया है जबकि आप को इस पर विचार करने और एक नया सूत्र तैयार करने के लिए एक नई समिति नियुक्त करनी चाहिए। जिससे सूचकांक आंकड़े प्राप्त होंगे जिनसे इस बात का स्पष्ट तौर पर पता चल जाएगा कि मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है।

श्री के० आर० गणेश : यद्यपि सरकार उन द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार करेगी परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि वेतन आयोग इस पर पहले विचार कर चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मैं और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

Seizure of Foreign Currency

*966. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether foreign currency worth Rs 56·1 lakhs and Rs. 44.5 lakhs was seized during the year 1971-72 and 1972-73 repectively ; and

(b) if so, the names of the countries concerned and the action taken in the matter ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सीमाशुल्क प्राधिकारियों तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा वर्ष 1971-72 में पकड़ी गई विदेशी मुद्रा का मूल्य 56.1 लाख रुपये और वर्ष 1972-73 की फरवरी, तक पकड़ी गई विदेशी मुद्रा का मूल्य 44.5 लाख रुपये था।

(ख) पकड़ी गई मुद्रायें विभिन्न देशों की हैं तथा मुख्यत: अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, जर्मनी, सिंगापुर, हांगकांग, फ्रांस, बेल्जियम, इटली और मलयेशिया की हैं।

विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 8 (1) तथा 8 (2) के उल्लंघन से सम्बन्धित मामलों में, जिनमें विदेशी मुद्रा का अनधिकृत आयात अथवा मुद्रा को देश से बाहर तस्कर-निर्यात करने के प्रयास अन्तर्ग्रस्त होते हैं, सीमाशुल्क अधिनियम, के अधीन मुद्रा को जब्त करने तथा सम्बन्धित व्यक्तियों पर दण्ड लगाने के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी, विभागीय न्याय-निर्णय की कार्यवाही प्रारम्भ करते हैं। इसके अतिरिक्त उचित मामलों में, न्यायालयों में इस्तगासे की कार्यवाही भी की जाती है।

जिन मामलों में विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 4(1), 4 (2) तथा 9 के उल्लंघन में विदेशी मुद्रा को अपने पास रखने और उसके अनधिकृत लेन-देन अन्तर्ग्रस्त होते हैं, उन में विदेशी मुद्रा को जब्त करने के लिए तथा सम्बन्धित व्यक्तियों पर व्यक्तिगत दण्ड लगाने के लिए, प्रवर्तन निदेशक, न्याय निर्णय की कार्यवाही प्रारम्भ करता है। जिन मामलों में प्रवर्तन निदेशक का यह मत होता है कि विभागीय न्याय-निर्णय के परिणामस्वरूप जो दण्ड लगाया जा

सकता है, वह मामलों की परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं होगा उन में पार्टी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के बजाय न्यायालय में शिकायतें दायर की जाती हैं।

Shri Lalji Bhai : Sir through you I would like to ask from the hon. Minister the steps Government propose to take to prevent the coming of foreign exchange into this country ?

श्री के० आर० गणेश : विदेशी मुद्रा से सम्बन्ध रखने वाली विभिन्न प्रवर्त्तन एजेंसियों की कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए तथा विदेशी मुद्रा की चोरी के सम्बन्ध में कौल समिति के प्रतिवेदन के आधार पर तथा विधि आयोग की सिफारिशों पर एक नया विधेयक पुनःस्थापित किया गया है जिससे प्रवर समिति ने अन्तिम रूप दे दिया है और यह सभा के समक्ष आ जाएगा।

Shri Lalji Bhai : Sir through you I would like to know the number of persons involved in connection with seizure of foreign exchange worth 56·1 lakhs during 1971-72 and 44.5 lakhs during 1972-73 under saction 8 of Foreign Exchange Regulation Act 1947. I would also like to know the number of persons involved in the case of big amount and their homes ?

श्री के० आर० गणेश : जहां तक विदेशी मुद्रा विनियम का सम्बन्ध है प्रवर्त्तन निदेशालय के आंकड़े जो मुझे प्राप्त हुए हैं वे इस प्रकार हैं। 1970 में 29 शिकायतें दर्ज की गई तथा 17 व्यक्तियों को सिद्धदोष ठहराया गया। 1971 में 13 शिकायतें दर्ज की गई तथा 13 व्यक्तियों को सिद्धदोष ठहराया गया। 1972 में 40 शिकायतें दर्ज की गई तथा 20 व्यक्तियों को सिद्धदोष ठहराया गया। नाम जानने के लिए एक पृथक प्रश्न पूछा जाना चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has just now given some figures in regard to the answer of some question as to how much foreign exchange has been seized. Is he aware of this force and if not whethere he proposes to form a committee to find out the exact position regarding illegal transfer of remittance from Indian abroad ?

श्री के० आर० गणेश : इस प्रश्न पर कौल समिति ने विचार किया है तथा यह बात सही है कि विदेशों में भारतीय निवासियों के माध्यम से गैर-कानूनी लेन-देन के फलस्वरूप काफी विदेशी मुद्रा की चोरी हुई है। इस चोरी को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है तथा इस सम्बन्ध में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा।

जहां तक होटलों का सम्बन्ध है अब तो ऐसे आदेश दे दिए गए हैं कि सभी विदेशी होटल के सब बिल विदेशी मुद्रा में दे।

Seizure of Smuggled Gold at Delhi Railway Station

+

***969. Shri Hukam Chand Kachwai**
Shri M. S. Sivasamy : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) Whether about 1500 tolas of gold was recovered at Delhi Railway Station in April, 1973 ; and

(b) the value of this gold and the number of persons against whom action has been taken in this connection as also the nature of action taken ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी, हां। अप्रैल, 1973 में, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तीन पार्सलों से विदेशी मार्का का 2050 तोला सोना बरामद किया गया था। पकड़े गये सोने का अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा में मूल्य लगभग 2 लाख रुपये है और स्थानीय बाजार मूल्य लगभग 7 लाख रुपये है। जिन चार व्यक्तियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था

उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया था। बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। आगे जांच-पड़ताल जारी है।

Shri Hukam Chand Kachwai : It appears from the answer that more than 2,CC0 tolas of gold was seized under the Gold Control Act. The spirit with which the Gold Control Act was passed has eroded and it seems that the provisions of the Act are not being effectively complied with . Even today the gold is being smuggled into our country on large scale and the Government have failed to stop it. The rates of gold are increasing day by day. Now it is selling at the rate of Rs. 400/- a tola . Is it not to give incentive to black money ? I want to know the names of the persons who had been arrested in this connection and subsequently released on bail and whether any of them was connected with a big group of Smugglers or they had a link with some international racket ?

श्री के० आर० गणेश : उन व्यक्तियों के नाम, जिन्हें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया था, मुहम्मद मसूम, हबीब, फारुख अहमद और रज़ामुल कमर हैं। अभी पूछ-ताछ चल रही है। अपराध साबित करने वाले कुछ कागज़ात बरामद हुए हैं। इस बारे में आगे जांच पड़ताल चल रही है। दूसरा प्रश्न यह था कि स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के होते हुए भी सोने की तस्करी चल रही है। स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए मूल अधिनियम है कि तस्करी से लाये गये सोने का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव न पड़े। सोने की तस्करी रोकने के लिए अन्य कारगर उपाय करने भी जरूरी हैं और वे किये जायेंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai : It is not a secret that gold is smuggled into the country on a large scale and we come across such news itmes time and again. No doubt, since efforts are made by the Government to deal with the matter as a result of which a large number of people are arrested in this connection. I want to know whether the Government propose to come forward with a fresh piece of legislation seeking more deterrent punishment for the culprits and making this non-bailable offence.

श्री के० आर० गणेश : इन अधिनियमों की क्रियान्विति से प्राप्त अनुभव के आधार पर मैं, स्वर्ण नियंत्रण, केन्द्रीय ऐक्साइज एवं सीमा-शुल्क संशोधन विधेयक पुनः स्थापित कर चुका हूं जिसमें विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर और अधिक कड़े दण्ड की व्यवस्था है।

Shri Hukam Chand Kachwai : My contention is that nobody has so for been punished on this account and whether the hon. Minister is in a position to refute this charge.

श्री एम० एस० शिवस्वामी : गत वर्ष कितना तथा कितने मूल्य का सोना पकड़ा गया था और ऐसे कितने मामले सरकार तथा न्यायालयों के विचाराधीन हैं ?

Mr. Speaker : It does not arise out of the main question. If the hon. Member wants to elicit information regarding something which does not fall within purview of this particular question, he may give a separate notice for that.

Shri M. C. Daga : I want to know the number of persons so far prosecuted and convicted under the Gold Control Act.

Mr. Speaker : The question is related to particular incident. The Minister cannot reply off hand to each and everything. If he wants information regarding other things which do not arise out of the main question, he should give separate notice for the purpose so that the hon. Minister could supply requisite information.

Reduction in Rate of Interest for Small Industries by State Bank of India.

+

***972. Shri Phool Chand Verma**
Shri Prasannbhai Mehta : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether State Bank of India has reduced the rate of interest for small industries; and

(b) if so, the extent of reduction made by the Bank ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

पहली अप्रैल, 1973 से भारतीय स्टेट बैंक ने लघु क्षेत्र के सम्बन्ध में दिये जाने वाले अग्रिमों पर लागू अपने ब्याज दर के ढांचे में निम्नलिखित परिवर्तन किये हैं :—

(1) ब्याज दरों के प्रयोजन के लिये कार्यचालन पूंजी अग्रिमों और सावधिक ऋणों के बीच भेदभाव तथा ऋण सुविधाओं के स्वरूप पर आधारित अवक्लन को भी समाप्त कर दिया गया है :—

(2) लघु क्षेत्र को दिये गये ऋणों पर ब्याज की दरों में एक विभेदी तत्व को लागू किया गया है जो कि लघु एककों के बीच छोटे एककों के हित को ध्यान में रखकर किया गया है । अब ब्याज की निम्नलिखित दरें लागू होंगी:—

ऐसे एकक जिनकी सीमा 10,000 रुपये तक है	न्यूनतम दर 7 प्रतिशत
ऐसे एकक जिनकी सीमा 10,001 रुपये से 25,000 रुपये के बीच हैं ।	न्यूनतम दर 8 प्रतिशत
ऐसे एकक जिनकी सीमा 25,001 से 100,000 रुपये के बीच है ।	न्यूनतम दर 9 प्रतिशत
ऐसे एकक जिनकी सीमा 100,000 रुपये से 10,00,000 रुपये के बीच है ।	न्यूनतम दर 10 प्रतिशत
ऐसे एकक जिनकी सीमा 10 लाख रुपये से ऊपर है ।	न्यूनतम दर $10\frac{1}{2}$ प्रतिशत

(3) उद्यमकर्त्ता योजना के अन्तर्गत दिये गये 25,000 रुपये से अधिक ऋणों पर पहले तीन वर्षों की अवधि के लिए अब $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत की कम ब्याज दर लगेगी । तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, खण्डों पर आधारित, उन रकमों पर ब्याज की सामान्य दर लागू होगी ।

(4) वर्तमान अग्रिमों की समीक्षा की जाय ताकि योग्य एककों को ब्याज की घटी हुई दरों का लाभ पहली अप्रैल, 1973 से दिया जाये ।

पहली अप्रैल, 1973 से पूर्व स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिमों पर 9 प्रतिशत से $10\frac{1}{2}$ प्रतिशत के बीच ब्याज लगता था ।

Shri Phool Chand Verma : The statement placed on the table of the House appears to be misleading in some respects. I want to know whether it is a fact that in certain cases loans are advanced by the I.D.B.I to bigger industries at lower rates of interest than those prescribed for small scale industries.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : यह बात संभवतः सच हो सकती है क्योंकि स्टेट बैंक आफ इण्डिया का कारोबार बहुत ज्यादा है। इसलिए, यह संभव है कि बड़ी लागत वाले उद्योगों को लघु उद्योगों की बनिस्पत अधिक ऋण दिया गया हो, किन्तु हमें देखना यह है कि बैंक किस दिशा में प्रयास कर रहा है। जोर इस बात पर दिया जाना है कि लघु उद्यमियों के नये वर्ग को कम ब्याज दर पर अधिक से अधिक ऋण सुविधाएं उपलब्ध की जायें और ऋण की शर्तें उसके अनुकूल हों। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ब्याज कम करने का एक नया प्रयास किया जा रहा है।

Shri Phool Chand Verma : I want to know whether the hon. Minister would be pleased to tell us and assure the House that the small industries will be charged the lower rate of interest in each case as against the big industries, on the advances to be made by the Banks in future.

Shri Yeshwantrao Chavan : That is our intention; we are making efforts also in that direction and these efforts will continue.

Shri Phool Chand Verma : It is a Strange phenomon that Banks, on the one hand, come forward with new schemes to assist the small scale sector and declare that they would charge lower rates of interest from them and on the other hand, they do not sanction them loans and discourage them.

श्री पी० वेंकटासुब्बया : वित्त मंत्री महोदय की इस भावना की सराहना करते हुए कि लघु उद्योगों को स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिक से अधिक सहायता देगा, क्या इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए कोई तंत्र निर्मित किया गया है ? क्या वह बता सकते हैं कि कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने आवेदकों को ऋण दिये गये हैं ? बड़े उद्योगों की तुलना में लघु उद्योगों को कितने प्रतिशत ऋण दिया गया है ?

श्री यशवत राव चह्वाण : स्टेट बैंक आफ इंडिया लघु उद्योगो को ऋण देने के मामले में बहुत उदारता वरत रहा है। उदाहरणार्थ, 1971 में स्टेट बैंक ने 29,458 एककों को सहायता दी और सहायक बैंकों ने 15,000 एककों को, और इस प्रकार कुल 44,700 से भी अधिक एककों को ऋण दिये गये। वर्ष 1972 में 49,557 एककों को ऋण दिये गये। 1971 में कुल 260.9 करोड़ रुपये के और 1972 में 290 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये। इन ऋणों को स्वीकृत करने तथा उनका हिसाब-किताब आदि रखने के लिए बैंक के पास खुद अपना तंत्र है।

इस बात से मैं बिलकुल सहमत हूं कि चूंकि स्टेट बैंक इस समय अपनी नीति में कुछ परिवर्तन कर रहा है, इसलिए उसे इन ऋणों की ठीक से व्यवस्था करने के लिए किसी न किसी तंत्र की आवश्यकता जरूर पड़ेगी क्योंकि ऋण देने के लिए तैयार होना ही काफी नहीं है, ऋण लेने वाले लोगों को परामर्श देने के लिए भी ऐसा करना जरूरी है। हमारे पास यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस प्रयोजन के लिए ऋण लिया जाता है उसी कार्य में उसका उपयोग हो इसके लिए बैंक के पास संगठन है।

जूट-उत्पादक देशों की मिली-जुली जूट व्यापार योजनाएं

*973. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी**
श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में यह सुझाव दिया है कि भारत बंगलादेश, थाईलैंड तथा नेपाल जैसे जूट-उत्पादक देशों द्वारा एक मिली-जुली जूट व्यापार योजना अपनाई जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय : (क) तथा (ख) : जी नहीं । तथापि मैंने यह आशा व्यक्त की है कि पटसन नीति में सहयोग के लिए भारत तथा बंगला देश के बीच इस समय जो बातचीत चल रही है वह लाभप्रद होगी । बाद में थाईलैंड तथा नेपाल के साथ इसी प्रकार के समझौते के लिए बातचीत की जा सकती है ।

पटसन के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत, बंगलादेश, थाईलैंड तथा नेपाल को निकट लाने में अन्तर्राष्ट्रीय रुचि का भी मैंने स्वागत किया है ।

Shri Atal Behari Vajpayee : The hon. Minister has just now stated that he has also welcomed the international interest in bringing together India, Bangladesh, Thailand and Nepal to safeguard the future of jute. May I know who are these international interests ?

प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय : मेरा कहने का आशय यह है कि यू०एन०डी०पी० के तत्वावधान में ढाका में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें विभिन्न विभिन्न जूट उत्पादन देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । और इस सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के फलस्वरूप कुछ निष्कर्ष निकले :

(1) जूट इन्टरनेशनल के नाम से जूट सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र भारत में स्थापित किया जायेगा और

(2) जूट सम्बन्धी दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी-केन्द्र बंगला देश में स्थापित किया जायेगा ।

यू० एन० डी० पी० द्वारा प्रायोजित इस सम्मेलन में हुए विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप इसी प्रकार के अन्य निष्कर्ष निकले हैं । अन्तर्राष्ट्रीय पहलू से मेरा यही अभिप्राय था ।

Shri Jagnnath Rao Joshi : May I know the extent of benifit accrued from the reduction effected in export duty which was done with a view to giving incentive to jute-industry-exports. ?

प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय : जूट ड्यूटी के बारे में प्रश्न बिलकुल नहीं था, किन्तु यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं इस पर कुछ बोलूं, तो मैं बोलूंगा । वह अध्ययनाधीन है और मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

निर्यात सम्बन्धी आकड़े रखने की व्यवस्था में परिवर्तन

*964. श्री डी० डी० देसाई
श्री आर० के० सिन्हा } : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्तुतः जहाज द्वारा भेजे जाने पर आधारित निर्यात सम्बन्धी आंकड़े रखने की पुरानी व्यवस्था को पुनः लागू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो नवम्बर, 1971 में तथा अब फिर इसमें परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : निर्यात आंकड़ों के संकलन में तीव्रता लाने के लिये निर्यात आंकड़ों के संकलन के तरीकों में परिवर्तन नवम्बर, 1970 में लागू किया गया था । नवम्बर, 1970 से पूर्व, आंकड़े नौवहन बीजक की अनुलिपि पर आधारित होते थे जिसके अन्तर्गत वास्तविक लदान दिया जाता है ।

समीक्षा किये जाने पर डा० बी० एस० मिन्हास की अध्यक्षता में एक समिति ने यह विचार व्यक्त किया है कि नवम्बर, 1970 से पूर्व जो प्रणाली प्रचालित थी वह कहीं अधिक ठीक थी । सरकार ने मिन्हास समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और तदनुसार नवम्बर, 1970 से पूर्व प्रचलित प्रणाली को पुनः अपनाने का विनिश्चय कर लिया है ।

पर्यटकों की सहायता के लिए "पैकेज" यात्राओं का प्रस्ताव

*967. श्री सतपाल कपूर
श्री एम० एस० संजीवी राव } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटकों को कम से कम समय में यथासम्भव अधिक से अधिक पर्यटन केन्द्रों की यात्रा करने में सहायता देने के विचार से "पैकेज" यात्राओं के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) भारत आने के लिये पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने कई 'ग्रुप इन्क्लूसिव' पथा अभिबृद्धि-परक विमान किरायों का अनुमोदन किया है । इन कम किरायों से टूर परिचालक तथा यात्रा अभिकर्त्ता उपयुक्त एकमुश्त यात्राओं (पैकेज टूर्स) का प्रबन्ध करने में समर्थ हो जाते हैं । कुछ एकमुश्त यात्राएं (पैकेज टूर्स) अन्तर्देशीय पर्यटन के लिये भी उपलब्ध हैं ।

2—349LSS|73

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्यकरण के साथ राज्य औद्योगिक विकास निगमों को सम्बद्ध करने का प्रस्ताव

*968. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल के वितरण के मामले में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्यकरण के साथ राज्य औद्योगिक विकास निगमों को सम्बद्ध करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां। राज्य लघु उद्योग विकास निगमों ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम से अनुरोध किया है कि लघु क्षेत्र में वास्तविक प्रयोक्ताओं का अलौह धातुओं के वितरण में उनको सम्बद्ध किया जाए।

(ख) इस प्रस्थापना पर विचार करने के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने एक अध्ययन दल गठित किया है और अध्ययन दल जो सिफारिशें करेगा उनके आधार पर वह निर्णय करेगा।

ब्रिटेन में श्री मूदड़ा के बैनामी स्टर्लिंग हौल्डिंग्ज

*970. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास ब्रिटेन में श्री मूदड़ा के बैनामी स्टर्लिंग होल्डिंग्ज का रिकार्ड है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई थी, तो वह क्या है; और

(घ) श्री मूदड़ा के पुत्र श्री विजय कुमार मूंदड़ा द्वारा चलायी जा रही मूंदड़ा की ब्रिटेन स्थित कम्पनियों के नाम क्या हैं ? और इनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (घ) : सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटेन में ऐसी चार कम्पनियां हैं जिनमें बेनामीदारों के मार्फत श्री हरिदास मूंधड़ा और उनके सहयोगियों के शेयर हैं। इन कम्पनियों में से मैसर्स डंकन स्ट्राट्टन एण्ड कम्पनी (यू० के०) लिमिटेड के शेयरों के सम्बन्ध में प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 13 (1) (ङ) का उल्लंघन करने के अभियोग में मैसर्स डंकन स्ट्राट्टन एण्ड कम्पनी लिमिटेड बम्बई और उसके निदेशकों अर्थात् सर्वश्री हरिदास मूंधड़ा, के० डी० डागा और जी० एस० मुखर्जी के खिलाफ चीफ प्रैसिडेंसी मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकद्दमा दायर किया था जिन्होंने अपने दोष को स्वीकार कर लिया और तदनुसार न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया। जहां तक अन्य तीन कम्पनियों का सम्बन्ध है, मामला जांच-पड़ताल के विभिन्न दौरों में विचाराधीन है।

ऐसा बताया जाता है कि श्री विजयकुमार मूंधड़ा, इन चार कम्पनियों में से एक कम्पनी अर्थात् ब्रह्मपुत्र टी कम्पनी (यू० के०) लिमिटेड का निदेशक है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा पुस्तकों का आयात

*971. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने क कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा चालू वर्ष से पुस्तकों का आयात किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम किस प्रकार की पुस्तकों का आयात करेगा;

(ग) चालू वर्ष में कितनी कीमत की पुस्तकें आयात की जायेंगी ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) : जी हां।

(ख) राज्य व्यापार निगम निम्नलिखित श्रेणयों की पुस्तकों का आयात करेगा:--

(1) कृषिविज्ञान तथा पशुपालन,
(2) प्रयुक्त तथा ललित कला,
(3) प्रयुक्त विज्ञान,
(4) व्यवसाय संगठन, औद्योगिक प्रबन्ध तथा लोक प्रशासन,
(5) शिक्षा,
(6) इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी,
(7) मानव विज्ञान,
(8) चिकित्सा विज्ञान,
(9) मिलिटरी साईंस तथा उसका इतिहास,
(10) विशुद्ध विज्ञान,
(11) संदर्भ पुस्तकें,
(12) सामाजिक विज्ञान,
(13) विश्व विद्यालयों, उच्चतर शिक्षण के संस्थानों, विद्यालयों में स्वीकृत पाठ्य पुस्तकें।

(ग) 100 लाख रु०।

आयकर विभाग, बम्बई द्वारा वरिष्ठ पत्रकारों और दूसरे लोगों को परेशान किए जाने का समाचार

***974. श्री राज राजसिंह देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अप्रैल, 1973 के "करेंट वीकली" में प्रकाशित इस आशय के एक समाचार की ओर दिलाया गया है कि आयं-कर विभाग, बम्बई वरिष्ठ पत्रकारों और दूसरे लोगों को किस प्रकार परेशान कर रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस समाचार का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) तथा (ख) : उल्लिखित रिपोर्ट देख ली गयी है।

(ग) सरकार ने इस मामले में समुचित हिदायतें जारी करने का फैसला किया है। इस मामले में विधि मंत्रालय से भी परामर्श किया जा रहा है।

मुआवजे की कम राशि स्वीकार न करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड के अंशधारियों को जीवन बीमा निगम की सलाह

***975. श्री पी० गंगादेव**
श्री वरके जार्ज } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड के एक बड़े शेयरधारी जीवन-बीमा निगम ने समूचे देश में फैले हुए अनेक शेयरधारियों को यह कहकर एक अभूतपूर्व कदम उठाया है कि

वे पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रस्तावित प्रति शेयर 38 रुपये की कम राशि स्वीकार न करें जोकि वर्ष 1969 में 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा भूतपूर्व बैंकिंग कम्पनी को दी गई क्षतिपूर्ति के बदले दी जा रही है और;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले से संबंधित तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : जीवन बीमा निगम पंजाब नेशनल बैंक का अल्पसंख्यक शेयर होल्डर है, और बैंक के प्रबन्धकों ने लाभांश सहित प्रति शेयर 38 रुपये देने का जो प्रस्ताव किया था, उसे जीवन बीमा निगम ने कम माना। इसलिए उसने इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए अन्य शेयर धारियों का समर्थन जुटाने का निश्चय किया। अब जीवन बीमा निगम की माँग के अनुसार कंपनी 40 रुपये प्रति शेयर देने को राजी हो गई है और इसमें लाभांश शामिल नहीं है।

अहमदाबाद और गुजरात के अन्य प्रमुख शहरों के बीच विमान सेवा

***976. श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अहमदाबाद और गुजरात के अन्य मुख्य शहरों तथा स्थानों के बीच, बड़ौदा के अतिरिक्त, कोई सीधी विमान सेवा नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार का क्या अविलम्बनीय कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) जी, हाँ।

(ख) इण्डियन एयरलाइंस का अहमदाबाद को राज्य में अन्य नगरों से जोड़ने का कोई तत्काल प्रस्ताव नहीं है, लेकिन मामले का निरंतर पुनरावलोकन किया जाता है।

Method of Measurement of Areas Under Opium Cultivation.

***977. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of Finance be pleased to state :**

(a) whether the fields of opium cultivators are measured with bamboo;

(b) the number of cases in Madhya Pradesh and Rajasthan in which faulty measurement of the area has been pointed out; and

(c) the procedure followed by Government to settle such cases ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Prior to December, 1968, the measurement of poppy fields was generally conducted with poles or bamboo sticks of fixed lengths. Since December, 68, however, this system has been changed and measurement of poppy fields by metric tapes introduced.

(b) & (c) Soon after cultivation of opium poppy, each field is measured by the staff of the Narcotics Department and again check measured by the supervisory officers. According to the information available with the Government, there have been no reports of any complaint by poppy growers regarding faulty measurement of area. However, variations in area, if any noticed during measurements are settled on the spot and correct measurement of the field recoroded in the relevant records.

पटसन उद्योग के लिए निर्यात शुल्क में राहत

*978. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पटसन उद्योग के लिए निर्यात शुल्क संबंधी राहत के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) निर्यात शुल्क के प्रभाव की निरन्तर समीक्षा की जाती है और जब कभी भी निर्णय लिये जाते हैं उनके परिणामों की घोषणा कर दी जाती है ।

"बंगाल टाइकून्स बिड टू ब्लैकमेल गवर्नमेन्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

*979. **श्री रानेन सेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अप्रैल, 1973 के "पेट्रियट" में "बंगाल टाइकून्स बिड ब्लैकमेल गवर्नमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) जी, हाँ ।

(ख) सरकार इस मामले में जागरूक है ।

रूई पर नये आयात शुल्क का प्रभाव

*980. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर**
श्री श्रीकिशन मोदी } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके रूई पर नये आयात शुल्क के प्रभाव के बारे में विचार किया है ताकि इस सम्बन्ध में एक संतोषजनक सूत्र बनाया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हाँ ।

(ख) 1973-74 के बजट में रूई पर प्रस्तावित आयात शुल्क को रहने दिया गया है ।

Grant of Licences for Import of Stainless Steel to Madhya Pradesh Firms

9057. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names and addresses of the parties in Madhya Pradesh who have been granted import licences for importing stainless steel during 1970-71, 1971-72 and 1972-73; and

(b) the total value of licences granted to each party ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhaya) : (a) & (b) : Firm-wise/state-wise data on import licences issued are not maintained. However, particulars of all import licences issued, including the names and addresses of the importers and the value of import licences, are published in the Weekly Bulletin of Industrial Licences import licences and Export Licences, copies of which are supplied regularly to the Parliament Library.

पर्यटन विभाग की एक सहायक निदेशिका को न्यूयार्क में नियुक्त करना

9058. श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग की एक सहायक निदेशिका की हाल ही में न्यूयार्क में नियुक्ति कर दी गई है हालाँकि वर्ष 1969 में इसी कार्यालय से स्थानांतरण के बाद वह स्वदेश नहीं लौटी थीं तथा तब से बिना छुट्टी लिये और सेवा-नियमों का उल्लंघन करते हुए वह न्यूयार्क में ही रह रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में वास्तविक तथ्य क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) तथ्य यह है कि पयटन विभाग की न्यूयार्क में तैनात एक सहायक निदेशिका का जब अप्रैल, 1970 में भारत के लिए स्थानान्तरण किया गया तो उसने लम्बी छुट्टी के लिए अर्जी दे दी । उसके छुट्टी लेने का कारण यह था कि उसका पति न्यूयार्क में एयर इण्डिया में कार्य कर रहा था । जितनी भी छुट्टी उसे मिल सकती थी, उसे पूरे वेतन, आधे वेतन तथा बिना वेतन के मार्च, 1972 के अन्त तक छुट्टी स्वीकृत की गयी थी । उसे जनवरी, 1973 से पुन: न्यूयार्क में पोस्ट किया गया जहाँ कि उसका पति अभी भी एयर इण्डिया में कार्य कर रहा है । 1 अप्रैल, 1972 से 8 जनवरी, 1973 तक की अवधि के लिए बिना वेतन की छुट्टी के आदेश जारी करने में कुछ औपचारिकताओं के कारण देरी हुई, तथा उन्हें अब जारी किया जा रहा है ।

वर्ष 1971-72 के दौरान चीनी कारखानों को उत्पादन शुल्क में छूट

9059. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन् : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में वर्ष 1971-72 के दौरान उत्पादन बढ़ाने हेतू प्रोत्साहन के रूप में प्रत्येक चीनी कारखाने को उत्पादन शुल्क में कितनी धनराशि की छूट दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड IV में तदर्थ पदोन्नत अधिकारियों को वेतन स्लिपें जारी करने की समान प्रक्रिया

9060. श्री मल्लिकार्जुन : क्या **वित्त** मंत्री 14 अप्रैल, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2867 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली ने भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड iv में तदर्थ पदोन्नत अधिकारियों को 31 दिसम्बर, 1972 तक की सीमित अवधि के लिए तथा अन्य सभी कर्मचारियों को नियमित वेतन स्लिपें जारी की थीं ;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1972 को उनके लेखापरीक्षा नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसे तदर्थ पदोन्नत अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है और सीमित अवधि के लिए कितने व्यक्तियों को वेतन स्लिपें जारी की गई हैं;

(ग) भारत सरकार के कुछ विभागों और मंत्रालयों द्वारा महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व को जारी किए गए अपनी मंजूरी में निर्धारित अवधि के लिए कितने व्यक्तियों को अस्थायी वेतन स्लिपें जारी नहीं की गई थीं और कितने व्यक्तियों को अस्थायी वेतन स्लिपों के कारण वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई; और

(घ) उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए (एक) ऐसे तदर्थ पदोन्नत अधिकारियों को चालू वेतन-मान में वेतन वृद्धि नहीं देने (दो) कम से कम तीन महीने के लिए एक बार अस्थायी वेतन स्लिपें जारी न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जी हां।

(ख) 29, तीन व्यक्तियों को सीमित अवधि के लिये ये स्लिपें जारी की गई थीं।

(ग) तीन अधिकारियों को 31 दिसम्बर 1972 के बाद की अवधि के लिये प्रथमतः दो महीने के लिये अनन्तिम वेतन स्लिप जारी की गई थीं; उनमें से दो अधिकारियों के मामले में मार्च 1973 में इन स्लिपों को दो महीनों की अतिरिक्त अवधि के लिये बढ़ा दिया गया था, जब कि तीसरे अधिकारी के मामले में फरवरी 1973 में अधिवार्षिकी की तारीख तक छुट्टी का वेतन मंजूर किया गया क्योंकि उस समय तक वह सेवानिवृत्ति पूर्व की छुट्टी पर चला गया था। अन्तिम भुगतान की अवधि में एक अधिकारी की वेतन वृद्धि देय हुई थी। इसकी मंजूरी नियमित वेतन स्लिप के साथ दी गई।

(घ) नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने हिदायतें जारी की हैं कि अनन्तिम भुगतान, सक्षम अधिकारियों की तकनीकी रूप से वैध मंजूरियों के पूर्ण अनुसरण में ही किये जांय और यदि वेतनवृद्धियां अन्यत: देय हो तो उनकी भी मंजूरी दी जाये :

Fixing the Procurement Price of Cotton

9062. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have requested the Cotton Corporation of India to fix the procurement price of cotton for the next crop; and

(b) if so, the reaction of the Corporation thereto ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

International Market for Kosa Cloth made in Madhya Pradesh

9064. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether there is great demand for Kosa cloth of Chhattisgarh area (Madhya Pradesh) all over the worlds; and

(b) if so, the efforts being made by Government to made it more popular in foreign countries ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) Yes, Sir.

(b) The efforts made by the Government to make Kosa Cloth more popular in foreign countries are given below :—

(a) Kosa Cloth is manufactured out of Tasar Silk for which a Raw Material Bank has been set up by the Central Silk Board. The Bank ensures supplies of raw material to manufacturers of Kosa fabrics for export at steady prices.

(b) A scheme for setting up a show-room in London is under consideration for exhibiting full range of samples of Indian goods.

Complaints re. Tabacco godowns in Madhya Pradesh

9065. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints from Madhya Pradesh about inadequate arrangements in respect of tobacco godowns; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Goods imported from Poland

9066. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the value (in rupees) of goods imported from Poland during the financial years 1970-71, 1971-72 and 1972-73; and

(b) the names of the main commodities imported ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya)

	Rs.
(a) 1970-71 .	. 280·3 million
1971-72 .	. 495·7 million
1972-73. .	. 182·8 million
(upto Sept. 72)	

(b) The main commodities imported from Poland are fertilizers (urea), sulphur, rolled steel products, capital goods and equipment of various types, dye intermediates, drugs and phamaceuticals, organic and inorganic chemicals etc.

Value of Goods exported to America during 1972-73

9067. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Commerce be pleased to state the estimated value of goods in terms of rupees exported to U. S. A. during 1972-73 ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : Export statistics for the complete year 1972-73 are not yet available. India's exports to U. S. A. during the period April to September 1972, were, however, of the order of Rs. 145·38 crores.

Goods imported from U. S. A.

9068. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the value (in rupees) of goods imported from U. S. A. during the financial years 1970-71, 1971-72 and 1972-73; and

(b) the names of the main commodities imported ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) :

(a)	Value in Rs. (lakhs)
1970-71	45295
1971-72	41652
1972-73 . . . . . . (April-Sept. 1972)	9919

(b) Dairy products, wheat, cereals, crude rubber, pulp, raw cotton, fertilizers, Animal oils, fats and greases, Soyabean oil, chemical items, medicinal and pharmaceutical products, paper and paper board, yarn and thread of synthetic fibres, ores and concentrates of zinc, iron and steel, non-ferrous metals, machinery items, transport equipment, scientific instruments and apparatus, photographic and cinematographic supplies and sulphur.

छोटे सिक्कों के जमाखोरों की गिरफ्तारी

9069. श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटे सिक्कों के जमाखोरों की कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी, राज्य वार संख्या क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी जल्दी हो सकेगा सभा-पटल पर रख दी जायगी।

बिहार के गया, नवादा और जहानाबाद जिलों के किसानों से बैंक आफ इंडिया को ऋण के लिए मिले आवेदन पत्र

9070. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों को वर्ष 1972-73 के दौरान बिहार के गया, नवादा और जहनाबाद जिलों के छोटे किसानों की ओर से ऋण के लिये कुल कितने आवेदन पत्र मिले; और

(ख) प्रत्येक जिले के किसानों को कुल कितनी राशि दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) सम्भव सीमा तक सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

निर्यात के लिए कपड़े की बिक्री का वर्गीकरण

9071. श्री डी० बी० चन्द्रगोडा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके अनुसार कपड़ा मिलों को अपने कुल उत्पादन का सीमित भाग ब्रिटेन तथा अन्य देशों को निर्यात करना होगा; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) उद्योग के अन्तर्गत सर्वसम्मति से इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन द्वारा एक स्वैच्छिक स्कीम विकसित की गई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक मिश्रित मिल का 1973 के दौरान अपने उत्पादन के 15 प्रतिशत का निर्यात करना है ।

Seizure of fake notes from a prisoner in Coimbatore Jail

9072. Shri Hukam Chand Kachwai
Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether some fake currency notes and blocks for printing fake notes were seized from a prisoner in Coimbatore jail during March, 1973; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) Information is being collected from the State Government of Tamil Nadu and will be laid on the Table of the House as early as possible.

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के महा-प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायत

9073. श्री रानेन सेन
श्री समर मुखर्जी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को संसद सदस्यों, मजदूर संघों और व्यक्तियों की ओर से 1972 में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के महाप्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनुचित लाभ उठाने और उनके द्वारा की गयी कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायत मिली है;

(ख) क्या जांच की गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो उनपर क्या निर्णय किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों को स्टेट बैंक आफ इण्डिया को उचित जांच पड़ताल के लिये भेज दिया गया है । भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरोपों की अभी तक की गयी जांच पड़ताल से पता चलता है कि स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर के महाप्रबन्धक के विरुद्ध लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप या तो निराधार हैं या सारयुक्त नहीं हैं । तथापि सरकार बाकी शिकायतों के सम्बन्ध में रिपोर्टों की प्रतीक्षा कर रही है ।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के अधीन विभिन्न जोनों के लिए चार निदेशकों की नियुक्ति

9074. श्री शशि भूषण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अधीन विभिन्न जोनों के लिए चार निदेश नियुक्त किये हैं और यदि हां, तो उन निदेशकों के नाम क्या हैं और निदेशक के पद पर किसी व्यक्ति को चयन की क्या कसोटी है?

(ख) एकाधिकार गृहों से सम्बद्ध कितने व्यक्तियों को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि वे अपने से संबंधित संस्थानों से पक्षपात न करें; और

(ग) क्या इन निदेशकों में वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनके विरुद्ध विदेशी मुद्रा के विनियमों का उलंघन करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य के मन में भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय बोर्डों की बात है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 9(1) के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने 23 फरवरी 1973 से, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर क्षेत्रों में तीन सदस्यों और दक्षिणी क्षेत्रों के स्थानीय क्षेत्रों में 4 सदस्यों की नियुक्ति करके उपर्युक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में विशिष्ट 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिये नये स्थानीय बोर्ड नियुक्त किये हैं। इन सदस्यों के नाम विवरण में दिये गये हैं। प्रत्येक क्षेत्र में संख्या 1 के व्यक्ति रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में सेवा करने के लिए भी नामजद किये गये हैं।

इन व्यक्तियों का चुनाव रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट 1934 की धारा 10 के साथ पठित धारा 9(1) के उपबन्धों का ध्यान रखते हुए किया गया था।

(ख) दो व्यक्ति अर्थात् डाक्टर भरत राय और श्री एम० वी० अरुणाचलम क्रमशः उन कम्पनियों से सम्बन्द्ध हैं जो एकाधिकार जांच आयोग, 1965 और औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच समिति, 1969 द्वारा 'अधिक' बड़े औद्योगिक घरानों और 'बड़े औद्योगिक घरानों' के माने गये हैं।

इस बात का सुनिश्चयन करने के लिए वे उन संस्थाओं से, जिनके कि वे सदस्य है पक्षपात न करे मौजूदा कानून में पर्याप्त सुरक्षात्मक व्यवस्था है ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड और 4 स्थानीय बोर्डों में 23 फरवरी 1973 से नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति की अधिसूचना करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया गया था कि वे सीमा शुल्क, उपत्पादन शुल्क, विदेशी मुद्रा विनियमों और आयकर की दृष्टि से मुक्त हैं।

विवरण

23-2-1973 के चार क्षेत्रों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित चार बोर्डों के सदस्यों के नाम

क्षेत्र	सदस्यों के नाम
1. पश्चिमी क्षेत्र	1. प्रोफेसर एम० एल० दांतवाला, अध्यक्ष, कृषि वित्त निगम लि०, धनराज महल, पहली मंजिल, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग, बम्बई-1 बी० आर०
	2. श्री के० सी० मेत, अध्यक्ष, गैस्ट कीन विलियम्स लि०, 'रुशीला' कारमाइकल रोड, बम्बई-26
	3. श्री चार्ल्स एम० कोरैया, आर्किटेक्ट, 249, दादाभाई नारोजी रोड, बम्बई-1

क्षेत्र	सदस्यों के नाम
2. पूर्वी क्षेत्र	1. श्री ए० एन० हस्कर, अध्यक्ष, इंडिया टोबेको कंपनी लि०, 37 चौरंगी, कलकत्ता-16
	2. डाक्टर सदाशिव मिश्र, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, रेवेनशा कालेज, कटक ।
	3. श्री जी० साहा, चार्टर्ड लेखाकार, मार्फत मेसर्स 'रे' एण्ड 'रे', चार्टर्ड लेखाकार 6 चर्च लेन, कलकत्ता ।
3. उत्तरी क्षेत्र	1. डाक्टर भरत राम, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कंपनी लि०, 25 सरदार पटेल रोड नई दिल्ली-21
	2. श्री के० एम० सप्रू, अध्यक्ष, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट, नई दिल्ली-20
	3. श्री प्रेम गांधी, निदेशक और मुख्य समन्वय प्रबंधक, मैटल बाक्स कंपनी आफ इंडिया लि०, 4 सरदार पटेल, रोड, नई दिल्ली-21
4. दक्षिणी क्षेत्र	1. श्री सी० राम० कृष्ण, एडवोकेट 2, गार्डन रोड मद्रास-10
	2. श्री एम० वी० अरुणाचलम, प्रबंध निदेशक, ट्यूब इन्वेस्ट-मेंट्स आफ इंडिया लि० 4 चोमुण्डेस्वरी वाध, 9 संत होम हाई रोड मद्रास-4
	3. श्री सी० आर० रामस्वामी प्रोपराइटर, नागपत्तनम स्ट्रीट रोलिंग मिल्स 2/3 कस्तूरी रंग आयंगर रोड, मद्रास-18
	4. श्री एम० के० रामचन्द्र, प्रबन्ध निदेशक, मैसूर वैजीटेबल आयल प्रोडक्टस लि०, . पोस्टबक्स नम्बर 1202, बंगलौर -20

महानगरों के विकास के लिए विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम

9075. श्री राम भगत पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत के महानगरों के विकास के लिए सहायता कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) बम्बई महानगरीय क्षेत्र में जलपूर्ति की व्यवस्था का विस्तार करने के प्रयोजन से 550 लाख अमरीकीडालर के एक ऋण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ बातचीत की गई है । विकास संघ उदार शर्तों पर ऋण देने वाली विश्व बैंक से सम्बंध संस्था है । विश्व बैंक समूह कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कलकत्ते के शहरी विकास कार्यक्रम के वित्त पोषण के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है ।

भट्टी तेल पर उत्पादन शुल्क से छूट की अवधि का बढ़ाया जाना

9076. **श्री प्रभुदास पाटिल** :–क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि भट्टी तेल पर उत्पादन शुल्क से छूट की अवधि को बढ़ा दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) छूट की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां,

(ख) तथा (ग) : गुजरात सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है और छूट 30-6-1973 तक उपलब्ध कर दी गयी है ।

सरकारी क्षेत्र में बड़े उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप निर्वासित हुए व्यक्ति

9077. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना के लिये स्थान बनाने हेतु बड़ी संख्या में परिवारों को हटाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार निर्वासित /प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके पुनर्वास में इतना अधिक विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) से (ग) जब कि सही संख्या बताना कठिन है यह भी सच है कि पिछड़े क्षेत्रों में बड़े औद्योगिक कम्पलैक्सों की स्थापना के परिणामस्वरूप इस प्रदेश के व्यक्ति विस्थापित भी हुए हैं । सरकार इस बात से सहमत है कि यह इन उद्योगों की प्रधान जिम्मेदारी है कि वे अपने संगठनों में यथासम्भव विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दें । इस दिशा में सरकार ने नीति अनुदेश दिये हैं कि निम्न वेतनमानों वाले पदों पर सभी नियुक्तियों में उन क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों को जो औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत किये गये हैं, तथा सामान्यतः जो इन परियोजनाओं के स्थान के आसपास के क्षेत्रों से आये थे, अधिमान्यता देने के लिए सभी प्रयत्न किये जायें । यह भी मान्य होना चाहिये कि पिछड़े क्षेत्रों में बड़े औद्योगिक कम्पलैक्सों की स्थापना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि इन क्षेत्रों का विकास किया जाये ताकि स्थानीय लोगों को अधिक अवसर प्रदान किये जा सकें ।

दस रुपये के जाली करेंसी नोटों का रहस्य

9078. **श्री पी० गंगादेव** :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 के दौरान कलकत्ता में पाये गये एच/80 सीरीज के 10 रुपये वाले जाली नोटों के रहस्य का पता केंद्रीय जांच ब्यूरो ने लगा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये जाली नोट कलकत्ता और इस के आस-पास के क्षेत्रों में काफी मात्रा में पाए गए थे; और

(ग) क्या जाली नोट इस बीच लगभग सभी राज्यों में देखने में आ रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल में मछलन्दपुर रेलवे स्टेशन पर 13, मार्च, 1973 को एक व्यापारी से दस-दस रुपये के मूल्य के 20 भारतीय जाली करेंसी नोट बरामद किये गए और उन सभी पर एक ही नम्बर अर्थात् एच 80-710161 अंकित था। बाद में उस व्यक्ति से सुराग मिलने पर जांच ब्यूरो के अधिकारी एक गांव में पहुंचे जहां जाली करेंसी नोट बनाने के काम आने वाले उपकरण पकड़े गये। इन उपकरणों में दस-दस रुपये के मूल्य के जाली नोट बनाने के 6 ब्लाक एच०/80 सीरीज का ब्लाक छपाई के काम आने वाली विभिन्न रंगों की स्याही के डिब्बे तथा अन्य सामग्री शामिल है। उस व्यक्ति को गिफ्तार कर लिया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 489—क, ख, ग और घ के अन्तर्गत फौजदारी का मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

(ख) इस सीरीज के जाली नोटों के प्रचलन की सूचना पहली बार कलकत्ता में सितम्बर, 1971 में मिली। उसके बाद 1971 के अन्तिम महीनों में इस सीरीज के 170 जाली नोट बैंक काउंटरों पर पकड़े गये। पुलिस ने मिदनापुर और गोलाबाड़ी (पश्चिम बंगाल) में 1972 में दो व्यक्तियों से इस सीरीज के 20 और जाली नोट बरामद किये।

(ग) कुछ अन्य राज्यों में भी इस सीरीज के कुछ जाली नोटों की बरामदगी की सूचना मिली है।

Delayed Flight of a Plane flying from Madras to Singapore on 30th March, 1973

9080. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased **to state :**

(a) whether a plane flying from Madras to Singapore was delayed by 90 minutes on 30th March, 1973, because a cartridge was found lying in a room of the airport; and

(b) if so, the facts of the case ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) & (b) Air India aircraft operating scheduled flight AI-408 from Madras to Singapore on 31st March, 1973 was delayed at Madras by two hours in order to complete the security check of the aircraft after a five pistol cartridge was found on the floor of the international booking hall.

"आर बी० आई० इनको डेरी" शीर्षक से प्रेस रिपोर्ट

9081. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 25 फरवरी, 1973 के 'इकोनोमिक टाइम्स' बम्बई के पृष्ठ पर 'आर० बी० आई० इनकों डेरी' शीर्षक से प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता की स्थिति बने रहने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्टर्लिंग की अगाऊ खरीद, जो 13 फरवरी 1973 से स्थगित कर दी गयी थी, 8 मार्च 1973 से फिर से शुरू कर दी गई है।

ट्राईडेंट ट्रेवल्स एण्ड आर्ट्स इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए जाली टिकट

9082. **श्रीमती सावित्री श्याम** :क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राइडेंट ट्रैवल्स एण्ड आर्ट्स इंटरनेशनल के एजेन्ट विदेश जाने वाले यात्रियों को कथित रूप से जाली टिकटों पर वीसा दिलाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन देशों ने जिन देशों में ये लोग गये हैं, ऐसे व्यक्तियों को भारत वापिस भेज दिया है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षो के दौरान विभिन्न देशों द्वारा भारत वापिस भेजे गए ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी ; और

(घ) सरकार द्वारा यात्रा एजेन्सियों की ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने तथा भोले-भाले यात्रिसों को भारी आर्थिक क्षति से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यात्रा अधिकरण का नाम 'ट्राइडैंट आर्ट इन्टरनेशनल' है तथा यह एयर इण्डिया चार्टर्स लि० की यूरोप और भारत के मध्य उड़ानों के लिये नियमित चार्टर कर्त्ताओं में से एक है। इस यात्रा अधिकरण द्वारा छलपूर्ण तरीकों से वीसा प्राप्त करने संबंधी हमें कोई ज्ञान नहीं है।

(ख) और (ग) एयर इण्डिया के रिकार्ड के अनुसार हाल ही के महीनों के दौरान कोई ऐसा अवसर नहीं आया है जबकि ट्राईडेंट आर्ट के चार्टर से यात्रा करता हुआ कोई यात्री निर्वासित (डि-पोर्ट) किया गया हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पी० एल० 480 के समझौते का स्वरूप और राशि का भुगतान

9083. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० 480 के समझौते का स्वरूप क्या है और क्या यह समझौता अभी तक चल रहा है ;

(ख) इस समझौते के अन्तर्गत भारत ने अमरीका को कितनी राशि का भुगतान किया है, और अभी कितनी राशि का भुगतान करना है ; और

(ग) खाद्यानों की बिक्री से प्राप्त धन का अब तक कैसे उपयोग किया जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) "पब्लिक ला" 480 के अन्तर्गत, संयुक्त राज्य अमरीका से अन्न और अन्य कृषि वस्तुओं के आयात के लिए अगस्त 1956 से अप्रैल 1971 के बीच अमरीका की सरकार के साथ कई करारों पर हस्ताक्षर किये गये थे। इन करारों के अन्तर्गत किये जाने वाले आयात, दिसम्बर, 1971 तक पूरे कर लिये गये थे। तथा उसके बाद से कोई और आयात नहीं किया जा रहा है।

(ख) 1956 से किये गये आयातों के सम्बन्ध में रुपयों के रूप में अदा की गई कुल रकम 2,243 करोड़ रुपये बैठती है इसके अतिरिक्त, दीर्घावधिक ऋणों के अन्तर्गत 4,181.9 लाख डालर के मूल्य के आयात किये गये हैं और ये रकमें डालरों/रूपान्तरणीय मुद्राओं में 40 वर्षों की अवधि में चुकाई जायेगी।

(ग) पी० एल० 480 के अन्तर्गत भारत को बेची जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमेरीका को प्राप्त होने वाली रुपया राशियों का उपयोग इस प्रकार किया गया है :--

(करोड़ रुपयों में)

	प्राप्त रुपया राशि	उपयोग/खर्च की गयी रकमें	उपयोग के लिए पड़ी राशियां
1. भारत सरकार का ऋण देने के लिए .	1,422.95	1,422.87	0.08
2. भारत सरकार को अनुदान देने के लिए .	388.64	383.05	53.59
3. भारत अमरीकी उद्यमों को कुल ऋण देने के लिए.	141.73	121.84	19.89
4. संयुक्त राज्य अमेरीका के उपयोग के लिए .	289.65	289.65	--
जोड़ . . .	2,242.97	2,217.41	25.56

काफी पैदा करने वाले देशों द्वारा अपने भाग से अधिक के निर्यात स्टाम्प किया जाना

9084. **श्री रामभगत पासवान :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि काफी पैदा करने वाले देशों ने उत्पादक ग्रुप द्वारा निर्धारित मात्रा के अपने भाग से अधिक के निर्यात स्टाम्प प्राप्त किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) काफी वर्ष 1972-73 की अन्तिम तीन तिमाहियों के लिये कोटे नियत करने के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय काफी परिषद् के असफल रहने के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण स्थिति अनिश्चित बन गई है और वास्तव में प्रत्येक निर्यातक देश, जैसा कि वह उपयुक्त समझे, निर्यात बाजारों का लाभ उठाने के लिये स्वतंत्र हो गया है।

इम्पेक्स के कर्मचारियों को दिया गया बोनस

9085. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'इम्पेक्स' के कर्मचारियों को वर्ष 1968 में 20 प्रतिशत बौनस दिया जा रहा था और अब उन्हें केवल 4 प्रतिशत बौनस दिया जा रहा है ;

(ख) क्या ऐसा कम लाभ होने पर मनोरंजन कर में वृद्धि तथा इम्पेक के यात्रा खर्चों में वृद्धि के कारण किया गया है और यदि नहीं, तो इसके लिये क्या कारण उत्तरदायी है; और

(ग) लाभ की मात्रा को बढ़ाने तथा निगम के प्रशासनिक खर्चों में कटौती करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा पिछड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण

9086. श्री अर्जुन सेठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं, अर्थात् आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई० और आई० सी० आई० सी० आई० द्वारा देश में चुने गए पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक क्षमताओं का पता लगाने और वहाँ उद्योगों की स्थापना हेतु आधार भूत ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए सभी राज्यों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अन्य सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय ऋण और निवेश निगम, कृषि पुनर्वित्त निगम आदि के सहयोग से, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर उन सभी राज्यों/संघीय राज्य क्षेत्रों की औद्योगिक क्षमताओं का सर्वेक्षण किया जो पिछड़े हुए माने जाते हैं। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में अपनी रिपोर्ट में जो विचार व्यक्त किए हैं उनके सम्बन्ध में इन द्वीपों के अधिकारियों से एक संयुक्त संस्थापक अध्ययन दल शीघ्र ही विचार विमर्श करेगा ?

निदेशन समिति ने, जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, कृषि पुनर्वित्त निगम के वरिष्ठ अधिकारी और औद्योगिक विकास मन्त्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी है, अपेक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्टों के सम्बन्ध में आरम्भ की जाने वाली बाद की कार्यवाही के बारे में सम्बन्ध राज्य सरकारों और असम, बिहार, त्रिपुरा, और बिहार, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश की राज्य स्तर की संस्थाओं से विचार विमर्श किया था। शीघ्र ही मणिपुर, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार का विचार विमर्श किए जाने का विचार है। विनिर्दिष्ट परियोजनाओं से सम्बन्धित उत्तरवर्ती कार्रवाई की सुविधा और उस पर पूरी नजर रखने के उद्देश्य से त्रिपुरा को छोड़कर, जिसके मामले में उत्तरवर्ती कार्रवाई असम के अन्तर-संस्थामक दल द्वारा की जाएगी, उन राज्यों में जहाँ उत्तरवर्ती कार्रवाई के बारे में विचार विमर्श किया गया है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, राज्य-स्तर की वित्तीय संस्थाओं और लीड़ बैंकों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के अन्तर, संस्थामक दल बनाए गए हैं।

परियोजना सम्बन्धी कार्य के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में अन्तर-संस्थामक दलों की सहायता करने के लिए, केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्शदात्री संगठन लि० (किटको) के ढंग पर एक परामर्शदाता केन्द्र स्थापित करने का विचार है, ताकि उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम नागालैण्ड और त्रिपुरा की आवश्यकताऐं पूरी की जा सकें। बिहार और उत्तर प्रदेश, दोनों में, संयुक्त आधार पर कार्य करने के लिए 'किटको' के ढंग का औद्योगिक और तकनीकी परामर्शदात्री संगठन का प्रस्ताव भी राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ भेजा गया है।

3—349LSS|73

अब तक जो सर्वेक्षण रिपोर्ट दी गई हैं, उनमें परियोजना सम्बन्धी कई विचारों का सुझाव दिया गया है । जिनके क्रियान्वयन में 878 करोड़ रुपया खर्च होगा ? इनमें से परियोजना सम्बन्धी 11 विचारों को क्रियान्वित किया जा चुका है या उन्हें उनके प्रवर्तकों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। परियोजना सम्बन्धी 7 विचारों को सक्षम परियोजना सम्बन्धी योजनाओं में बदला जा चुका है और उन्हें सहायतार्थ वित्तीय संस्थाओं को भेज दिया गया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश के सहयोग से लगभग एक दर्जन परियोजनाओं के लिए व्यवहारिकता सम्बन्धी अध्ययन तैयार कराए हैं और इन अध्ययनों तथा परियोजना सम्बन्धी अन्य विचारों के बारे में बाद की कार्रवाई अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर की जा रही है ।

ब्याज की प्राथमिकता-दरों पर बैंक-ऋण प्राप्त करने वाले लोग

9087. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्याज प्राथमिकता दरों के अन्तर्गत देश भर में कुल कितनी राशि के ऋण दिए गए तथा उक्त ऋण प्राप्त करने वाले किसानों तथा कृषि श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है और ब्याज की सामान्य दरों पर प्राप्त हुई राशि और ऋण प्राप्त करने वालों की सख्या के संदर्भ में उनका अनुपात कितना है ; और

(ख) देश के कितने तथा किन-किन जिलों में ब्याज की प्राथमिकता दरें लागू की गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) ब्याज की रियायती दरों की योजना अगस्त 1972 में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी । 31 दिसम्बर 1972 तक बैंकों ने 26818 ऋण कर्त्ताओं के लिए 89.9 लाख रुपए की निधि उपलब्ध की गई थी । इस योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने के आँकड़े जो निश्चित किए गए ह; इनसे विभिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में उदाहरण के तौर पर कृषि सम्बन्धी मजदूरों, कारीगरों आदि की सूचना अलग से नहीं मिलती ।

(ख) जब यह योजना अगस्त 1972 में आरम्भ की गई थी तो इसे 163 जिलों पर लागू करना था । बाद में, जैसा कि चालू वर्ष के बजट पेश करने के समय बताया गया कि जिलों की संख्या, जहाँ पर योजना लागू करनी है, बढ़ा कर 265 कर दी गई थी । इन जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 4958/73] ।

रूई की खरीद में हुई हानि के कारण भारतीय रूई निगम में संकट

9088. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी रुई की खरीद में प्रत्याशित भारी हानि के कारण भारतीय रूई निगम संकट की स्थिति में है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसे हल करने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र और गोवा से लोह-अयस्क का निर्यात

9089. **श्री शंकर राव सामन्त**
श्री एस० एल० पेजे } : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और गोआ से लौह-अयस्क की पर्याप्त मात्रा निर्यात की जाती है ; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रति वर्ष कितना निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) तथा (ख) : विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र तथा गोआ से वार्षिक निर्यात औसतन क्रमशः 6.6 लाख मै० टन तथा 106.37 लाख मै० टन थे ।

भारत पाकिस्तान सीमाओं पर तस्करी

9090. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को पता है कि पिछले कुछ समय से भारत पाकिस्तान सीमाओं पर बड़ी मात्रा में तस्करी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) हालांकि भारत-पाकिस्तान सीमा से सेना के हटा लिए जाने के बाद व्यापारिक वस्तुओं के तस्कर-व्यापार में कुछ वृद्धि हुई है तथापि ऐसी कोई बात नहीं है जिससे पता चले कि उस सीमा पर तस्कर व्यापार बड़े पैमाने पर चल रहा है ।

(ख) सीमाशुल्क कर्मचारियों को सतर्क कर दिया है और सम्पर्क बनाए रखने तथा तस्कर-व्यापार विरोधी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के लिए सीमाशुल्क, सीमा सुरक्षा दल के अधिकारियों तथा राज्य पुलिस अधिकारियों के बीच उचित स्तर पर समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं । कभी-कभी संयुक्त रूप से जांच पड़ताल की जाती है । रेलवे स्टेशनों, बस के अड्डों और डाक-घरों पर आकस्मिक निरीक्षण भी किए जाते हैं ।

भारत और अमरीका के बीच व्यापार में वृद्धि

9091. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के राजदूत ने यह संकेत दिया है कि चालू वर्ष के दौरान अमरीका के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि होगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या अनुमान लगाया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) एक प्रैस समाचार के अनुसार, 9 अप्रैल, 1973 को इंडोअमरीकन चैम्बर आफ कामर्स बम्बई द्वारा भारत में अमरीकी राजदूत के सम्मान में आयोजित स्वागत-समारोह में उन्होंने कहा था कि वर्ष 1973 के दौरान अमरीका को भारत से निर्यात बढ़ने की संभावना है ।

(क) वर्ष 1970-71 के पश्चात् अमरीका को भारत से निर्यात बढ़ते रहे हैं और यह संभावना है कि निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप अमरीका को हमारे निर्यात बढ़ने की यह प्रवृत्ति बनी रहेंगी।

Scheme to extend Air Service to Backward Areas

9092. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether only people residing at big commercial centres in the country and at Head-quarters of various States, are getting benefit of civil aviation;

(b) whether Government have any scheme to extend air services to backward areas so that the people of those areas also could avail of this facility; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Tourism & Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) : No, Sir. Indian Airlines operates to no less than 71 points in the country including far-flung and remote areas.

(b) & (c) : Consistent with the various constraints and limitations to which it is prone, Indian Airlines endeavours to open new stations from time to time and it has plans to expand its network in the 5th Five Year Plan to cover a number of smaller towns.

तकनीकी पुस्तकों का आयात

9093. श्री विभूति मिश्र : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार तकनीकी पुस्तकों का आयात कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों की पुस्तकों का आयात किया जाता है ; और

(ग) क्या ये पुस्तकें भारत में उपलब्ध नहीं हैं और भारतीय लेखकों द्वारा नहीं लिखी जाती ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 1973-74 के दौरान पुस्तकों के आयात हेतु सुस्थापित आयातकों के कोटे का एक भाग विश्व विद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों, पुस्तकालयों आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी पुस्तकों का आयात करने हेतु राज्य व्यापार निगम को अन्तरित किया जाएगा।

(ख) आयात हेतु अनुमत तकनीकी पुस्तकों के विषयों की एक सूची संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4959/73]

(ग) आयात नीति घरेलू आवश्यकताओं और प्राप्यता को ध्यान में रख कर बनाई जाती है

Trade Agreement with other countries regarding export of Mica

9094. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have entered into trade agreement with any country in March-April 1973 in regard to export of mica; and

(b) if so, the broad outlines thereof and the names of these countries ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की गई भर्ती

9095. **श्री डी० डी० देसाई : क्या वित्त मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने राष्ट्रीयकरण से पहले तीन वर्षों में तथा बाद के तीन वर्षों में कितने-कितने लोग भर्ती किए ; और

(ख) यदि बाद की संख्या राष्ट्रीयकरण से पहले वाली संख्या से कम है तो भर्ती में इस कमी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) : उपलब्ध सूचना का एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 4960/73]

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में व्यक्ति घंटों की हुई हानि

9096. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जून 1969 से पहले के तीन वर्षों और बाद के तीन वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारियों द्वारा हड़तालों 'पेन डाउनों' और ऐसे अन्य आन्दोलनों के कारण कितने व्यक्ति घंटों की हानि हुई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : श्रम और नियोजन विभाग का श्रम-कार्यालय (लेबर ब्यूरो), उन आंकड़ों के आधार पर, जो उसे राज्यों और केन्द्र की सरकार के श्रम और सांख्यिकी विभागों द्वारा प्रदान किये जाते हैं, प्रतिवर्ष "भारतीय श्रम अंक संकलन (इडियन लेबर स्टैटिक्स)" के नाम से प्रमुख श्रम संबंधी आकड़ों का सारांश प्रकाशित करता है। औद्योगिक विवादों के कारण बैंकों में नष्ट हुए व्यक्ति दिवसों के संबंध में इस प्रकाशन से संगृहीत संभत सूचना निम्नलिखित है:—

वर्ष	नष्ट हुए व्यक्ति-दिवस	टिप्पणी
1966	9121	बैंकिंग और बीमा दोनों के लिए।
1967	34559	बैंकों के लिए अलग से आंकड़े प्रकाशित नहीं किये जाते।
1968	64781	

भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों में अनुवादकों, हिन्दी सहायकों और तकनीकी सहायकों आदि के लिए पदोन्नति के अवसरों का न होना

9097. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट**
श्री पन्नालाल बारूपाल } : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और इससे सम्बद्ध/अधीनष्ट कार्यालयों तथा विभिन्न स्वशासी निकायों में अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी के अनुवाद कार्य में संलग्न अनुवादकों, हिन्दी सहायकों, तकनीकी सहायकों, अनुसंधान सहायकों, हिन्दी प्राधिकारियों आदि के लिए पदोन्नति के अवसर नहीं हैं ;

(ख) अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति पाने के लिए अनुवादक, हिन्दी सहायक, तकनीकी सहायक, अनुसंधान सहायक, हिन्दी अधिकारी आदि को कितना न्यूनतम समय लगता है ;

(ग) उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए और उचित समय में अगले उच्चतर ग्रेड में हिन्दी कार्य में संलग्न कर्मचारियों की पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन सीनियर हिन्दी अनुवादकों, जूनियर अनुवादकों, हिन्दी सहायकों, तकनीकी सहायकों और अनुसंधान सहायकों आदि के 20 प्रतिशत को सेलक्शन ग्रेड देने है जो बहुत समय से उसी पद पर रुके हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इन पदों के लिए कोई संयुक्त संवर्ग नहीं है। प्रत्येक मंत्रालय/कार्यालय का अपना संवर्ग है। किसी संवर्ग में पदोन्नति के अवसरों का पता केवल सम्बन्धित संवर्ग प्राधिकारियों को ही होगा । इस विषय पर वित्त मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) तथा (ग) : उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति प्रत्येक मंत्रालय/कार्यालय द्वारा ऐसे पदों के लिए बनाये गये भर्ती नियमों, पदोन्नति के सामान्य माध्यम तथा उपलब्ध रिक्त स्थानों की संख्या से नियमित होती है।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

स्टैंडिंग कान्फ्रेन्स आफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज

9098. श्री सतपाल कपूर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्टेन्डिग कान्फैन्स आफ पब्लिक एन्टरप्राइजिज (स्कोप) नामक कोई संघ बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संघ के बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(ग) स्टेन्डिंग कान्फ्रेन्स आफ पब्लिक एन्टरप्राइजिज में संस्था के अन्तर्नियम तथा ज्ञापन क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकारी उद्यमों के कुछ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने नई दिल्ली में एक केन्द्रीय सूचना कक्ष स्थापित करने का निश्चय किया तो सितम्बर 1970 में न्यू हौराइजन के नाम से समिति के पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। न्यू हौराइजन के कार्यकारी बोर्ड ने हाल में इस संगठन का स्टैन्डिग कान्फ्रेन्स आफ पब्लिक एण्टरप्राइजिज नामक नाम रखने का निश्चय किया है।

(ख) तथा (ग) : सम्भवतः माननीय सदस्य इस संगठन के उद्देश्यों और रचना आदि के विषय में जानना चाहते हैं जो कि इस संगठन के अन्तर्नियम और ज्ञापन में दिये गये हैं। प्रारम्भिक उद्देश्य इस प्रकार हैं।

(i) सरकारी उद्यमों के निजी तथा सामूहिक रूप में देश के आर्थिक विकास में अंशदान के बारे में जनता के बीच उन्नत सूझबूझ को बढ़ावा देना और ऐसी गतिविधियों को हाथ में लेना जो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं;

(ii) विचारों और अनुभवों का पारस्परिक आदान प्रदान के लिए और सार्वजनिक हित के मामलों पर सामूहिक विचार के लिए सरकारी उद्यमों के लिए एक गोष्ठी की व्यवस्था करना।

(4) सरकारी उद्यमों आदि से सम्बन्धित समस्याओं पर अनुसंधान परियोजनाओं को शुरु करना और/अथवा प्रायोजित करना।

समिति की सदस्यता केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के सभी उद्यमों तथा अन्य संगठनों के लिए खुली है परन्तु इस में बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक है।

दूरस्थ ग्रामों में रहने वाले छोटे किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई

9099. **श्री सतपाल कपूर**
श्री शशि भूषण : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरस्थ ग्रामों में रहने वाले छोटे किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ तो वह कठिनाइयां किस प्रकार की हैं; और उनकी सहायता के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) दूरस्थ ग्रामों में रहने वाले छोटे किसानों की प्रमुख कठिनाई यह है कि प्राय: उनके ग्रामों के समीप बैंक की कोई शाखा नहीं होती। बैंकों से कहा गया है कि वे उनकी कठिनाई दूर करने के लिए ग्राम्य क्षेत्रों में अधिकाधिक शाखाएं खोलें। ग्राम्य क्षेत्रों में बैंक कार्यालयों की संख्या जुलाई 1969 के 1860 के मुकाबले बढ़ कर जून 1972 में 4,860 हो गयी।

दूरस्थ ग्रामों में प्रार्याप्त आधारभूत सुविधाओं की कमी भी इन ग्रामों के किसानों एवं बैंकों के लिए गंभीर बाधा है। राज्य सरकारें भी ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्रवाई कर रही हैं ताकि बैंक इन क्षेत्रों में ऋण दे सकें।

छोटे किसानों द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण प्राप्त करने में महसूस की जाने वाली कठिनाइयां दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:

(1) देश के विभिन्न भागों में सरकारी क्षेत्र के बैंक लघु कृषक विकास अभिकरणों/सीमांतिक कृषक कृषि-श्रमिक अभिकरणों के साथ सक्रिय रूप से सम्बद्ध हैं।

(2) सरकारी क्षेत्र के बैंक निर्धारित राशि की सीमा तक छोटे, सीमांतिक किसानों और कृषि-श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि बन्धक पर जोर दिये बिना वित्त प्रदान कर रहे हैं।

(3) भारतीय स्टेट बैंक का यह प्रस्ताव है कि वह, विशेष योजनाओं के क्षेत्रों, जैसे लघु कृषक विकास अभिकरण/सीमांतिक कृषक कृषि-श्रमिक अधिकरण के क्षेत्रों को तरजीह देते हुए चुने हुए 158 केन्द्रों में विशेष कृषि विकास शाखाएं खोलेगा।

(4) ऋण गारंटी योजनाओं की व्यवस्थाओं को उदार बना दिया गया है ताकि इसमें 1,000 रुपये से 2,500 रुपये के अल्पावधि ऋण और 5,000 रूपये से 10,000 रुपये के दीर्घावधि ऋण को शामिल किया जा सके। बाढ़, सूखा आदि के संबंध में मध्यम अवधि के ऋणों के रूप में बदले गये अल्पावधि ऋण 5,000 रुपये तक दिये जा सकते हैं। इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा तक कृषि क्षेत्र संबंधी सभी ऋण आ जाते हैं।

(5) बैंकों ने बहुत छोटे किसानों /बटाई पर फसल पैदा करने वालों के लिए स्वीकार किये गये ऋण के संबंध में सामूहिक गारंटी लेना शुरू कर दिया है और इन मामलों में और कोई प्रतिभूति नहीं मांगी जाती ।

(6) और बातों के अलावा विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत बहुत छोटे किसान आते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने उनकी जोतों के आकार के अनुसार विभिन्न ब्याज दर योजना शुरु की है। इन योजनाओं से छोटे किसानों को भी लाभ होगा।

(7) भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे तथा संभाव्य रूप से सक्षम किसानों के वित्त पोषण के लिए कुछ मागदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं।

(8) छोटे और सीमांतिक किसानों के ऋण प्रस्तावों के संबंध में कानूनी खर्च वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं वहन किये जाते हैं।

विदेशी मुद्रा का क्षरण-विषयक अध्ययन दल

9100. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्री एम० एस० पुरती : क्या **वित्त** मंत्री विदेशी मुद्रा के क्षरण-विषयक अध्ययन दल के बारे में 17 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 889 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से विदेशी मुद्रा के क्षरण को रोकने के लिए अध्ययन दल की सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ;

(ख) इन निर्णयों को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बीजकों में हेर-फेर के कारण विदेशी मुद्रा की हानि पर अध्ययन दल में 220 सिफारिशों की हैं। इनमें से 211 सिफारिशों पर कार्यवाही की गयी है और शेष विचाराधीन हैं। इन 211 सिफारिशों में से 183 पर निर्णय कर लिये गये हैं; 108 को स्वीकार कर लिया गया है; 68 को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है; 4 को संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया है और 3 को स्वीकार नहीं किया गया है।

(ख) ये सिफारिशें विधायी, कार्यविधिक, प्रशासनिक तथा संगठन सम्बन्धी विभिन्न मामलों से सम्बन्धित हैं और इसलिये उनमें कार्यान्वयन सम्बन्धी विभिन्न किस्मों की कार्यवाही की जानी है। यह ठीक ठीक बताना सम्भव नहीं है कि कार्यान्वयन सम्बन्धी समग्र कार्यवाही कब तक पूरी हो जायगी। स्वीकृत सिफारिशों पर, उन के फलस्वरूप तथा विषय-वस्तु के अनुसार सम्बन्धित मंत्रालयों/ विभागों द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

(ग) अध्ययन दल के अनुमान के अनुसार निर्यात के न्यून-बीजकांकन, आयात के अधि-बीजकांकन तथा व्यापार माध्यमों में अन्य हेर-फेर के कारण 50-70 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी-मुद्रा की हानि होती है। विदेशी मुद्रा की हानि के इस सीमित क्षेत्र में ही, जिससे अध्ययन दल सम्बन्धित था, दल की सिफारिशों से वांछित प्रभाव पड़ने की आशा की

जाती है। यह तभी होगा जब ये सिफारिशें पूरी तरह अमल में आ जायेंगी और कुछ समय तक उनका परीक्षण हो चुका होगा।

चांदनी चौक दिल्ली में एक व्यापार गृह पर छापे के दौरान नकदी और सोने की बरामदगी

9101. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वित्त** मंत्री फरवरी, 1973 में दिल्ली में एक व्यापार गृह पर छापे के दौरान 16 लाख रुपये के मूल्य के माल और नकदी की बरामदगी के बारे में 16 मार्च 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3743 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस पार्टी का नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है जिसके निवास तथा व्यापार स्थानों एवं बैंक के छः लाकरों की 27 फरवरी, 1973 को तलाशी ली गई थी ;

(ख) जांच में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) जांच के कब तक पूरा होने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) चांदी के व्यापारी श्री हरिराम लोहारीवाला के जो व्यापार स्थान दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है और उनके जो रिहायशी स्थान कैलाश कालोनी नई दिल्ली में स्थित है, उनकी तलाशी ली गई थी। इस के अतिरिक्त, चांदनी चौक दिल्ली स्थित सैंट्रल बैंक आफ इंडिया में 6 लाकरों की भी तलाशी ली गई जो श्री हरिराम लोहारीवाला, उनके दो पुत्र श्री भगवानदास गुप्त और श्री आनन्द कुमार गुप्त और उनकी पुत्रवधू श्रीमती मीरा गुप्ता के नाम में थे।

(ख) और (ग) आयकर अधिकारियों ने लाकरों को मुहरबन्द कर दिया है, जिनमें 15.5 लाख रुपये मूल्य की चांदी और 7,500 रुपये के करेंसी नोट हैं और उन अधिकारियों ने आयकर अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत निषेधात्मक आदेश तामील कर दिये हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्री हरिराम लोहारीवाला के आवासीय स्थानों में पाये गये 5.06 लाख रुपये के सोने और जवाहरात में से लगभग 3.46 लाख रुपये मूल्य के जवाहरात और 50,000 रुपये के करेंसी नोट भी पकड़े हैं । ये जवाहरात श्वेत धातु अथवा नौ कैरट से कम शुद्धता वाले सोने के बने होने के कारण स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत नीलाम करने योग्य नहीं हैं। आयकर अधिकारियों के नियंत्रण में जितना भी माल है उस सब की जांच आयकर अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही है।

स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गये बाकी होने और जवाहरात के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की जा रही है। माल पकड़ने के समय श्री हरिराम लोहारीवाला कलकत्ता गये हुए थे जिनको तलब किया गया । उनसे पूछताछ की गई और उनका बयान रिकार्ड किया गया।

जांच को जल्दी पूरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है।

लुधियाना के हौजरी उद्योग में संकट

9102. श्री ज्योतिर्मय बसु
श्री राम भगत पासवान : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि लुधियाना में हौजरी उद्योग को भारी संकट का सामना इस लिए करना पड़ रहा है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में

ग्रीज ऊन के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और इसके उद्योग के कुल पूंजी निवेश का लगभग पचास प्रतिशत ऊनी चिथड़ों में लगा पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) लुधियाना स्थित ऊनी हौजरी उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ग्रीस युक्त ऊन की कीमतों में अत्याधिक वृद्धि के कारण कठिनाइयों का सामना करते रहे हैं। यह भी सत्य है कि उनकी कार्यकारी पूंजी का एक भाग प्रतिपूर्ति के रूप में लाए गए ऊनी चीथड़ों में लगा हुआ है। निम्नोक्त घटकों से, कुछ सीमा तक इस स्थिति में सुधार आना चाहिए:—

(1) रोके गए ऊनी चीथड़ों की रिलीज आरम्भ हो गयी है। ये गांठें उस स्थिति में छोड़ी जा रही हैं जहां आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों का उल्लंघन नहीं होता और जहां गांठें प्रमुख रूप से ऊनी हैं, तथा जहां कम मूल्य के बीजक बनाये जाने के बारे में कोई दस्तावेजी सबूत प्राप्त नहीं है।

(2) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ग्रीस युक्त ऊन की कीमतें नीचे आ रही हैं।

(3) उद्योग को यह विकल्प दिया गया है कि वह प्रतिपूर्ति और साथ ही वास्तविक प्रयोक्ता हकदारियों के अन्तर्गत भी 40 प्रतिशत तक एक्रीलिक रेशे का आयात कर सकता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के विस्तार की गति में धीमापन

9103. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों की शाखाओं के विस्तार की धीमी गति से समूची बैंकिंग प्रणाली प्रभावित हुई है;

(ख) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया के मामले में यह धीमापन और भी अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग) 1970 वर्ष के दौरान स्टेट बैंक आफ इण्डिया सहित वाणिज्यिक बैंकों, ने व्यापक शाखा विस्तार कार्यक्रम शुरू किया है। 1971 और 1972 के दौरान, खोले गये बैंक कार्यालयों की संख्या 1970 में खोले गये कार्यालयों की संख्या से कुछ कम थी। इसके विभिन्न कारण हैं जिनमें से प्रमुख ये हैं जिन क्षेत्रों में शाखा कार्यालय खोले गये हैं उनमें जोरदार काम करने की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता, संगठनात्मक और जन-शक्ति संबंधी नियन्त्रण और ऐसे विकास केन्द्रों की संख्या में कमी जहां पर अब तक बैंक नहीं खोले गये हैं।

Export of 'Maruti' Small Car

9104. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether any proposals in regard to export of small car known as 'Maruti' have come to the notice of Government; and

(b) if so, the broad outlines thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) The Government is not aware of any proposal for export of 'Maruti' cars.

(b) Does not arise.

Concrete Programmes for Export Promotion

9105. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government have chalked out a concrete programme for export promotion; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) & (b) The Government's programme for export promotion has already been set out in the Export Policy Resolution which was laid before the Parliament on the 30th July, 1970. Within the frame-work of the Resolution, suitable changes are made in the Export Promotion measures as and when necessary.

Demand for Compensation for loss to India's Export as a result of Britain's entry into E. C. M.

9106. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether India, while explaining her case before the Delegation of European Economic Community at Geneva during April, 1973, demanded compensation in lieu of adverse effect on Indian exports because of Britain's entry in the common market; and

(b) if so, the main features of our demand and E. E. C.'s reaction thereto ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) & (b) India has entered into consultations and negotiations with the European Communities under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) for securing compensation for the adverse effects on India's trade with the enlarged Communities as a result of the accession of Britain, Ireland and Denmark to the European Economic Community.

The consultations and negotiations are still in progress and it is premature to define the scope of our demand or the European Communities' reaction thereto.

Positions of Yarn after taking over of Yarn Trade

9107. Shri Atal Bihari Vajpayee : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the average figures in regard to the following pertaining to one month before and one month after the taking over of the yarn trade by Government :—

(i) the stock of yarn in the mills ;

(ii) the quantity of yarn supplied to the yarn-consumers vis-a-vis their requirements ;

(iii) the percentage of handling charges etc., the ex-mill price and the price at which it was sold to the consumers ;

(iv) the effects on yarn production and cotton textile production; and

(b) the price of yarn and the category of coarse counts prevailing in the first week of March and the price fixed by Government after taking over the distribution ?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) & (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

दिल्ली हवाई अड्डे पर टोह लेने वाली रेडार व्यवस्था लागू करना

9109. श्री पी० गंगादेव
श्री प्रसन्न भाई मेहता } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर टोह लेने वाली रेडार व्यवस्था लागू कर दी गयी है और यदि हाँ, तो इस व्यवस्था से क्या लाभ है ।

(ख) क्या इस प्रकार के रेडारों को अन्य बड़े-बड़े हवाई अड्डों पर भी लगाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो कब तक कहाँ और कितनी लागत पर ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ ; विमानक्षेत्र निगरानी राडार दिल्ली के आस पास व्यवस्था की गयी हवाई यातायात नियंत्रण सेवाओं में सुधार करेगा तथा—

(1) हवाई यातायात नियंत्रण को आने वाले विमानों का विमानक्षेत्र के समीप उस स्थान के लिये मार्ग निर्देशन करने के लिए, जहाँ से विमानचालक अवतरण के लिये दृष्टिपात कर सके अथवा उपकरण अवतरण पद्धति का प्रयोग कर सके, समर्थ बनाएगा।

(2) आने वाले विमानों के विमानचालकों को धावनपथ से एक मील तक राडार सहायक अप्रोच का फायदा उठाने के योग्य बनाएगा।

(3) नियंत्रकों को रवाना होने वाले विमानों को निकटतर अनुदेश देने के लिये समर्थ बनाएगा।

(4) हवाई यातायात नियंत्रण को अधिक विमानों का संचालन करने के योग्य बनाएगा।

(ख) और (ग) इस प्रकार के राडार बम्बई तथा कलकत्ता विमान क्षेत्रों पर पहले ही कार्य कर रहे हैं। 96 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाले दो और ऐसे राडारों का आदेश दिया जा चुका है। एक मद्रास पर प्रतिस्थापित करने के लिये तथा दूसरा कलकत्ता पर वर्तमान राडार को बदलने के लिये।

Procedure for Classification of Opium

9110. **Dr. Lakshminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the classification on opium, brought by farmers at pre-determined weighing centres, is done by the weighing officer, but this classification is not treated as final;

(b) whether after the preliminary classification, the opium brought by various cultivators is mixed together for final classification; and

(c) whether Government propose to change this procedure which causes heavy loss to farmers; and if so, in what manner?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) : The opium brought by poppy cultivators at weighment centres differs in its moisture content. The District Opium Officer determines the moisture content of opium of each cultivator by physical touch, visual observation and smell. Some simple chemical tests are also conducted by the District Opium Officer in order to detect adultrants like starch, oil, jaggery etc. Opium of different cultivators having the same classification is mixed together so as to form bags of 35 kgs. each which are sent to the Government Opium Factories for final chemical analysis.

(c) The poppy cultivators are generally satisfied with the present procedure. However, the question of introducing some electrical/mechanical moisture meters, which could indicate exact moisture content in opium, for use at the weighment centres, is under the consideration of the Government.

Criteria for Appointment of Headman of Opium Cultivators

9111. **Dr. Lakshminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the criteria adopted by Government to appoint the headman of the opium growers in a village; and

(b) whether the said criteria are adopted at all places?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The procedure presently followed by the Government for appointment of the headman (Lambardar) in poppy growing villages is that a panel of eight poppy cultivators who have tendered the highest yield of opium per hectare is prepared and the person whose overall performance, work and conduct is regarded as the best is appointed the headman. In occasional cases where no cultivator in the panel is willing to assume headmanship, some other suitable cultivator of the village is appointed as the headman.

(b) Yes, Sir.

Charter of Demands Submitted by Opium Cultivators of Pratapgarh

9112. Dr. Lakshminarayan Pandeya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Afim Utpadak Krishak Sangh (Opium Cultivators Association), Pratapgarh, Rajasthan has submitted a charter of demands to Government; and

(b) if so, their main demands and the action taken by Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir.

(b) The main demand submitted by the Afim Utpadak Krishak Sangh, Pratapgarh, Rajasthan is that the minimum price of opium payable to cultivators for opium purchased from them by the Government should be fixed at Rs. 100/- per kilo.

Price of opium to be paid to the poppy cultivators is fixed every year after taking into account all relevant factors, such as prices of other comparable crops in the area, export price of opium, general level of prices etc. The price of opium fixed for 1972-73 poppy season ranges between Rs. 60/- and Rs. 100/- per kilogram at 70 consistence depending on the average yield tendered by the poppy cultivators. This represents a significant increase over the earlier price of opium.

The Sangh has also made a few other minor demands/suggestions including research on opium, assistance to cultivators etc. The research for production of better quality of opium is already in progress in various Government farms. The question of assistance to opium growers in procurement of poppy seed, manure and insecticides is also under the consideration of the Government. However, it is not possible to accept the remaining demands/suggestions of the Sangh for administrative reasons.

Provision of Rs. 43 crores to Banks in Madhya Pradesh by World Bank

9113. Dr. Lakshminarayan Pandeya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether an amount of Rupees 43 crores would be provided to 21 Banks of Madhya Pradesh by the World Bank; and

(b) if so, the break-up of the amount, Bank-wise?

The Minister of Finance : (Shri Y. B. Chavan) : (a) Negotiations have been concluded with the IDA for a credit of $ 33 million (about Rs. 25 crores) for the Madhya Pradesh Agricultural Credit Project.

(b) This project is for development of minor irrigation and associated land development to be implemented in 35 districts of the State. The proceeds of the Credit would be on-lent to ARC which would refinance loans granted to farmers by the Primary Land Development Banks and participating commercial banks. The bank-wise break up of the extent of refinancing would depend on the extent of lending which the various banks actually undertake.

बम्बई में भारत के सबसे बड़े होटल का पूरा होना

9114. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में भारत के सब से बड़े होटल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य विवरण क्या हैं तथा इस होटल पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख): अनुमान है कि इसका संकेत होटल ओबेराय शेराटन की ओर है जिसे 7 अप्रैल, 1973 से बम्बई में औपचारिक रूप से चालू किया गया था। 500 कमरों वाली यह होटल प्रायोजना ईस्ट इण्डिया होटल्स लि० तथा शेराटन इन्टर-नेशनल, यू० एस० ए० के बीच सहयोग का परिणाम है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रथम श्रेणी के होटल के सभी लक्षण हैं तथा बताया जाता है कि इस पर लगभग 15 करोड़ रुपये लागत आई है।

निर्यात और अधिक बल देने से राज्य व्यापार निगम के लाभ कम हो जाने संबंधी समाचार

9115. **श्री रानेन सेन**
श्री विभूति मिश्र } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "हिन्दुस्तान स्टेन्डर्ड", कलकत्ता, दिनाँक 5 अप्रैल, 1973 में (पृष्ठ 8) पर "मोर एम्पेसिस आन एक्सपोर्ट लोअर्स एस० टी० सी० प्राफिट्ज" (निर्यात पर अधिक बल देने से राज्य व्यापार निगम के लाभ कम होना) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार ने समाचार के अन्तर्विषय को नोट कर लिया है और उसका यह विचार है कि राज्य व्यापार निगम के अपेक्षाकृत कम लाभों के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं :—

(1) कतिपय आयात मदों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में अत्याधिक वृद्धि ;

(2) भेड़ बकरी की चर्बी जैसी उच्च लाभ देने वाली मदों के आयातों में कमी ; और

(3) कच्चे माल के आयात पर लाभ में कमी।

लाभों में कमी का कारण निर्यातों का विस्तार नहीं कहा जा सकता।

छठे वित्त आयोग के चेयरमैन द्वारा पश्चिम बंगाल को सहायता दिए जाने के बारे में आश्वासन

9116. **श्री रानेन सेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठे वित्त आयोग के चेयरमैन ने पश्चिम बंगाल को, राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु, सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार की सहायता दी जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख) वित्त आयोग ने, अन्य राज्य सरकारों की भांति, आयोग के विभिन्न विचारणीय विषयों के सन्दर्भ में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत पूर्वानुमान तथा ज्ञापन के विषय में राज्य सरकार के साथ भी विचार विमर्श किया है। आयोग अपनी सिफारिशें देते समय, जिनके अक्तूबर, 1973 के अन्त में प्राप्त हो जाने की सम्भावना है, पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा।

निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहन

9117. श्री एम० कतामुतु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात संवर्धन के लिये प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन सी विभिन्न योजनायें चलायी गई हैं।

(ख) इन प्रोत्साहनों का कुल आर्थिक मूल्य कितना है।

(ग) क्या इन प्रोत्साहनों से भारत के निर्यात में वृद्धि करने में कोई सहायता मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जून, 1966 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन होने के परिणामस्वरूप, प्रोत्साहन की समस्त योजनाएं वापिस ले ली गई। उसके बदले, निर्यात संवर्धन उपाय आरंभ किये गये, जैसे (1) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति तथा (2) चुने हुए अपरम्परागत उत्पादों पर दिया जाने वाला प्रतिकरात्मक समर्थन।

(ख) निर्यात संवर्धन उपायों का कुल मुद्रा मूल्य, किये गये निर्यातों की मात्रा पर निर्भर करेगा। वर्ष 1972-73 में 112.58 करोड़ रुपये मूल्य के प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किये गये और प्रतिकरात्मक समर्थन के रूप में 35.88 करोड़ रूपये आबंटित किये गये।

(ग) तथा (घ) पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारे निर्यातों का बढ़ता हुआ रुख सरकार द्वारा किये गये निर्यात संवर्धन उपायों की उपयोगिता का स्पष्ट संकेत हैं, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों में देखी जा सकती है :—

(आंकड़े करोड़ रु० में)

1970-71	1535.16
1971-72	1568.61
1972-73 (अप्रैल-जनवरी)	1557.41 (अस्थायी)

पी० एल० 480 निधि के बारे में अमरीकी अधिकारियों के साथ वार्ता

**9118. श्री आर० वी० स्वामीनाथन्
श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचित पी० एल० 480 निधि के उपयोग के बारे में अमरीका और भारत के बीच वार्ता शुरू हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां ;

(ख) अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

बम्बई में निषिद्ध वस्तुओं का बरामद किया जाना

9119. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 मार्च, 1973 को केन्द्रीय निवारक कलेकटोरेट ने बम्बई में 15 लाख रुपए के मूल्य की निषिद्ध वस्तुएं बरामद की थीं ; और

(ख) यदि हां, उनका संक्षिप्त ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) तथा (ख) 25 मार्च, 1973 को बम्बई में (निवारक) समाहर्ता कार्यालय के दो अधिकारियों ने दो ट्रकों से लगभग 14 लाख रु० मूल्य की दालचीनी, लोंग, वस्त्र, घड़ी के फीते, चीन में बने फाउटेंन पैन, टेलीविजन सेट, तथा परिकलन-यंत्र आदि जैसी निषिद्ध वस्तुएं पकड़ीं, दोनों ही ट्रक पकड़े भी गये थे । इस संबंध में अभी तक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । आगे जांच पड़ताल जारी है ।

नियुक्तियों के बारे में हरिजनों तथा आदिवासियों द्वारा एयर इण्डिया से शिकायतें

9120. **श्रीमती सावित्री श्याम : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिजनों तथा आदिवासियों ने एयर इण्डिया में नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया के अधीन नियुक्तियों के बारे में कितनी तथा किस प्रकार की शिकायतें की हैं । और

(ख) उक्त शिकायतें किन-किन स्थानों से प्राप्त हुईं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) एयर इण्डिया ने सूचित किया है कि जनवरी, 1972 से मार्च, 1973 तक की अवधि के दौरान उन्हें बम्बई, भोपाल, हरियाणा तथा नई दिल्ली के अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तिगत सदस्यों से सात शिकायतें प्राप्त हुईं । इसके अलावा एयर कारपोरेशन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के संबंध में कुछ प्रश्न उठाए थे । जबकि व्यक्तिगत उम्मीदवारों की शिकायतें उनकी नियुक्ति न होने के बारे में थीं, संघ द्वारा उठाए गए प्रश्न मुख्यत: आरक्षित रिक्तियों के भरने, कुछ उम्मीदवारों के अस्वीकार किये जाने, तथा कुछ की सेवाओं के समाप्त कर दिये जाने आदि से संबंधित थे । इन समस्त पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है ।

सरकारी क्षेत्र के एककों की मूल्य निर्धारण नीति

9121. **श्रीमती सावित्री श्याम : क्या वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के एककों के लिए मूल्य निर्धारण संबंधी नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकार ने सरकारी उद्यमों की मूल्य-नीति के सम्बन्ध में कुछ मोटे मार्ग दर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं। इनके अनुसार यदि कोई सरकारी उद्यम अन्य देसी उत्पादकों के साथ प्रतियोगिता में माल का उत्पादन तथा सेवाऐं प्रदान करता है, तब बाजार में माँग और पूर्ति की जो सामान्य प्रवृत्तियां काम करती हैं, वे ही काम करेंगी, सरकारी उद्यम द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य विद्यमान बाजार में प्रवृत्तियों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। जहां तक उन सरकारी उद्यमों का सम्बन्ध है, जो एकाधिकार या अर्द्ध-एकाधिकार की स्थिति में कार्य कर रहे हैं, उनके मूल्य बराबर की आयातित वस्तुओं के मिलने पर आयी लागत से कम होना चाहिए और सामान्यतः इन मूल्यों के लिए यह अधिकतम सीमा होनी चाहिए। ये उद्यम उस अधिकतम सीमा के, अन्तर्गत फैसला कर के उचित स्तर पर मूल्य निर्धारित कर सकते हैं और इस प्रकार निर्धारित किये गये मूल्य दो या तीन वर्षों की अवधि तक प्रभावी रहने चाहिएं। आयातित माल की प्राप्ति होने पर आयी लागत निर्धारित करते समय यदि यह मानने के लिए कारण है कि आयातित मूल्य या तो बहुत कम हैं या विशेष परिस्थितियों में सरकारी उद्यम की उत्पादन लागत काफी ऊंची है, तो मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार आयातित माल की प्राप्ति पर आयी लागत से, ऊंचा मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, इस प्रकार के प्रस्तावों की जांच के लिए वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर प्रशासनिक मंत्रालय को भेजे जाने चाहिएं।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय करों से एकत्र आय

9122. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान उतर प्रदेश से आयकर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सम्पत्ति कर, सम्पदा शुल्क, उपहार शुल्क और सीमा शुल्क के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(ख) उक्त वर्ष में इन शीर्षकों के प्रत्येक मद के अन्तर्गत इस वसूली में से उतर प्रदेश को कितनी राशि दी गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आयकर आयुक्त लखनऊ और कानपुर I तथा II के अधिकारी क्षेत्रों से आयकर, धन कर, दानकर, सम्पदा शुल्क के रूप में तथा सीमा और केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों के रूप में, उत्तर प्रदेश से वर्ष 1972-73 के दौरान वसूल हुई रकमें निम्नानुसार हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

आयकर तथा निगम कर	36.95@
धन कर	1.62
दान कर	0.17
सम्पदा शुल्क	0.38
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	191.89*@$
उत्पादन शुल्क	0.02*

*फरवरी, 1973 तक के आंकड़े।

@आंकड़े अनन्तिम हैं।

$इन आंकड़ों में कच्चा लोहा उपकर, कोयला उपकर, रबड़ उपकर और नमक उपकर शामिल नहीं हैं।

4—349LSS|73

(ख) धन कर, दान कर तथा सीमा शुल्क की रकमें राज्यों के साथ नहीं बांटी जाती। वर्ष 1972-73 के दौरान उत्तर प्रदेश को आयकर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सम्पदा शुल्क से प्राप्त रकमों में से उसके हिस्से के क्रमश: 76.96 करोड़ रुपये, 98.79 करोड़ रुपये तथा 0.61 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। आयकर में से राज्य के हिस्से में पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समायोजन के रूप में जोड़ी गयी 14.53 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को दिया गया ऋण

9123. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को कुल कितना ऋण दिया है ;

(ख) इन बैंकों ने राष्ट्रीयकरण के पूर्व उसी अवधि में औद्योगिक एककों को कितना ऋण दिया है ;

(ग) गत दो वर्षों में बड़े और छोटे एककों को कितना ऋण दिया गया है; और

(घ) उद्योगों को ऋण देने की सुविधाओं में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) बैंक अभी तक औद्योगिक क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋणों के बारे में राज्यवार और उद्देश्यों के अनुसार आंकड़े नहीं रखते हैं। फिर भी, समय समय पर तुरन्त अनुमान लगा लिया जाता है और औद्योगिक क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋणों के आंकड़ों का हिसाब मोटे तौर पर केवल अखिल भारतीय आधार पर लगाया जाता है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों का संबंध है, दिसम्बर, 1970, दिसम्बर, 1971 और दिसम्बर, 1972 के अन्त में बकाया रकम क्रमश: 20.15 करोड़ रुपये, 28.32 करोड़ रुपये और 34.56 करोड़ रुपये थी जबकि जून, 1969 के अन्त में यह रकम 17.62 करोड़ रुपये थी। बैंक उद्योगों की ऋण संबंधी युक्तियुक्त और वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सज्जित हैं।

ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन आफ इण्डिया का दिल्ली में हुआ सम्मेलन

9124. **श्री एस० ए० गुरुगनन्तम**
श्री एम० एम० जोजफ } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में हुए ट्रेवल एजेंट्स एसोसियेशन आफ इण्डिया के सम्मेलन में पर्यटन को प्राथमिकता निर्यात उद्योग के रूप में मानने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या-क्या निर्णय किये गये तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन के विस्तृत कार्यवृत की प्रतीक्षा की जा रही है। इस बीच भारतीय यात्रा अभिकर्त्ता संघ के संकल्पों की, जिनमें पर्यटन को प्राथमिकता-प्राप्त निर्यात उद्योग के रूप में मानने का संकल्प भी सम्मिलित है, की जांच की जा रही है।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अधिकारियों के लिए सांविधिक सेवा नियम

9125. **श्री एस० ए० गुरुगनन्तम् :** क्या **वित्त** मंत्री 16 मार्च, 1973 के अतारांकित **प्रश्न** संख्या 3624 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 11(1) और 50 (1) प्राधिकारियों की अधिकारियों के लिये सांविधिक सेवा नियमों को बनाने की शक्ति प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त धाराओं के अधीन अब तक कोई सांविधिक सेवा नियम नहीं बनाये गये हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सांविधिक सेवा नियम कब तक बनाये जायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :(क) से (ग) सहायक बैंकों की सेवा की शर्तें भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 50 (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 11 (1) के अनुसार प्रशासित होती हैं। भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 के अन्तर्गत सभी सहायक बैंकों के अधिकारियों के लिए एक समान सेवा के नियम बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है।

हैल्थवेज डेरी प्रोडक्ट्स, गुलावठी जिला बुलन्दशहर (उ० प्र०) से आयकर उत्पादन और शुल्क वसूल किया जाना

9126. **श्री शशि भूषण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैल्थवैज डेरी प्रोडक्ट्स, गुलावठी, जिला बुलन्दशहर (उ० प्र०) से आयकर और उत्पादन शुल्क की बकाया राशि वसूल की जानी है; और

(ख) यदि हां, तो वह राशि कितनी है और उसे वसूल करने के लिये क्या प्रस्ताव विचाराधीन है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जहां तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की बकाया का सम्बन्ध है, "मैसर्स हैल्थवैज डेरी प्रोडक्ट्स" से 9,728 रुपये की रकम वसूल होनी है। बकाया की वसूली के लिए मशीनरी आदि रोक लेने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

आयकर के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उनसे कर निर्धारण वर्ष 1968-69 के सम्बन्ध में 4,541 रुपये वसूल होना बाकी है। कर निर्धारिती की पुनरीक्षण याचिका का निर्णय नहीं होने के कारण वसूली रुकी हुई है।

काले धन का पता लगाने के लिए छापे मारना

9127. **श्री शशि भूषण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काले धन का पता लगाने के लिये गत तीन महीनों में देश के विभिन्न भागों में कितने छापे मारे गये;

(ख) इस प्रकार कितनी धनराशि पकड़ी गयी कितने लाकर सील किये गये तथा इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त पार्टियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

काश्मीर की झीलों को घास-काई आदि से बचाने के लिए उपाय

9128. **मौलाना इसहाक संबली :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विख्यात मत्स्य अनुसंधान शास्त्री मीर शोकत हुसैन ने चेतावनी दी है कि यदि प्रसिद्ध डल झील सहित काश्मीर की सुन्दर झीलों को घास-काई आदि से बचाने के लिये उचित समय पर कार्यवाही न की गई तो वे कुछ समय के बाद दलदल में परिवर्तित हो जायेंगी; और

(ख) यदि हां, तो इन झीलों को घास-काई आदि से बचाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) यद्यपि यह विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है, डल झील की समस्याएं सुविदित हैं तथा उस ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है । राज्य सरकार इस मामले से पूर्णतया अवगत है ।

इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा खरीदे जाने वाले नए विमानों का चयन

9129. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बता ने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैरावेल और वाइकाउन्ट विमानों को बदलने के लिये इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा खरीदे जाने वाले नए विमानों का चयन करने के बारे में कोई अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में निर्णय लेने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) : जी० हाँ ।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स के अपने विमान-बेड़े के आयोजना संबंधी अध्ययन अभी चल रहे हैं तथा उनके प्रस्तावों के अगले महीने मिलने की आशा है ।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों द्वारा बार-बार हड़ताल किया जाना

9130. **श्री यमुना प्रसाद मंडल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या इन दिनों स्टेट बैंक आफ इंडिया के कर्मचारी बार-बार हड़ताल करते हैं; **और**

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने **सूचना** दी है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया में 1960 से कामगर कर्मचारियों द्वारा और 1969 से **पर्यवेक्षी** कर्मचारियों द्वारा कोई सामान्य हड़ताल नहीं की गयी है पर अर्न्तयूनियन प्रतिस्पर्धाओं के बढ़ जाने **के** कारण कुछ क्षेत्रों में उनके कार्यालयों में काम ठप्प किये जाने की इक्की दुक्की घटनाएं हुई हैं।

कलकत्ता हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव

9131. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार कलकत्ता हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओ की संख्या बढ़ाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिह) : (क) और (ख) आजकल एयर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइंस तथा 7 विदेशी विमान कम्पनियाँ क्रमश: 6, 38 तथा 54 उड़ाने प्रति सप्ताह कलकत्ता के लिए/में से होकर परिचालित कर रही हैं। फिलहाल किसी भी विदेशी विमान कम्पनी द्वारा कलकत्ता में से होकर जाने वाली उड़ानों की आवत्ति में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पूर्वी क्षेत्र में और अधिक एवरो विमान सेवा चलाने का निर्णय

9132. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पूर्वी क्षेत्र में और अधिक एवरो विमान सेवाएं चलाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी कितनी सेवाएं आरम्भ की जाएंगी तथा वे किन स्थानों में की जाएंगी और यह निर्णय कब क्रियान्वित किया जायेगा?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) (क) जी, नहीं। विमान बेड़े की वर्तमान स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी कम्पनियों की ओर से खरीद करने के लिए भारतीय एजेंटों को पारिश्रमिक

9133. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियों के भारतीय एजेंन्टों को, निर्बाध विदेशी मुद्रा से की गई सरकारी खरीदों पर रुपयों और विदेशी मुद्रा में "कमीशन" मिलता है; और

(ख) आर्थिक मामलों सम्बन्धी विभाग, पूर्ति तथा क्रय विभागों के परामर्श से, परिहार्य व्यापारिक एजेन्टों को हटाकर खरीद मूल्यों को कम करने के लिये क्या उपाय करना चाहता है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) देशी कम्पनियों के भारतीय अधिकर्ताओं को, भारत सरकार की खरीदों पर चाहे वे मुक्त विदेशी मुद्रा से की जायं या उनका वित्त पोषण विदेशी ऋणों द्वारा किया जाए, कमीशन मिलता है । किन्तु ऐसी कमीशन केवल भारतीय रुपयों में ही दी जाती है ।

(ख) ऐसे व्यापारिक अभिकर्ताओं को समाप्त करने की सम्भावना पर पहले ही विचार किया जा चुका है । ऐसा देखा गया है कि अभिकर्ताओं को समाप्त करना प्रायः सम्भव नहीं है क्योंकि विदेशी सम्भरकों की सामान्य रीति यह है कि वे भारत में अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने अथवा तकनीकी सहायता या बिक्री के बाद की सेवाओं के मामले में अपने प्रतिनिधि के रूप में अभिकर्ता रखते हैं । कमीशन की राशि सम्भरकों तथा उनके अभिकर्ताओं के बीच तय की जाती है ।

देश में विमान यातायात नियंत्रण सेवा की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले हवाई अड्डे, मार्ग निर्देशन उपकरण तथा प्रकाश संबंधी व्यवस्था

9134. **श्री ब्रजराज सिंह**—(कोटा) क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को छोड़कर शेष अन्य हवाई अड्डे विमान यातायात नियंत्रण सेवा मार्ग निर्देशन सबंधी उपकरण तथा विभिन्न प्रकार की प्रकाश व्यवस्था की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं; और

(ख) उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जहाँ ऐसे उपकरणों की न्यूनतम संख्या है और उन हवाई अड्डों के क्या नाम हैं जहाँ ऐसे उपकरण एक भी नहीं हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) नीचे दिखाई गई सुविधायें नागर विमानन विभाग के अन्तर्देशीय हवाई अड्डों पर, जिनका प्रयोग इण्डियन एयरलाइंस की अनुसूचित विमान सेवाओं के लिये किया जाता है, सामान्यता उपलब्ध हैं :—

(i) अति उच्चावृत्ति रेडियो टेलीफोनी,

(ii) रेडियो अनुसरण के लिये कम से कम एक अदिशिक रेडियो बीकन तथा इन्स्ट्रूमेन्ट एप्रोचेज़,

(iii) प्वाइंट से प्वाइंट तक संचार, जैसे, रेडियो टेलिटाईप, वायरलेस, उच्चावृत्ति रेडियो टेलिफोनी या सीधा स्पीच सर्किट, तथा

(iv) यदि हवाई अड्डा नियमित रूप से रात्रि परिचालनों के लिये प्रयुक्त होता है तो विद्युत धावनपथ प्रकाश व्यवस्था तथा अधिकाँश अन्य स्थानों में हंसग्रीवा द्वीप ।

(ख) : नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा संधारित हवाई अड्डों की दो सूचियाँ, एक सहायक साधनों की न्यूनतम मात्रा वाले हवाई अड्डों तथा दूसरी इन उपकरणों से रहित हवाई अड्डों को दिखाने वाली, संलगन हैं (अनुबन्ध I तथा II) (ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4961/73) ।

एयर इण्डिया द्वारा कलकत्ता दिल्ली बम्बई मार्ग पर जाम्बो विमानों की सेवाएं आरम्भ करना

9135. **श्री ब्रजराज सिंह**--(कोटा) क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने एयर इण्डिया को कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई को मिलाने वाले तथाकथित महत्वपूर्ण त्रिकोण वाले मार्ग पर जम्बो विमान चलाने के लिये अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो किये गये अनुरोध का सार क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हवाई अड्डों पर दमकुल सेवाओं की व्यवस्था

9136. **श्री ब्रजराज सिंह**--(कोटा) क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सभी हवाई अड्डों पर की गई दमकल सेवाओं की व्यवस्था से संतुष्ट है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में किन विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था की गई है तथा वे किन हवाई अड्डों पर की गई हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर तथा सिविल विमानक्षेत्रों पर, जिन का प्रयोग विमान सेवाओं द्वारा किया जाता है, और अधिक अग्नि-शमन उपस्कर की व्यवस्था के लिये कार्रवाई की जा रही है । भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 28 क्रैश फायर टेंडरों का आर्डर दिया है; अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों के लिये 20 पहियेदार किस्म के तथा 8 क्रैट-टाईप के । अन्तर्देशीय विमानक्षेत्रों पर अग्निशमन सुविधाओं को बढ़ाने के लिये 40 क्रैश फायर टैंडर, 16 विदेशों से तथा 24 स्वदेशी साधनों से, खरीदने संबंधी नागर विमानन के महानिदेशक के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 4962/73] ।

जयपुर में पर्यटक स्वागत कार्यालय और शिविर स्थल बनाने की योजना

9137. **श्री ब्रजराज सिंह**--(कोटा) क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जयपुर में पर्यटन स्वागत कार्यालय और शिविर स्थल बनाने की कोई योज़ना है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है और यह कब तक पूरा किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हाँ । जयपुर में एक पर्यटक स्वागत केन्द्र-व-मोटल पहले ही निर्माणाधीन है तथा शिविर स्थल के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य शुरु किए जा रहे हैं ।

पर्यटक स्वागत केन्द्र-व-मोटल में, 20 आवासीय कक्षों के अतिरिक्त, भारत में पर्यटन केन्द्रों के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिये और विशेष कर के निकट भविष्य में पर्यटक स्थलों की विस्तृत सूचना देने के लिये सूचना काउंटर, हवाई, रेल तथा सड़क यातायात के आरक्षणों के लियें एक काउंटर, एक बुक स्टॉल, स्मारिका/क्यूरियो शॉप, हैंडीक्राफ्ट शो रूम तथा शॉप, सामान छोड़ने तथा मुद्रा विनिमय के लिये सुविधाएं, एक रैस्टोरेंट/कैफटीरिया, टापलेट के अतिरिक्त वाश रूम तथा टेलिफोन सुविधाएं होंगी। पर्यटक स्वागत केन्द्र-व-मोटल पर कार्य के मार्च, 1974 तक पूरा हो जाने की आशा है।

प्रस्तावित शिविर स्थल का डिज़ाइन लगभग 20 कैम्परों के लिये आवास स्थान की व्यवस्था करने के लिये किया गया है तथा किराए पर देने के लिये उसमें इस प्रकार के उपकरण उपलब्ध होंगे, जैसे टैंट, गद्दे, टेबल लैम्प, स्टोव, फोल्डिंग कुर्सियाँ, मेज आदि। इस स्थान पर सामान्य सुविधाओं में सूचना काउंटर, स्नैक-बार, स्नान गृह, टॉयलेट, ग्रोसरी स्टोर तथा एक लाण्ड्री कक्ष सम्मिलित होंगे। प्रत्येक कैम्पिंग प्लेटफार्म पर विद्युत प्लग वाइंट तथा पानी के कनेक्शन लगाए जाएंगे। जहाँ कैम्पिंग प्लेटफार्मों के साथ-साथ कारें खड़ी करने के लिये स्थान उपलब्ध होगा, वह मिनी-कोचों तथा बसों जैसे बड़े वाहनों के लिये एक पृथक पार्किंग एरिया की भी व्यवस्था की गयी है।

इस प्रयोजना पर कार्य प्रारम्भिक कार्यों के, जिनमें राज्य सरकार द्वारा भूमि के एक उपयुक्त प्लाट की अलाटमैंट भी सम्मिलित है, पूरा होने के पश्चात् प्रारम्भ किया जाएगा। अतः, जहाँ प्रायोजना के पूरा होने की निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती, यह आशा की जाती है कि शिविर स्थल पाँचवीं योजना के प्रथम वर्ष में प्रारम्भ कार्य करने के लिये तैयार हो जाएगा।

उदयपुर में लक्ष्मी विलास पैलेस होटल का विस्तार कार्यक्रम

9138. **श्री ब्रजराज सिंह—**(कोटा) : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर में लक्ष्मी विलास पैलेस होटल का विस्तार किया जायेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इस होटल का स्टार दर्जा और प्रशुल्क बताते हुए इसके विस्तार कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) उदयपुर में लक्ष्मी विलास पैलेस होटल का 1972-73 के दौरान विस्तार किया गया था।

(ख) इस होटल में प्रारम्भ में 12 डबल कमरे तथा दो सिंगल कमरे थे। होटल के विस्तार में 23 वातानुकूलित डबल कमरे तथा 100 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला एक कान्फ्रेंस हॉल सम्मिलित था। होटल का अभी वर्गीकरण नहीं किया गया है। टैरिफ निम्न प्रकार है :—

यूरोपियन योजना (केवल कमरा)	वातानुकूलित	गैर-वातानुकूलित
	रुपये	रुपये
सिंगल	55	40
डबल . . .	80	65
सिंगल सूट	—	55
डबल सूट	—	80
अतिरिक्त शय्या . . .	25	25
सेवा प्रभार 10 प्रतिशत।		

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा अतिरिक्त विमान खरीदने का प्रस्ताव

9139. **श्री बख्शी नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस अपनी घरेलू विमान सेवाओं को बढ़ाने के लिये अतिरिक्त विमान खरीदने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या इण्डियन एयरलाइंस ने विश्व के विभिन्न भागों से विमान निर्माताओं से विमानों के मूल्य मंगाये हैं; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि इस विषय पर कोई निर्णय किया गया है तो वह क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इण्डियन एयरलाइंस अपने विमान-बेड़े में वृद्धि करने की दृष्टि से विस्तृत विमान-बेड़ा आयोजना अध्ययन कर रहे हैं।

(ख) और (ग) इंण्डियन एयरलाइंस विभिन्न निर्माताओं से प्राप्त ब्यौरों तथा आंकड़ों की जांच कर रहे हैं। इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विदेशों में औद्योगिक संयंत्र स्थापित करने के लिए बड़े व्यापार तथा एकाधिकार गृहों द्वारा पूंजी निवेश

9140. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार एवं एकाधिकार गृह विदेशों में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक संयंत्र स्थापित करने हेतु बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि का पूंजी निवेश किया जा चुका है और एकाधिकार आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में जिन बड़े व्यापार गृहों का उल्लेख किया गया है उनमें से प्रत्येक ने पिछले दो वर्षों में विदेशों में कितने-कितने संयंत्र लगाए; और

(ग) क्या इन वर्षो में इन्होंने लाभ के रूप में भारत को कोई राशि भेजी है और यदि हां तो कितनी राशि भेजी है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारतीय उद्योगपतियों को, जिनमें बड़े-बड़े व्यापार तथा एकाधिकार गृह शामिल हैं, सामान्यतया अल्प मात्रा ईक्विटी भागीदारी के आधार पर, विदेशों में संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों में सहयोग देने की अनुमति दी जाती है।

(ख) एकाधिकार आयोग का रिपोर्ट में उल्लिखित बड़ी व्यापार संस्थाओं द्वारा वर्ष 1971 तथा 1972 में सात भारतीय संयुक्त उद्योग स्थापित किये गये हैं जिनका ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है:

सहयोग का क्षेत्र तथा देश	भारतीय सहयोगकर्ता का नाम	ईक्विटी में भारतीय निवेश (लाख रु०)
1	2	3
(1) उगांडा में पटसन मिल	बिरला जूट मैन्यू० कं० कलकत्ता।	29.20
(2) मलयेशिया में वस्त्र मिल .	बिरला ब्रदर्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता।	83.30
(3) मलयेशिया में सूक्ष्ममापी यंत्र .	गुप्ता मशीन टूल्स, कलकत्ता।	5.00
(4) मलयेशिया में विद्युतमोटर पम्प आदि।	किर्लोस्कर इलैक्ट्रिक कं०, बंगलौर।	18.40
(5) मलयेशिया में मिष्टान विनिर्माण एकक।	पैरीज़ कन्फैक्शनरी, मद्रास।	5.00
(6) मलयेशिया में साइकिलों की तथा औद्योगिक चेनें।	मुरूगप्पा एण्ड संस, मद्रास।	10.00
(7) मारीशस में डिब्बाबंदी उद्योग .	आयुर्वेद सेवाश्रम, उदयपुर।	3.30

(ग) इन संयुक्त उद्यमों से दो वर्षों की अल्प अवधि में अभी से किसी लाभ की आशा नहीं की जा सकती।

विश्व मंडी में भारतीय रेशम की मांग

9141. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** क्या : **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व मंडी में भारतीय रेशम की वार्षिक मांग का हाल ही में कोई अनुमान लगाया गया है; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ख) क्या सरकार को यह मालूम हुआ है कि भारतीय रेशम की विदेशों में भारी मांग है और यदि हां, तो केन्द्र रेशम बोर्ड द्वारा रेशम का उत्पादन बढ़ाने तथा उसके निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि भारतीय रेशम प्रतिनिधिमंडल जिसने अक्तूबर-नवम्बर 1971 के दौरान इटली, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान तथा हांगकांग में मुख्य रेशम मंडियों का दौरा किया, कहा है कि विकास शील देशों में प्राकृतिक रेशम के माल की मांग बढ़ रही है। केन्द्रीय बोर्ड ने उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:--

(1) मैसूर राज्य ने 1982 तक 35 लाख कि० ग्रा० प्रतिवर्ष का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 80 करोड़ रुपये की दसवर्षीय परियोजना शुरू की है।

(2) खाद्य तथा कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०) के सहयोग से मैसूर, जम्मू तथा कश्मीर और पश्चिम बंगाल के राज्यों में बाइबोलटाइन कच्चे रेशम का 800 मे० टन का एक द्रुतगामी कार्यक्रम विचाराधीन है।

(3) राज्य में उच्च ग्रेड बाइबोलटाइन रेशम के उत्पादन को लोकप्रिय बनाने के लिए केन्द्रीय रेशम उत्पादन गवेषणा तथा प्रशिक्षण संस्थान, मैसूर से सम्बद्ध एक विस्तार खंड का गठन करने की योजना स्वीकृत की गई है।

(4) विदेशों में भारतीय रेशम का प्रचार करने के लिए हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के साथ मिल कर लंदन में रेशम के लिए एक प्रदर्शन कक्ष खोलने की एक योजना पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(5) निर्माता-निर्यातकों को कच्चे माल की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने टसर कोयों तथा टसर वेस्ट के लिए एक 'कच्चा माल कोष' की स्थापना की है।

(6) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने कच्चे रेशम के बाजार को स्थिर बनाने के उपायों के सम्बन्ध में इसे परामर्श देने के लिए एक केन्द्रीय कच्चे रेशम को कीमत स्थिरता प्राधिकरण बनाया है।

छोटे उद्योगों द्वारा निर्मित माल के निर्यात में कमी

9142. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष छोटे उद्योगों द्वारा निर्मित माल का निर्यात निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका है ;

(ख) यदि हां, तो निर्यात में कितनी कमी रही; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ;

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चटोपाध्याय) : (क) से (ग) लघु उद्योगों के उत्पादों के लिए पृथक निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। अतः यदि कोई कमी हो, तो उसका, उसकी सीमा का और उसके कारणों का बताया जाना संभव नहीं है।

विदेशों में संयुक्त उपक्रमों में पुंजी निवेश

9143. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि बहुत से भारतीय उद्योगपतियों ने चोरी छिपे पूंजी देश से बाहर निकाल कर विदेशों में संयुक्त उपक्रमों में पूंजी निवेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगपतियों की संख्या क्या है और भारतीय पूंजी को इस प्रकार बाहर ले जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं। ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चटोपाध्याय) : (क) सरकार को इस बात का पता नहीं है कि भारतीय उद्योगपति चोरी छिपे पूंजी भारत से बाहर निकालकर विदेशों में उस का निवेश कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Short Realisation of Customs Duty

9144. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the nature and number of cases detected during 1970-71 in which the officers of Customs Department had realised lesser amount as Customs duty than what was due; and

(b) the action taken against those officers?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b). Information is being collected and will be laid on the table of the House as early as possible.

Licence for Sale of Foreign Liquor

9145. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether prior permission is required for opening foreign wine shops in Union Territories and if so, the terms and conditions thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Construction of Jodhpur Aerodrome

9146. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the time by which Jodhpur aerodrome is likely to be constructed and the total expenditure likely to be incurred thereon and the amount actually spent on it so far; and

(b) whether passengers have to face many difficulties at the aerodrome, especially due to lack of proper arrangements for entry into and exist from the aerodrome premises and if so, Government's reaction thereto?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The Civil Aviation Department has formulated plans to construct a civil enclave at Jodhpur aerodrome at an estimated cost of Rs. 13.00 lakhs. Necessary land has been transferred by the Defence atuthorities and construction is expected to start in the beginning of the next Plan period and be completed within 2 years. Construction of connecting taxi-track and apron has recently been taken up.

(b) Security restrictions at Defence aerodromes are stringent and some inconvenience to the passengers is inevitable. With the completion of the civil enclave, all normal passenger facilities will become available.

विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा कलकत्ता हवाई अड्डे से विमान सेवाओं को आरम्भ करना

9147. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कानून तथा व्यवस्था की सामान्य स्थिति को देखते हुए बहुत-सी विदेशी कम्पनियों ने कलकत्ता हवाई अड्डे से विमान सेवायें आरम्भ कर दी हैं;

(ख) लुफ्तहांसा विमान कम्पनी द्वारा गत दो वर्षों में कलकत्ता हवाई अड्डे से विमान सेवा आरम्भ न करने के क्या मूल कारण हैं; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने सभी विदेशी विमान कम्पनियों को कलकत्ता अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल भवन का बेहतर रूप से उपभोग करने के लिए पुनः एक बार सभी विदेशी विमान कम्पनियों को नये सिरे से कहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस समय सात विदेशी एयरलाइनें (अर्थात् एयरोफ्लोट, बांगलादेश बिमान, ब्रिटिश ओवरसीज़ एयरवेज़ कारपोरेशन, रायल नेपाल एयर-लाइंस कारपोरेशन, स्कैंडीनेवियन एयरलाइंस सिस्टम, थाई एयरवेज़, तथा बर्मा एयरवेज़) कलकत्ता के लिए/से होते हुए प्रति सप्ताह 54 उड़ानें परिचालित करती हैं। नवम्बर, 1972 से किसी नयी विदेशी एयरलाइन ने कलकत्ता के लिए/से होते हुए सेवाएं प्रारम्भ नहीं की हैं।

(ख) लुफ्थांजा ने अपने परिचालनों को दिल्ली के अतिरिक्त, बम्बई में एकत्रित करने के लिए अपनी मर्जी के कलकत्ता के लिए परिचालन का अपना अधिकार छोड़ दिया।

(ग) भारत सरकार विदेशी विमान कम्पनियों द्वारा उनके अधिकारों के अनुसार कलकत्ता के लिए/से होते हुए अनुसूचित विमान सेवाओं के परिचालन का स्वागत करेगी। परन्तु, इस संबंध में पहल करना संबंधित एयरलाइनों का काम है।

कलकत्ता तथा बृहत्तर कलकत्ता के क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नई शाखाएं खोला जाना

9148. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को कलकत्ता और बृहत्तर कलकत्ता क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी नई शाखायें खोलने में स्थानीय बेरोजगार युवकों द्वारा रोजगार की मांग किये जाने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में यूनियन बैंक आफ इंडिया को न्यू अलीपुर में एक शाखा खोलने में ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचार किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) कुछ बैंकों द्वारा यह सूचित किया गया है कि कलकत्ता और कलकत्ता महानगर क्षेत्रों में उन्हें अपनी नयी शाखाओं के खोलने में इस कारण कठिनाई हो रही है कि इन बस्तियों के बेरोजगार युवक यह मांग कर रहे हैं कि नयी शाखाओं में उन्हें रोजगार दियें जाएं।

(ख) जी, हां।

(ग) बैंकों ने सूचित किया है कि वे आवश्यक सहायता के लिए राज्यसरकार के पास पहुंचकर इस कठिनाई को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।

'मस्कैट' और 'सैलाला' की सीमेंट के निर्यात के लिए केवल एक फर्म को अनुमति देने के बारे में राज्य व्यापार निगम का निर्णय

9149. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने केवल एक निजी फर्म को "मस्केट" और "सैलाला" को सीमेंट निर्यात करने के लिए एकाधिकार देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं। राज्य व्यापार निगम स्वयं मश्केट, सलाला और अन्य स्थानों को सीमेंट का निर्यात कर रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीमेंट का निर्यात

9150. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश द्वारा कुछ अन्य देशों को सीमेंट का निर्यात किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो देश में सीमेंट की कमी को देखते हुए इस निर्यात का औचित्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान निर्यात उन संविदा संबंधी वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए किये जा रहे हैं जो पहले ही की जा चुकी हैं ;

कृत्रिम रेशम बुनकरों द्वारा अतिरिक्त भाड़ा प्रभारों का लिया जाना

9151. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि कुछ कृत्रिम रेशम बुनकर विक्रेता-कमीशन के रूप में अतिरिक्त भाड़ा प्रभारों तथा अन्य अतिरिक्त प्रभारों की वसूली कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) सरकार को नायलन कत्तिनों द्वारा अतिरिक्त भाड़ा प्रभारों का वसूली के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि, संश्लिस्ट रेशम उद्योग एसोसियेशन ने इन आरोपों का खंडन किया है। चूंकि कत्तिनों तथा बुनकरों के बीच एक स्वैच्छिक करार है, जिसके अन्तर्गत रेयन फिलामेंट धागे, विस्कोस स्टेपल फाइबर स्पन धागे तथा नायलन धागे का कीमत शामिल है अतः यह आशा की जाती है कि भाड़ा वृद्धियों आदि की समस्यायें उनके बीच हुए स्वैच्छिक करारों की रूपरेखा के भीतर दोनों पक्षकारों द्वारा तय कर ली जाएंगी।

इण्डियन मर्केन्टाइल इंश्योरेंस कम्पनी लि० बम्बई के विकास विभाग के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति

9152. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा उद्योग में 60 वर्ष की आयु नें विकास कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति और विभाग के कर्मचारियों को दिये गये नोटिस के सम्बन्ध में "इण्डियन मरकैंटाइल इन्श्योरेंस, कम्पनी लिमिटेड, बम्बई," के विकास विभाग की ओर से दिनांक 20 मार्च, 1973 का एक तार उन्हें प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उस तार का सारांश क्या है ;

(ग) क्या "इण्डियन मरकैन्टाइल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई" के विकास विभाग के हक में कोई निर्णय हुआ है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) सेवा-निवृत्ति की आयु के मामले में विकास कर्मचारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों के बीच भेदभाव का आरोप :

(ग) और (घ) स्थिति की जांच की जा रही है।

घातक कार दुर्घटनाओं में मुआवजा देने के बारे में अपनाई गई प्रक्रिया

9153. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बाद घातक कार दुर्घटनाओं के उन मामलों में, जहां यह राशि 10,000/- रुपये से अधिक की है, मुआवजा देने के बारे में एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है; और यदि हां तो पहले अपनाई गई प्रक्रिया क्या थी और अब इसमें क्या परिवर्तन किये गये हैं;

(ख) क्या अपनाई गई इस नई प्रक्रिया से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के रिश्तेदारों को भारी कठिनाई हो रही थी; और

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा गत 10,000/- रुपये की राशि से अधिक के कितने मामले निपटाए गये हैं और गत वर्ष बीमा प्राधिकारियों द्वारा कितने मामलों में अपील की गई ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और उपलब्ध होते ही सदन पटल पर रख दी जाएगी।

भारत की अर्थ-व्यवस्था के बारे में "इकाफे" का प्रतिवेदन

9154. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इकाफे" के हाल ही में प्रकाशित हुये एक सर्वे प्रतिवेदन के अनुसार, भारत में रोजगार, भूमि सुधारों, कृषि तथा धन एवं आय के समान वितरण की सभी द्रुत योजनायें असफल हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इन निष्कर्षों पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जनवरी 1973 में एशिया तथा दूर-पूर्व के आर्थिक सर्वेक्षण का जो प्रारम्भिक मसौदा तैयार किया गया था, उसमें रोजगार, भूमि-सुधार कृषि तथा आय और धन के समान वितरण के सम्बन्ध में द्रुत प्रभावी आयोजना (क्रैश प्लान) का कुछ उल्लेख किया गया है। यद्यपि मसौदे में कुछ पहलूओं में धीमी प्रगति का कुछ अस्पष्ट सा उल्लेख किया गया है किन्तु सर्वेक्षण में यह नहीं बताया गया है कि ये कार्यक्रमों असफल रहे हैं।

(ख) सरकार का ऐसा मत है कि कृषि तथा भूमि सुधार के क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई है। ग्रामीण रोजगार के लिये द्रत प्रभावी योजना के सम्बन्ध में रोजगार लक्ष्य पूरे किए जा रहे हैं।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पंजीकरण के लिए यात्रा एजेंटों से प्राप्त आवेदनपत्रों पर फीस लगाने का प्रस्ताव

9155. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री-यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का विचार भावी यात्रा एजेंटों को उनके पंजीकरण तथा मान्यता देने के लिए उनसे प्राप्त आवेदन-पत्रों पर फीस लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कार्यवाही से क्या लाभ प्राप्त होंगे ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इण्डियन एयरलाइंस को व्यापक जांच कार्य करना पड़ता है जिसमें काफी व्यय होता है । इसकी अंशपूर्ति के लिए, इण्डियन एयरलाइंस ने निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भावी यात्रा अभिकर्ताओं से शुल्क लेने का निर्णय किया है :—

(i) आवेदन शुल्क;

(ii) पंजीकरण शुल्क; तथा

(iii) वार्षिक शुल्क ।

वर्तमान अभिकर्ताओं को केवल (iii) की ही अदायगी करनी पड़ेगी ।

चीनी पर उत्पाद शुल्क

9157. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) लेवी की चीनी और खुली बिक्री की चीनी पर उत्पादन शुल्क निर्धारित करने की क्या प्रक्रिया अपनाई गई है और लेवी की चीनी और खुली बिक्री की चीनी पर प्रति क्विन्टल कितना शुल्क लगता है;

(ख) प्रत्यक्ष जांच के अभाव में मंत्रालय कारखानों द्वारा बताए गए आंकड़ों की जांच किस वैकल्पिक पद्धति से करता है; और

(ग) क्या तमिलनाडु की चीनी मिलों में 1971-72 के मौसम के दौरान कोई अचानक जांच की गई थी । यदि हां, तो प्रत्येक कारखाने में कितनी बार जांच की गई और क्या उक्त जांचों के दौरान कोई असंगति दृष्टिगत हुई है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) चीनी पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मूल्यानुसार आधार पर लगाया जाता है । सामान्यतया कारखाना गत थोक नकद मूल्य निर्धारित करना होता है और उसके बाद उस पर शुल्क की रकम का हिसाब लगाना होता है । परन्तु, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 के अधीन खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी के लिए टैरिफ मूल्य नियत किये गये हैं । लेवी चीनी के मूल्य, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन नियत किए जाते हैं । वर्तमान में खुले बाजार में बिक्री की चीनी के लिए टैरिफ मूल्य तथा शुल्क की दर 255 रु० प्रति क्विन्टल है तथा क्रमशः 24 प्रतिशत मूल शुल्क और 6 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क है । लेवी चीनी के लिये नियत किया गया मूल्य अलग-अलग ग्रेड के लिए अलग-अलग हैं तथा अलग-अलग क्षेत्र के लिए भी अलग-अलग हैं । लेवी चीनी के लिए शुल्क की दर 20 प्रतिशत मूल शुल्क और 6 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क रखी गई है ।

(ख) उत्पादन की तथा चीनी कारखानों द्वारा की गई निकासी की मासिक विवरणी, जिसके साथ संबंधित महीने में जारी किये गये प्रत्येक निकासी दस्तावेज की प्रति तथा कारखाने द्वारा नामे खाते

डाले गए शुल्क के विवरण संबंधी उद्धरण संलग्न हो, की जांच करना नियंत्रण रखने का एक मुख्य तरीका है। इसके अतिरिक्त, चीनी कारखानों से प्राप्त विशेष विवरणियों के जरिये, योग्य कर्मचारियों द्वारा, गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी के प्रति अनुपात पर भी निगरानी रखी जाती है। इसके अलावा, अधिकारियों का एक ऐसा दल (निरीक्षण दल) सामान्यतया छः महीने में एक बार प्रत्येक कारखाने का निरीक्षण करता है जो कच्चे माल की अवस्था से लेकर उत्पादन की अवस्था तक और तैयार माल की निकासी मे सम्बन्धित कारखाने के सभी रिकार्डों की जांच पड़ताल करता है। जब कभी आवश्यक समझा जाता है, निवारक अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जांच पड़ताल की जाती है।

(ग) निरीक्षण दलों द्वारा छः माही निरीक्षण किये जाने के अतिरिक्त, पांच कारखानों को छोड़कर तमिलनाडु में शेष सभी कारखानों के संबंध में कम से कम एक बार आकस्मिक जांच पड़ताल की गई थी। इस संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है कि इन कारखानों की ठीक-ठीक कितनी बार आकस्मिक जांच पड़ताल की गई है। जिन चीनी कारखानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया उनमें से किसी में भी कोई असंगति नहीं पायी गई।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आन्तरिक लेखा परीक्षा पद्धति का आरम्भ किया जाना

9158. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों में आन्तरिक लेखा परीक्षा पद्धति आरम्भ की जा चुकी है तथा किन में अभी आरम्भ की जानी है ?

(ख) इस पद्धति की सभी उपक्रमों में आरम्भ करने के लिए कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) कितने उपक्रमों में आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभाग सी० एण्ड ए० सी० के कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारियों के अन्तर्गत रखे गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) सरकार ने आन्तरिक लेखापरीक्षा की कुशल प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए 1968 में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये थे। इस सम्बन्ध में सरकारी उद्यमों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की प्रगति पर नजर रखने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों से भी अनुरोध किया गया था। कम्पनियों के लेखापरीक्षक भी आन्तरित लेखा परीक्षा प्रणालियों का लगातार मूल्यांकन करते हैं। यद्यपि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय के कुछ अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं परन्तु उनको लगाने का काम सम्बन्धित प्रबन्ध पर छोड़ दिया जाता है। ऐसी सम्भावना है कि कुछ प्रतिनियुक्ति अधिकारियों को आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रभागों में लगाया गया है। निम्नलिखित कम्पनियों में आन्तरिक लेखा परीक्षा की कोई प्रणाली नहीं थी।

1. साम्भर साल्टस लि०,
2. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०
3. फिल्म वित्त निगम लि०,
4. भारतीय चलचित्र निर्यात निगम लि०

5—349LSS|73

5. भारतीय पर्यटन विकास निगम लि०
6. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०
7. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
8. भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम
9. टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
10. हिन्दुस्तान ज़िंक लि०

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में लघु उद्योगों को दिया गया ऋण

9159. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री 6 अप्रैल 1973 के अताराँकित प्रश्न सं० 6340 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने बिहार में अगस्त 1969 से लेकर अब तक कितने लघु उद्योगों को, जिलावार कितनी राशि दी है और चालू वित्तीय वर्ष के लिये तत्संबंधी योजनाएं क्या हैं ।

(ख) क्या ईंट भट्टा उद्योग, जूते बनाने कृषि उपकरणों आदि के लिये, जिनके लिये कच्चे माल व माल तैयार करने वालों की कोई कमी नहीं है, ऋण दिये जा रहे हैं अथवा दिये जाने हैं; यदि हां, तो कितनी; राशि के; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) लघु उद्योगों के अग्रिम प्राप्त करने वाले के संबंध में जिला वार सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी। प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा दिए गए अग्रिमों की सूचना संलग्न विविरणों में दी गयी है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ?

विवरण

सरकारी क्षेत्र में बैंकों द्वारा बिहार में लघु उद्योगिक एककों को दिये गये अग्रिम

(लाख रुपयों में)

बैंक का नाम	जून 1969		सितम्बर 1972*	
	एककों की संख्या	बकाया रकम	एककों की संख्या	बकाया रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
स्टेट बैंक आफ् इंडिया	369	118.48	1243	531.69
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	6	5.42	34	14.55
इलाहाबाद बैंक	15	11.04	53	26.60
बैंक आफ बड़ौदा	21	10.73	148	92.63

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बैंक आफ इंडिया	20	11.60	79	19.16
कनारा बैंक	19	2.47	61	24.70
सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	70	102.16	312	238.30
देना बैंक	—	—	7	29.84
इंडियन बैंक	—	—	1	0.03
इंडियन ओवरसीज बैंक	—	—	—	—
पंजाब नेशनल बैंक	33	25.47	54	27.43
सिण्डीकेट बैंक	—	—	—	—
यूनियन बैंक आफ इंडिया	8	3.61	41	17.27
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	12	2.40	130	43.90
यूनाइटेड कामर्शियल बैंक	39	30.63	177	65.91
बैंक आफ महाराष्ट्र	—	—	1	0.01

*आंकड़े अनन्तिम हैं

ब्याज की प्राथमिकता दरों की योजना के अन्तर्गत बिहार के जिलों को दी गई धनराशि

9160 **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या वित्त मंत्री 6 अप्रेल, 1973 के तारांकित [प्रश्न] संख्या 648 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्याज की प्राथमिकता दरों की योजना के अन्तर्गत बिहार के कौन-कौन से जिले आते हैं; और

(ख) अब तक कितने लोगों को धनराशि दी गई है और जिलावार कितनी धनराशि की मांग की गई थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : ब्याज की रियायती दरों की योजना अब बिहार के इन जिलों में लागू है।

पिछड़े जिले	लघु कृषक विकास अभिकरण/सीमांतिक कृषक कृषि श्रमिक अभिकरण
1. भागलपुर	7. सारन
2. दरभंगा	8. चम्पारन
3. मुजफ्फरपुर	9. पूर्णिया
4. पलामू	10. पटना
5. सहरसा	11. रांची
6. संथाल परगना	12. शाहाबाद

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सामान्य बीमा जोनल निगमों को सार्थक बनाना

9161. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि सामान्य बीमा जोनल निगम प्रणाली ग्राहकों के लिए सहायक सिद्ध नहीं हुई; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जोनल निगमों को सार्थक बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

फालतू प्राकृतिक रबड़ का निर्यात

9162. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के रबड़ विक्रेता संघ ने सरकार से देश में उपलब्ध फालतू प्राकृतिक रबड़ का निर्यात्त करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) यदि रबड़ डीलर्स एसोसिएशन आफ कैन्नानोर, कालीकट, मालापुरम् और पालघाट ने अन्य बातों के साथ साथ भारत से अतिरिक्त रबड़ के निर्यात का सुझाव दिया है।

(ख) दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया और रबड़ बोर्ड, कोट्टायम से भारत से प्राकृतिक रबड़ निर्यात करने की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए कहा गया है।

Need for Fast Moving Launches and Anti-smuggling Equipment to detect cases of Smuggling

9163. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the Public Account Committee has observed that despite repeated requests made by it, high speed boats and anti-smuggling equipment which would help in apprehending the smugglers, have not been provided to the Custom Departments and

(b) if so, the reasons therefor and whether Government are going to make such arrangements and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The Public Accounts Committee in their 43rd Report April 1972, desired that "the Ministry should ensure that the preventive net work is strengthened by providing the requisite anti-smuggling equipment and staff with necessary powers and that an early decision should be taken by the Government on the report of the Study Group set-up by the Cabinet Secretariat regarding the requirement of launches" Further in their 71st Report February 1973, the Committee observed as follows :—"The Committee would like to impress upon the Government that the final selection of the type of boats suitable for anti-smuggling measures and their supply in adequate number, as also provision of anti-smuggling equipment and staff with necessary powers should be made expeditiously."

(b) As pointed out in the replies give by the Ministry in respect of paras 1·29 and 1·30 of the 43rd Report of the Public Accounts Committee, the recommendations of the Study Group

set up by the Cabinet Secretariat on the acquisition of suitable crafts for anti-smuggling operations were examined in detail by the Government and as per those recommendations, the then Managing Director of M/s. Garden Reach Workshop was requested to select suitable boats in consultation with the Central Board of Excise and Customs and submit his recommendations for Government's approval. Since then, in response to the enquiries projected by the Garden Reach Workshop with foreign builders of sea going crafts, technical particulars of the crafts built by some foreign yards have been received and are being scrutinised by them.

As regards other equipment needed for anti-smuggling work, the requirement of such equipment are reviewed from time to time and in view of the observations of the Public Accounts Committee. the requirements of anti-smuggling equipment are being reviewed again.

Steps to put a stop on Strikes by Employees in the Civil Aviation Department

9164. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation will be pleased to state :

(a) whether the employees of Civil Aviation Department under his Ministry generally remain on strike;

(b) whether the Civil aviation Department has to incur heavy loss to the tune of crores of rupees as a result thereof; and

(c) if so, the steps being taken by Government to put a stop to these strikes?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

Aeroplane Spares Imported during 1971-72

9165. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether various kinds of aeroplane-spares have been imported from foreign countries during the year 1971-72; and

(b) if so, the types of spares with amount of foreign exchange involved and the steps taken to make the country self sufficient in this respect?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) A large variety of spares required for the maintenance, overhaul and repair of imported aircraft, their engines and accessories used in this country for civil aviation have to be imported. Director General, Civil Aviation recommended imports of the value of Rs. 8.35 crores to various operators in the country during the year 1971-72. While indigenous manufacture is continuously encouraged this can reduce imports only to a limited extent; many of the sophisticated items are required in quantities that would not justify the high engineering cost of development and manufacture within the country.

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा 1972 के दौरान अन्य वायु सेवा कम्पनियों की ओर से उड़ानें भरने के परिणामस्वरूप अर्जित विदेशी मुद्रा

9166. श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइंस ने वर्ष 1972 के दौरान अन्य वायु सेवा कम्पनियां की ओर से उड़ानें भरने के लिए उनसे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की ;

(ख) निगम द्वारा उन उड़ानों पर किए गए व्यय को देखते हुए क्या निगम को उन पर कोई हानि हुई अथवा लाभ; और

(ग) यदि हानि हुई है, तो हानि की राशि की वसूली के लिए क्या उपाय किए जाने हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1972-73 के दौरान इण्डियन एयरलाइंस को अन्य एयरलाइनों से, जिनकी उड़ानों का संचालन उनके द्वारा किया गया, विदेशी मुद्रा की कुल आमदनी लगभग 13.50 लाख रुपये हुई।

(ख) इण्डियन एयरलाइंस द्वारा उन उड़ानों के संचालन के लिये किये गये व्यय को भी ध्यान में रखते हुए कारपोरेशन को लाभ हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कनाडा से ऋण

9167. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान कनाडा से कुल कितनी राशि के ऋण प्राप्त हुए;

(ख) इस राशि में से कितने धन का अब तक उपयोग हुआ है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कनाडा से प्राप्त हुए ऋण की सहायता से कौन-सी परियोजनाएं शुरू की जायेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) तथा (ग) 1972-73 में कनाडा की सरकार के साथ हस्ताक्षरित ऋण करारों की कुल रकम 52.39 करोड़ रुपये (7.484 करोड़ केनाडी डालर) है। इन ऋणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

शीर्षक	दिनांक	रकम करोड़ रुपयों में	रकम लाख कनाडी डालरों में
1. वस्तु/उर्वरक ऋण	10-6-72	35.00	500.00
2. काण्डला बन्दरगाह में भारी मात्रा में उर्वरकों के उठाने धरने की सुविधा	2-8-72	0.49	7.0
3. हल्दिया बन्दरगाह में भारी मात्रा में उर्वरकों के उठाने धरने की सुविधा	23-11-72	1.33	19.0
4. तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज तथा विकास	2-2-73	2.10	30.0
5. देहरादून में दूसरा उपग्रह संचार भू-केन्द्र (समुद्र-पारीय संचार सेवा)	30-12-72	1.22	17.40
6. पोलीब्यूटेडियन कृत्रिम रबड़ संयंत्र (इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि०) बड़ौदा।	16-3-73	5.25	75.0
7. ऋण (दूसरी किस्त) (सामान्य उद्योगों के लिये उपकरण, फालतू पुर्जे तथा सेवाओं की उपलब्धि के लिए)	31-3-73	7.00	100.00
जोड़		52.39	748.40

(ख) 52.39 करोड़ रुपये (7.484 करोड़ कनाडी डालर) में से 26.21 करोड़ रुपये (3.744 करोड़ कनाडी लाडर) के आर्डर दिये जा चुके हैं। इन ऋणों के अन्तर्गत कुल 18.77 करोड़ रुपये (2.681 करोड़ कनाडी डालर) की राशि निकाली गई है।

विमान यातायात को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए संगणक

9168. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय ने विमान यातायात को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना सुनिश्चित करने के लिए किन्हीं विशेष प्रयोजनार्थ संगणकों (स्पेशल पर्पज कम्प्यूटर) का आर्डर दिया है;

(ख) यदि हां, तो किस देश को यह आर्डर दिया गया है; और

(ग) इन संगणकों पर कुल कितना व्यय किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) लेखाविधि तथा आरक्षण के लिए इंडियन एयरलाइंस तथा एयरइंडिया के पास पहले ही कुछ कम्प्यूटर हैं। और कम्प्यूटरों के लिए आदेश नहीं दिये गये हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

सामान्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कर्मचारियों (फील्ड वर्कर्स) द्वारा एक ज्ञापन दिया जाना

9169. **श्री वसन्त साठे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा-निगम के क्षेत्रीय कर्मचारियों (फील्ड वर्कर्स) ने प्रबन्ध निदेशक को एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने अपनी सेवा शर्तों के सम्बन्ध में न्याय की मांग की है।

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन मांगों पर विचार किया है और यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां।

(ख) क्षेत्रीय कर्मचारियों की मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :—

(i) 60 वर्ष की आयु के बाद भी सेवा में रहने दिया जाय।

(ii) बैंकों की एजेंसी को समाप्त करना।

(iii) बीमा करने की एक रूप नीति।

(iv) अधिकार/शक्ति का विकेन्द्रीकरण।

(v) सेवा-शर्तों का मानकीकरण।

(vi) 1972 के लिए एक रूप वेतन वृद्धियां तथा बोनस, और

(vii) विचाराधीन समस्याओं का शीघ्र समाधान।

(ग) स्थिति की छानबीन की जा रही है।

'एस० बी० आई० चीफ फार बैंक रेट हाइक' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार पर सरकार की प्रतिक्रिया

9170. **श्री वसंत साठे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मार्च, 1973 के 'इकानामिक टाइम्स' के पृष्ठ एक, कालम 6 पर 'एस० बी० आई० चीफ फार बैंक रेट हाइक' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने यह समाचार देखा है और यह उसके ध्यान में है।

रूई के उचित मूल्य की सिफारिश करने के लिए समिति गठित करना

9171. **श्री वसंत साठे** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूई के उचित मूल्य का अध्ययन करने और सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की है :

(ख) क्या इस समिति ने रूई के मूल्य संबंधी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी;

(ग) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं; और

(घ) यदि नहीं तो इस समिति द्वारा रिपोर्ट को कब तक पेश किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

चुने हुए पण्य निर्यात गृहों द्वारा "कैनेलाइजिंग एजेंटों" के रूप में कार्य करना

9171. **श्री राम प्रकाश** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार चुने हुए पण्य निर्यात गृहों को "कैनेलाइजिंग एजेंटों" के रूप में नाम निर्देशित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) सरकार ने मार्गीकरण नीति के संदर्भ में व्यापारिक निर्यात सदनों के योगदान के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। समिति ने अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इस संबंध में निर्णय समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद किया जाएगा।

राज्यों के बकाया ऋणों को बट्टेखाते डालना

9173. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्यों के बकाया ऋणों को बट्टे खाते डाल दिया गया है;

(ख) यदि हां तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके ऋणों को बट्टे खाते डाला गया है; और

(ग) प्रत्येक मामले में ऋण की बट्टे खाते डाली गई राशि क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के कार्यकरण की जांच

9174. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में पिछले दिसम्बर में हड़ताल हुई है;

(ख) क्या हड़तालियों ने भ्रष्टाचार तथा भाई-भतीजावाद की शिकायतें की थीं;

(ग) क्या उक्त संस्थान के कार्यकरण के संबंध में कोई जांच की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो क्या इस बारे में जांच करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यूनियन ने एक मांग-पत्र पेश किया था जिसमें रहने के आवास तथा सुविधाओं की व्यवस्था, पदोन्नति के मार्ग, कर्मचारियों को स्थायी करना आदि मांगे शामिल थीं। मांग-पत्र में भाई-भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार का कोई उल्लेख नहीं था। संस्थान के शासकीय निकाय ने इन मांगों पर गौर करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी तथा तत्पश्चात् संस्थान प्राधिकारियों और यूनियन में एक समझौता हो गया जो कि 1 जनवरी, 1975 तक वैध है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता

9175. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को, वर्षवार एवं बैंकवार कितना समयोपरि भत्ता दिया गया; और

(ख) राष्ट्रीयकरण से दो वर्ष पूर्व इन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष-वार तथा बैंकवार अपने कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 1967 से 1972 तक प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये गये समयोपरि भत्ते का एक वर्ष-वार विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 4963/73]।

'लीड' बैंक योजना की क्रियान्विति में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनुभव की गयी कठिनाइयां

9176. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "लीड" बैंक योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनुभव की गयी कठिनाइयों को इस बीच दूर कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) लीड बैंक योजना को क्रियान्वित करने के लिए बैंक संबंधी सुविधाओं का विस्तार करने और विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को

ऋण के प्रवाह में तेजी लाने के लिए भी जिले में स्थिति विभिन्न बैंकों के बीच सतत समन्वित कार्रवाही की आवश्यकता होती है। इस योजना के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में उपत्न होने वाली समस्याओं पर काबू पाने के लिए समय समय पर कार्रवाही की जाती है।

अखिल भारतीय शान्ति परिषद् द्वारा "पी" प्रपत्रों के लिए दिए गए आवेदनपत्र और विदेशी मुद्रा के नियतन की जांच

9177. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय शान्ति परिषद् ने बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और गोष्ठियों में शिष्टमण्डलों को भेजने हेतु भारतीय शिष्टमण्डलों के लिए बहुत से जाली आमन्त्रण-पत्र तैयार किये थे;

(ख) क्या इन आमन्त्रण-पत्रों के आधार पर उन्हें "पी" प्रपत्र और विदेशी मुद्रा दी गई थी; और

(ग) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय शान्ति परिषद् की ओर से अपने शिष्टमण्डलों की विदेशों की यात्रा के लिए "पी" प्रपत्र ओर विदेशी मुद्रा के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) अखिल भारतीय शान्ति परिषद्, समय समय पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, बैठकों आदि में भाग लेने के लिए प्रतिनिधिमण्डल भेजने के प्रस्ताव भेजती है। इन सभी मामलों में "पी" फार्म की मंजूरी तभी दी जाती है जब संस्थागत आतिथ्य आदि की उपलब्धता के बारे में सामान्यतः जांच पड़ताल कर ली जाती है। सरकार द्वारा की गयी जांच पड़ताल से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अखिल भारतीय शान्ति परिषद् जाली निमन्त्रणों के आधार पर प्रतिनिधिमण्डल भेजती रही है।

तीसरे वेतन आयोग के सदस्यों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर खर्च की गई राशी

9179. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरे वेतन आयोग के सदस्यों के यात्रा भत्ते ओर दैनिक भत्ते के रूप में सरकार द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) तृतीय वेतन आयोग पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 0.31 लाख रुपये।

(ख) 31-3-1973 तक 64.36 लाख रुपये (जिसमें वर्ष 1972-73 की वे खाते नामें रकमें शामिल नहीं हैं जिनका निपटारा नहीं हुआ है।)।

पर्यटन की दृष्टि से लक्कादीव द्वीप समूह को विकसित करने का प्रस्ताव

9180. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कादीव द्वीपसमूह में कुछ द्वीपों को पर्यटन द्वीपसमूह के रूप में विकसित करने के कुछ प्रस्ताव हैं ;

(ख) क्या कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों और पर्यटक एजेंसियों से सम्बद्ध कुछ पर्यटन विकास विशेषज्ञों ने इन द्वीपों का दौरा किया है और अपने प्रस्तावों को भेजा है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर सरकार कब कार्य शुरू कर देगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) लक्षद्वीप द्वीपसमूह के संभावित पर्यटन आकर्षण को दृष्टि में रखते हुये, पर्यटन विभाग ने दो सर्वेक्षण दलों का आयोजन किया था। प्रथम दल में यात्रा-परिचालक और पर्यटन विभाग का एक प्रतिनिधि था तथा दूसरे दल में यात्रा परिचालकों के अतिरिक्त एयर-इण्डिया, भारतीय जहाजरानी निगम तथा पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे, जिन्होंने मार्च, 1973 में इन द्वीप समूहों की यात्रा की। एक अन्तरिम रिपोर्ट की, जो हाल ही में प्राप्त हुई है, जांच की जा रही है।

इण्डियन एयरलाइंस द्वारा किरायों में वृद्धि

9181. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
श्री विभूति मिश्र } : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स के प्रबन्धकों ने घरेलू रूटों में किरायों में 5 प्रतिशत वृद्धि को बनाए रखने का निश्चय किया है ;

(ख) यह निर्णय कहां तक न्यायोचित है जबकि सरकार ने बंगला देश शरणार्थी सहायता शुल्कों को समाप्त करने के परिणामस्वरूप अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है; और

(ग) इंडियन एयर लाइन्स के प्रबन्धकों के निर्णय पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) **इंडियन एयरलाइन्स ने केन्द्रीय सरकार की अनुमति से 1 अप्रैल, 1973 से यात्री किराये 5 प्रतिशत बढ़ा दिये हैं। यह वृद्धि उनकी परिचालन लागतों के विभिन्न पहलुओं में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण आवश्यक हो गयी थी।**

अमरीका द्वारा विकासशील देशों को सामान्य व्यापार प्राथमिकताएं समाप्त करने की धमकी देना

9182. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी प्रशासन ने हाल ही में विकासशील देशों को यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि यूरोपीय साझा मण्डी के साथ उनके व्यापार करार अमरीकी माल के विरुद्ध भेदभाव बरतते हैं तो उन्हें अमरीका से सामान्य व्यापार प्राथमिकताएं प्राप्त करने की आशा नहीं करनी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो अमरीका द्वारा यह धमकी किस विशिष्ट संदर्भ में दी गई थी ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) : ऐसा पता चला है कि ट्रेड रिफोर्म बिल, 1972 को पुरःस्थापित करते समय, अमरीकी राष्ट्रपति, ने कहा था कि इस विधेयक के अन्तर्गत विकासशील देशों के जिन चुने हुए उत्पादों की व्यवस्था की गई है उनके संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा दी जाने वाली प्रशुल्क तरजीही उन विकासशील देशों को उपलब्ध नहीं होगी जो अन्य औद्योगिक राष्ट्रों के पक्ष में अमरीकी उत्पादों के साथ भेदभाव वरतते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अमरीकी राष्ट्रपति का वक्तव्य मुख्यतः उन विकासशील देशों के विरुद्ध है, जो अधिमान्य व्यापार प्रबंधों के अन्तर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय को प्रशुल्क-तरजीही प्रदान करते हैं।

मई, 1971 में बुडापेस्ट असेम्बली में भाग लेने के लिए अखिल भारतीय शान्ति परिषद् द्वारा भेजे गया प्रतिनिधिमण्डल

9183. **श्री समर गुह** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1971 में बुडापैस्ट पीस असैम्बली में भाग लेने के लिए अखिल भारतीय शान्ति परिषद् ने लगभग 40 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल भेजा था ;

(ख) क्या मैसर्स साहा एण्ड राय (प्रा०) लि० दिल्ली के माध्यम से वापसी टिकट खरीदे गये थे ;

(ग) क्या प्रतिनिधि-मण्डल के सभी सदस्यों ने बुडापैस्ट जाने और आने—दोनों और "एयरोफ्लोट" नामक रूसी विमान कम्पनी के विमान से यात्रा की थी; और यदि हां, तो क्या मैसर्स साहा एण्ड राय, नई दिल्ली ने धन राशि की वापस अदायगी कर दी थी ;

(घ) क्या मैसर्स साहा एण्ड राय ने विमान-यात्रा की टिकटें बिल्कुल नहीं खरीदी थीं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सारे मामले की जांच करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मास्को तक एक तरफ की टिकटें अखिल भारतीय शान्ति परिषद् द्वारा बुक करवायी गयीं थीं। चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा व्यय सहित सारा व्यय, निमंत्रण देने वालों द्वारा उठाया गया था, इसलिये यात्रा किराये की इस्तेमाल न की गई रकम यात्रा एजेंसी द्वारा वापस कर दी गई थी।

(ङ) चूंकि इन लेनदेनों में विदेशी विनियमों के उल्लंघन का कोई प्रत्यक्ष मामला नहीं दिखायी देता, इस लिये जांच करवाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

समाजवादी देशों के साथ व्यापार साझेदारी

9184. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काफी देर से समाजवादी देशों के साथ किए जाने वाली व्यापार साझेदारी के ढंग में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार का परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) किन परिस्थितयों के कारण इन परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ी ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) से (ग) : जिन समाजवादी देशों के साथ हमारे विशेष व्यापार तथा भुगतान करार हैं उनके साथ व्यापारिक संबंधों की पद्धति में परिवर्तन करने की प्रस्थापना नहीं है। वास्तव में सरकार की नीति यह है कि इस संबंध को और अधिक सुदृढ़ और विस्तृत बनाया जाए।

Decline in the Production of Tea

9185. **Shri Shrikrishna Agrawal :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the production of tea has fallen during the recent years;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government in this regard?

The Minister of Commerce (Shri D. P. Chattopadhaya) : (a) The production of tea in India has been on increase during the last three years as will be noticed from the following figures :

Year	Figures in million kgs.
1970	418·32
1971	433·32
1972	452·52

(b) & (c) Do not arise.

विदेशों में हथकरघा वस्त्रों की बढ़ती हुई मांग

9186. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में खादी और हथकरघा वस्त्रों की बढ़ती हुई मांग पर गंभीरता से विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान व्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या प्रस्ताव है ;

(ग) क्या सरकार का विचार मनीपुर और मद्रास जैसे दक्षिणी राज्यों के हथकरघा उत्पादों की निर्यात संभावनाओं की जांच करने का है ;

(घ) क्या इस वर्तमान व्यवस्था में हथकरघा उत्पादों और खादी के मामलों में विभिन्न राज्यों की संभावनाओं को ध्यान में रखा गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तुलीहाल हवाई अड्डे पर रात के समय विमान के उतरने की सुविधाएं और तेल भरने का प्रबन्ध करना

9187. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इम्फाल के तुलीहाल हवाई अड्डे पर विमान के उतरने की

सुविधायें और तेल भरने की व्यवस्था न होने से इस क्षेत्र में उड़ानों का संचालन करने वाली एजेंसियों को भारी असुविधा हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस असुविधा को दूर करने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है; और

(ग) क्या इम्फाल में हवाई अड्डा नियंत्रण प्राधिकरण ने इस बारे में सरकार को कोई सुझाव दिये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी सार क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नागर विमानन के महानिदेशक को ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

इम्फाल और दीमापुर के बीच इंडियन एयरलाइन्स की नियमित उड़ानें शुरू करना

9188. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल और दीमापुर के बीच इंडियन एयरलाइंस की नियमित उड़ानें शुरू की जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसमें कितनी सीटों की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स ने 1 मई, 1973 से कलकत्ता/सिल्चर/इम्फाल/दीमापुर सैक्टर पर फौकर फ्रैण्डशिप विमान द्वारा, जिसमें 35 व्यक्तियों के बैठने का स्थान है, सप्ताह में तीन बार की नियमित उड़ानें प्रारम्भ कर दी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भुवनेश्वर में एक होटल बनाने का निर्णय

9189. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटकों को आवास देने के लिये भुवनेश्वर में एक होटल बनाने का निर्णय किया है जिससे उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो लिये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख)--सरकार का भुवनेश्वर में फिल्हाल होटल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि भारत पर्यटन विकास निगम का अपने वर्तमान 12 कमरों के यात्री लाज में 15 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 25 और कमरों की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। पर्यटन विभाग का भी पुरी में 3·08 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक युवा होस्टल खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग ने निजी क्षेत्र में 29 कमरों की एक होटल प्रायोजना का अनुमोदन किया है ।

उड़ीसा के बालासोर जिले में भण्डारी, पोखरी, तिहिडी, खेरा, नीलगिरि, बंट और भद्रक में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलना

9190. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासोर जिले (उड़ीसा) में भण्डारी, पोखारी, तिहिडी, खेरा, नीलगिरी, बंट और भद्रक में राष्ट्रीयकृत बैंकों की छः और शाखाएं खोलने का निर्णय किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो इन शाखाओं को खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख): यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का दिसम्बर 1970 से नीलगिरी में कार्यालय है। आशा है कि यह बैंक जून 1973 के अन्त तक तिहिडी में भी कार्यालय खोलेगा। बाकी पांच केन्द्रों में से केवल एक केन्द्र अर्थात खेरा में कार्यालय खोलना स्थगित कर दिया गया है जिसका कारण सम्बद्ध बैंक के प्राथमिकता संबंधी आय दायित्व हैं।

सार्वजनकि उपक्रमों के चेयरमैन की नियुक्ति के लिए शर्तें

9191. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उपक्रमों के चेयरमैन की नियुक्ति के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा शर्तें निर्धारित की गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनके निर्धारण का मापदण्ड क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर गणेश) : (क) और (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य सरकारी उपक्रम में चेयरमैनों को मिलने वाले पारिश्रमिक, भत्तों तथा अन्य अनुलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं। ये इस प्रकार निर्धारित किये गये हैं :

अर्धकालिक चेयरमैन जो अब व्यापार व्यवसाय में कार्यरत हैं अथवा सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिनके साधारणतः आय के अन्य साधन हैं, उनका पारिश्रमिक अन्य गैर-सरकारी सदस्यों की तरह साधारण बैठक शुल्क, यात्रा-भत्ता तथा आकस्मिक व्यय तक ही सीमित है।

सार्वजनिक जीवन से लिये गये अर्धकालिक चेयरमैनों को 1000 रुपये मासिक का समेकित मानदेय या मुख्यालय में ठहरने के दिनों में संसद के सदस्यों को मिलने वाला निर्धारित दर पर दैनिक भत्ता इसके अतिरिक्त बोर्ड की बैठकों के सम्बन्ध में बैठक शुल्क मिलता है जिसकी अधिकतम सीमा 1000 रुपये प्रतिमास तक से अधिक नहीं हो सकती है। उनको यात्रा भत्ता, चिकित्सा लाभ, कम्पनी की कार का निजी कार्यों के लिये प्रयोग (वसूली को निर्धारित मासिक दरों पर भुगतान करने पर और 500 किलोमीटर की सीमा तक) और टेलीफोन जैसा कि कम्पनी के एक उच्चतम अधिकारी को मिलता है तथा मुफ्त आवास भी जो कि वे वेतन सूचि की 35 प्रतिशत अधिकतम किराया सीमा तक जैसा कि कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक और कार्यालय में सचिवालय सहायकों को मिलता है।

पूर्णकालिक सरकारी निकायों के चेयरमैन चारों सूचियों में से एक का वेतनमान ले सकते हैं अर्थात् क सूची---रुपये 3500–125–4000, सूची---रुपये 3000–125–3500, ग सूची---रुपये 2500–100–3000 और घ सूची---रुपये 2000–100–2500। इसमें यात्रा-भत्ता, आवास, चिकित्सा लाभ, निजी कार्यों के लिये कम्पनी की कार का प्रयोग (निर्धारित वसूली की मासिक दरों पर भुगतान करने पर तथा 500 किलो मीटर की सीमा तक) टेलीफोन भी सम्मिलित हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कर से बचा जाना

9192. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और महालेखा परीक्षक ने बहुत से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के करों का हिसाब लगाने का कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है;

(ख) क्या कुछ उपक्रम चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा बताई गई कर से बचने की चाल अपना रहे हैं; और

(ग) क्या सरकारी प्रतिष्ठान ब्यूरो ने करों का हिसाब लगाने और करों से बचने के सम्बन्ध में कोई परिपत्र जारी किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड अथवा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा इस प्रकार का कोई अध्ययन-कार्य नहीं किया गया है ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ग) लोक-उद्यम ब्यूरो द्वारा ऐसा कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है ।

वर्ष 1972 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों तथा छोटे किसानों को दिये गये ऋणों की प्रतिशतता

9193. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1972 के दौरान कुल कितनी राशि के ऋण दिये और उनमें से लघु उद्योगों तथा छोटे किसानों को कितने प्रतिशत ऋण दिये गये ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) :

14 राष्ट्रीकृत बैंकों के बकाया अग्रिम

(करोड़ रुपयों में)

	दिसम्बर 1971 के अन्त में	दिसम्बर 1972 के अन्त में
1. 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुल बकाया अग्रिम .	2812.72	3001.01
जिसमें से---		
(क) लघु उद्योगों के लिए अग्रिम .	283.0 (9.4)	301.2 (10.0)
(ख) 5 एकड़ तक की जोत वाले किसानों को अग्रिम . . .	30.8 (1.1)	अनुपलब्ध
(ग) 5 एकड़ से अधिक जोत वाले किसानों को अग्रिम . . .	106.0 (3.8)	अनुपलब्ध

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल अग्रिमों के प्रतिशत का द्योतक है ।

कर लगाने के लिए पति और पत्नी की आय को जोड़ना

9194. **श्री वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर के उद्देश्य से पति और पत्नि की आय को जोड़ने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) जी, नहीं, मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

भारत-बर्मा विमान यात्रा समझौता

9195. **श्री एम० एस० संजीवीराव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बर्मा विमान यात्रा समझौता शीघ्र ही किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो यह कब किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार तथा बर्मा संघ सरकार के शिष्टमण्डलों के बीच दोनों देशों के मध्य एक विमान परिवहन करार के मूलपाठ पर बातचीत करने के लिए 9 से 18 अप्रैल, 1973 तक नई दिल्ली में विचार विमर्श हुआ था । बातचीत अनिर्णीत रही तथा यह तय हुआ कि दोनों पक्षों के लिये सुविधाजनक किसी तारीख को यथाशीघ्र आगे बातचीत की जाए ।

Recovery of cost of tea exports to Britain during 1971-72

9196. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether only half of the cost of Indian Tea exported to Britain during the year 1971-72 has been realised so far; and

(b) if so, the steps taken in this regard and whether any enquiry has been conducted by Government to find out the causes thereof?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) & (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

पर्यटन आकर्षण के रूप में त्रिपुरा का विकास करने के लिए कार्यवाही

9197. **श्री वीरेन्द्र दत्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में पर्यटकों को आकर्षित करने की संभावनाओं का कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पर्यटन आकर्षण के रूप में त्रिपुरा का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) साधनों के अत्यन्त सीमित होने तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण और राज्य में पर्यटक यातायात पर लगे वर्तमान प्रतिबंधों को दृष्टि में रखते हुए केन्द्रीय क्षेत्र में त्रिपुरा में किसी बड़ परिमाण

में पर्यटक सुविधाओं को विकसित करना संभव नहीं है। तथापि, चौथी योजना में राज्यीय क्षेत्र में पर्यटन का विकास करने के लिए 5 लाख रुपये की व्यवस्था है।

त्रिपुरा में तम्बाकू की खेती वाले क्षेत्रों को उत्पादशुल्क से छूट

9198. **श्री वीरेन दत्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के किन क्षेत्रों को तम्बाकू पर केन्द्रीय उत्पादशुल्क से छूट दी गयी है; और

(ख) क्या इस उद्देश्य से त्रिपुरा के कुछ नए क्षेत्रों को भी छूट देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख)—वर्तमान में, पूरे त्रिपुरा में उगाया जाने वाला तथा सिझाया जाने वाला अनिर्मित तम्बाकू, केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली के संगत नियमों के अधीन अधिकतम सी॰म॰ तक सूचित किया जाता है और इस प्रकार केन्द्रीय उत्पादशुल्क लगने योग्य नहीं है।

जीवन बीमा निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में गृह निर्माण ऋण देना

9199. **श्री गदाधर साहा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने पश्चिम बंगाल में कोई गृह निर्माण ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इस प्रयोजन के लिए जिलावार कितना ऋण दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख):-

1971-72

जिला	ऋणों की संख्या	मंजूर की गयी रकम	वस्तुतः दी गई रकम
		रु०	रु०
कलकत्ता	43	21,15,000	17,06,500
हुगली	11	1,58,500	41,000
हावड़ा	4	82,000	30,000
24 परगना	17	3,65,000	32,000
वर्दवान .	4	80,000	75,000
मिदनापुर .	1	10,000	10,000
दार्जिलिंग .	3	66,000	29,000
	83	28,76,500	19,23,500

1972-73

जिला	ऋणों की संख्या	मंजूर की गई रकम	वस्तुतः दी गई रकम
कलकत्ता	45	19,52,000	17,43,500
हुगली	20	4,43,500	2,02,000
हावड़ा	5	1,65,000	46,500
नदिया	3	80,500	53,500
24 परगना	23	6,83,500	3,88,000
वर्दवान	10	3,77,000	1,78,835
मिदनापुर	1	23,000	12,000
दार्जिलिंग	3	1,21,000	58,000
जलपाईगुड़ी	1	20,000	—
	111	38,65,500	26,82,335

उपर्युक्त आंकड़ों में (1) राज्य सरकार को (2) सहकारी आवास वित्त समिति को तथा (3) निगम के कर्मचारियों को व्यक्तिशः दिये गये ऋण शामिल नहीं हैं। इन वर्गों को दिये गये ऋणों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा उपलब्ध होते ही सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

पांचवीं योजना के दौरान त्रिपुरा में पर्यटन स्थलों का विकास

9200. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में उन पर्यटन स्थलों के नाम क्या हैं जिनको पांचवीं योजना में विकास के लिए चुना गया है ; और

(ख) इस संबंध में विकास कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख). केन्द्रीय क्षेत्र में पांचवीं योजना की पर्यटन स्कीमें अभी तैयार की जा रही हैं तथा अभी इतने जल्दी यह नहीं कहा जा सकता कि पांचवीं योजना में किन स्थानों को विकास के लिए चुना जाएगा।

त्रिपुरा, मेघालय, आसाम और अरुणाचल में लीड बैंकों द्वारा गठित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समितियों का कार्यकरण

9201. **श्री ेरेन दत्त** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या त्रिपुरा, मेघालय, असम और अरुणाचल में लीड बैंकों द्वारा जिला स्तरीय परामर्शदात्री समितियां गठित की जा रही हैं; और यदि हां, तो किस परिणाम के साथ ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हान): लीड बैंक योजना के अन्तर्गत सलाहकार समितियां अभी तक असम के पांच जिलों में और मेघालय के संयुक्त खासी और जयंतिया पहाड़ी जिलों में भी स्थापित की गयी हैं। आशा है कि सम्बद्ध लीड बैंक असम और मेघालय के अन्य जिलों और त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के जिलों में भी जल्दी ही ऐसी समितियां स्थापित करेंगे ।

Delay in the Flights of Indian Airlines Planes due to Fog and Clouds

9202. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether fog and clouds are also responsible for the delay in the flights of most of Indin Airlines planes; and

(b) if so, the number of such cases during 1971 and 1972?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) & (b) The number of Indian Airlines flights delayed and cancelled during 1971 and 1972 due to bad weather is given hereunder :

	1971	1972
(i) Flights delayed .	1484	1444
(ii) Flights cancelled	392	329

भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को पहली, दूसरी और तीसरी अन्तरिम सहायता की अदायगी

9203. श्री कमल मिश्र मधुकर
श्री रामवतार शास्त्री : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम के अधीन सेवा शर्तें केवल भारत पर्यटन विकास निगम के होटल कर्मचारियों पर ही लागू होती है ;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम अपने गैर-खानपान एककों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए अभी तक केन्द्रीय सरकार के नियमों का अनुसरण करता रहा है; और

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों ने अपने गैर-खानपान कर्मचारियों को पहली, दूसरी और तीसरी अन्तरिम सहायता की राशि अदा कर दी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, नहीं । अधिनियम भारत पर्यटन विकास निगम के समस्त प्रतिष्ठानों पर लागू होता है ।

(ख) यद्यपि केन्द्रीय सरकार के नियमों को मार्गदर्शक के रूप में अपना लिया गया है, गैर-खानपान यूनिटों से संबंधित बहुत से मामले दुकान व सिब्बंदी अधिनियम, आदर्श स्थायी आदेश तथा मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम 1961, फैक्टरी अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, आदि जैसे औद्योगिक विधान द्वारा भी शासित होते हैं ।

(ग) प्रबंधक वर्ग ने प्रथम अंतरिम सहायता की अदायगी कर दी, परन्तु दूसरी तथा तीसरी अंतरिम सहायता की अदायगी नहीं की गयी । दूसरी ओर एक नया वेतन ढांचा चालू किया गया है, जिस से निगम के कर्मचारियों को एक अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया गया है जो कि अंतरिम सहायताओं से अधिक लाभप्रद है ।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा लोधी होटल के अहाते के अन्दर 'वुडलैण्ड होटल' चलाने की अनुमति देना

9204. श्री भोला मांझी
श्री रामावतार शास्त्री } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम भारत पर्यटन विकास निगम का लोदी होटल पर स्वामित्व है;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों ने लोदी होटल के अहाते में 'वुडलैंड' होटल के नाम और स्टाइल से एक रेस्टोरेन्ट चलाये जाने की एक व्यक्ति को अनुमति दी है तथा उक्त व्यक्ति को निजी तौर पर लाभ कमाने की भी अनुमति दी है और यदि हां, तो किस प्रकार और क्यों ;

(ग) क्या लोदी होटल पर मसूरी बोर्ड की सिफारिशें लागू होती हैं; और

(घ) क्या 'वुडलैंड होटल' के कर्मचारियों की मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार मंजूरी नहीं दी जा रही है और यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) लोदी होटल भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाया जा रहा है । इस होटल की भूमि एवं पूंजीगत परिसम्पत्ति सरकार से पट्टे पर ली गई है ।

(ख) दिल्ली में अच्छे निरामिश रेस्टोरेंटों की कमी को दृष्टि में रखते हुए, भारत पर्यटन विकास निगम ने लोधी होटल में एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय किया । निरामिश रेस्टोरेंट में विशेष अनुभव रखने वाले तीन प्रसिद्ध होटल मालिकों से सीमित निविदायें मंगाई गई थीं ।

निगम ने लोधी होटल के परिसर में 'लोधी वुडलैंड्स" के नाम व संज्ञा से एक निरामिश रेस्टोरेंट चलाने के लिये एक भागीदार फर्म 'होटल वुडलैंड्स नई दिल्ली' को लाइसेंस जारी किया । लाइसेंस 1-3-1972 से पांच वर्ष की अवधि के लिये है । लिये जाने वाले वार्षिक शुल्क का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	वार्षिक लाइसेंस शुल्क
पहला	70,000.00 रु०
दूसरा	75,000.00 रु०
तीसरा	80,000.00 रु०
चौथा	85,000.00 रु०
पांचवा	100,000.00 रु०

(ग) जी, हां ।

(घ) होटल और रेस्टोरेंटों के मजूरी बोर्ड की सिफारिशें, जो अगस्त 1968 में दी गई थी, दिल्ली के उन होटलों और रेस्टोरेंटों पर भी लागू होती है जिनमें 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं । ये सिफारिशें लोधी वुडलैंड्स के कर्मचारियों पर भी लागू होंगी ।

उड़ीसा को नियन्त्रित किस्म के कपड़े के कोटे का आबंटन

9205. **श्री चिन्तामणी पाणीग्रही** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 में और वर्ष 1973-74 में अब तक उड़ीसा को नियंत्रित किस्म के कपड़े का कोई कोटा आवंटित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्रमशः कितना कोटा आवंटित किया गया; और

(ग) प्रत्येक जिले में किस एजेन्सी के माध्यम से वितरण किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) 1972-73 के दौरान, 1-11-1972 से 31-3-1973 तक उड़ीसा को नियंत्रित कपड़े की 1704 गांठों का आवंटन किया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य में स्थित मिलों की खुदरा दुकानों को 81. 1/2 गांठें आवंटित की गई। 1973-74 के दौरान अब तक उड़ीसा को 933. 1/2 गांठें आवंटित की गई हैं। इनके अतिरिक्त, राज्य में मिलों की खुदरा दुकानों को 7 गांठें आवंटित की गई हैं।

(ग) निम्नोक्त विहित माध्यमों से नियंत्रित कपड़े के वितरण का प्रबंध करना राज्य सरकार का काम है :—

1. मिलों की अपनी खुदरा दुकानें।
2. सहकारी क्षेत्र में सुपर बाजार।
3. राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता फैडरेशन और उनसे संबद्ध सहकारी संस्थाओं की श्रृंखला।
4. राज्य सरकार के तत्वावधान में चल रहीं उचित कीमत की दुकानें।
5. राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सहकारी क्षेत्र में स्थित कोई अन्य अभिकरण।

कृत्रिम रेशों का उत्पाद-शुल्क

9206. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का देश में कृत्रिम रेशे के मूल्य किस प्रकार कम करने का विचार है ;

(ख) प्रत्येक प्रकार के रेशे पर उत्पादशुल्क का तुलनात्मक भार कितना कितना है, और

(ग) सरकार रेशों विशेषकर 'पोलीएस्टर स्टेपल' रेशे पर उत्पाद-शुल्क कम क्यों नहीं कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) देश में संश्लिष्ट तन्तु (पोलिएस्टर तन्तु) का उत्पादन वास्तविक मांग की अपेक्षा कम था। उत्पादन बढ़ाने के उपाय किये गये हैं। नवम्बर, 1972 से दो और कारखानो अर्थात् स्वदेशी पोलिटेक्स तथा मैसर्स इण्डियन आर्गेनिक कम्पनी लिमिटेट में उत्पादन आरम्भ कर दिया है। आशा है कि उत्पादन बढ़ जाने से मूल्य पर, यथा समय, प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, टैरिफ आयोग ने, जिसने इस तंतु के मूल्य ढांचे की जांच पड़ताल की है, रिपोर्ट पेश की है जिसमें उचित मूल्य की सिफारिश की गयी है। सरकार उक्त रिपोर्ट पर सक्रियता से विचार कर रही है। टैरिफ आयोग की सिफारिश का संश्लिष्ट तंतुओं के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान, टैरिफ आयोग की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा निर्णय किये जाने के बाद ही लगाया जा सकता है।

(ख) अभी किस्मों के संश्लिष्ट तंतु के संबंध में उत्पादन शुल्क की टैरिफ दर 60 रु० प्रति किलोग्राम है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 8 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं

के अधीन प्रत्येक किस्म के तन्तु के लिये सरकार द्वारा नियत की गई उत्पादनशुल्क की प्रभावी दरें नीचे दिये अनुसार हैं :

विवरण	उत्पादन शुल्क की दर
	(रु० प्रति किलोग्राम)
I. स्टेपल तन्तु तथा मोटा सन--	
(1) सेल्यूलोजिक मूल के .	1
(2) नान सेल्यूलोजिक मूल के--	
(क) एक्रिलिक तन्तु	6
(ख) पोलिएस्टर तन्तु--	
(i) 2 डेनियर से अनधिक के	36.90
(ii) 2 डेनियर से अधिक के	31.90
(ग) अन्य	30.00
II. कांच तन्तु--	
(क) स्टेपल तन्तु जिसमें कांच टिश्यूज शामिल हैं	3.00
(ख) ग्लास वूल--	
(i) हेगर प्रक्रिया द्वारा निर्मित .	0.20
(ii) किसी भी अन्य प्रक्रिया द्वारा निर्मित	1.50
III. कोई भी अन्य खनिज तन्तु चाहे वह अविच्छिन्न अथवा अन्यथा हो जैसे राक वूल स्लेग वूल और इसी प्रकार के अन्य वूल	
(क) स्लेग वूल .	0.20
(ख) अन्य	कुछ नहीं

(ग) रेशे, तन्तु और धागे जैसे मध्यवर्ती उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क की दरें, वस्त्र जैसे उपभोक्ता उत्पादों पर इन शुल्कों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रख कर निश्चित की जाती हैं। इस प्रकार के शुल्कों को कम करने का प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब सप्लाई तथा मांग की स्थिति को ध्यान में रखकर मूल्य के अन्य उत्पादों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण, रेशे, तन्तु अथवा धागे, की कुल खरीद यथास्थिति, रुक जाती है। फिर भी, इस संबंध में पोलिएस्टर स्टेपल तन्तु निर्माता उद्योगों द्वारा भेजे गये अभ्यावेदनों पर सरकार विचार कर रही है।

ब्रुसेल्स में यूरोपीय साझा के सदस्य देशों की बैठक

9207. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के साथ करार की शर्तों पर विचार करने के लिए अभी हाल में ब्रुसेल्स में यूरोपीय साझा बाजार के नौ सदस्य देशों की एक बैठक हुई थी;

(ख) क्या उक्त सदस्य देश इन शर्तों पर आपस में सहमत नहीं हो सके थे; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). यूरोपीय समुदायों के आयोग ने एक व्यापार करार के लिए अब हमारे साथ औपचारिक रूप से वार्ताएं शुरु कर दी हैं। करार की शर्तों के बारे में अभी वार्ताएं चल रही हैं।

चीन को एशियाई विकास बैंक की सदस्यता प्रदान करना

9208. **श्री राज राज सिंह देव : क्या वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन को एशियाई विकास बैंक का सदस्य बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त रावचव्हाण) : चीन ने एशियाई विकास बैंक की सदस्यता के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

Scheme to promote use of Hindi in International Trade Fairs

9209. **Shri Narendra Singh Bisht :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether in "Asia 1972" Hindi was neglected and English dominated everywhere and if so, the reasons therefor;

(b) the extent to which Hindi is used in International trade fairs and whether Government have any scheme to promote use of Hindi in these fairs so as to enhance national honour along with dignity of national language; and

(c) whether Government propose to give appropriate place to Hindi in Trade Fair Scheduled to be held in Poland in May-June 1973 and if so, in what way and if not, the reasons therefor?

The Minister of Commerce (Prof. D. P. Chattopadhaya) : (a) Delhi being a metropolitan/cosmopolitan city drawing visitors from various parts of the country and outside India, it was considered necessary and advisable to have English wherever necessary. However, special measures were taken to publicise the Fair in Hindi, D.T.C. bus queue shelter panels taken in the city were in Hindi. A number of moffussil buses plying between Delhi and the neighbouring states were installed with boards in Hindi. A number of cinema slides in Hindi were screened in various centres and adjoining States. The Fair Administration was also bringing out a Daily News Bulletin in Hindi besides advertising in Hindi papers.

(b) & (c) The scope for use of Hindi in International trade fairs/Exhibition held in foreign countries is limited. Captions for the exhibits publicity material and directions to visitors to be understandable have t to be in the language in use in that country. This practice is proposed to be followed in the Indian Pavilion in Poznan Fair also.

आई० टी० डी० सी० में कर्मचारियों की भर्ती के लिए सेवा सम्बन्धी नियम

9210. **श्री शिव कुमार शास्त्री :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के अनुसार आई० टी० डी० सी० के प्रबन्ध निदेशक के सेवा सम्बन्धी नियमों के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सेवा सम्बन्धी नियमों के न होने के कारण निगम में कर्मचारियों की भर्ती किसी निर्धारित प्रक्रिया के बिना प्रबन्ध निदेशक की मर्जी से की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). भारत पर्यटन विकास निगम में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।

(ग) भर्ती के लिए कारपोरेशन की एक सुनिधारित प्रक्रिया है जिसका अनुपालन किया जा रहा है ।

Payment Of Overtime Allowance To Employees Of Nationalised Banks

9211. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3573 dated the 21st April 1972 and state :

(a) the measures adopted to overcome the reasons for grant of over-time allowance to the employees of the Nationalised Banks; and

(b) the extent of success achieved thereby.

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) & (b) The nationalised banks have generally reported that while it is not possible to eliminate completely the grant of overtime allowance to the employees, steps have been taken by them to restrict overtime work by adopting various measures including tightening of supervision, fixing of ceilings on overtime per office as well as per individual employee a more equitable distribution of work and provision of additional staff to such branches where it is needed.

The effect of these measures taken by the banks will be known only after a period of time.

बिहार में बैंकों की शाखायें खोलना

9212. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार राज्य में पूर्णिया जिले के अमौर बाजार, रावता हाट, हिच्वा मोती हाट (सदर सब डिवीजन), जोकी हाट, बरदाहा बाजार कटिया गंज हाट, चन्दरदाई हाट, (अदादिया सब डिवीजन) बिसनपुर हाट तथा पोवा खाली हाट (किशन गंज सब डिवीजन) नामक सभी स्थानों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) आजकल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया और युनाइटिड बैंक आफ इंडिया को केवल अभौर और जौकी हाट में क्रमशः अपने कार्यालय खोलने के लिये दिये गये निर्धारण ही विचाराधीन हैं और इन केन्द्रों में 1973-74 के दौरान बैंक के कार्यालय खुल जाने की आशा है ।

किसानों द्वारा पुर्णिया (बिहार) स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिये गये आवेदन-पत्र

9213. श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंपिंग सैट और ट्रैक्टर खरीदने के लिये छोटे और सीमान्त किसानों ने वर्ष 1972-73 में बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं को कुल कितने आवेदन-पत्र दिये, और

(ख) उन आवेदन-पत्रों पर कितना ऋण दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) संभव सीमा तक सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

पूर्णिया, बिहार में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की एक शाखा के लिए भवन के निर्माण हेतु भूमि

9214. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्णिया (बिहार) में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा के लिए भवन के निर्माण हेतु कोई भूमि खरीदी गई है अथवा पट्टे पर ली गई है; और

(ख) बैंक की शाखा खोलने हेतु बनाये जा रहे इस भवन के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है ।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां 1 नवम्बर, 1972 में पूर्णिया में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बिहार सरकार से जमीन पट्टे पर ली गयी है । बैंक ने जमीन पर अपनी इमारत बनाने की योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

पूर्णिया, गया तथा धनबाद को वैमानिक मानचित्र पर अंकित करना

9215. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्णिया, गया तथा धनबाद के लिये वर्ष 1973-74 में इंडियन एयर लाइन्स की नियमित सेवायें आरम्भ करके इन स्थानों को भारत के वैमानिक मानचित्र पर अंकित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा०. कर्ण सिंह) (क) और (ख) : गया के लिए सप्ताह में पहले ही तीन अनुसूचित सेवाएं परिचालित की जाती हैं । पूर्णिया तथा धनबाद को वैमानिक मानचित्र पर लाने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कलकत्ता में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों को विशेष सहायता देने के लिए पारित किया गया प्रस्ताव

9216. **श्री विभूति मिश्र**
श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 और 12 मार्च, 1973 को कलकत्ता में पूर्वी क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था और उक्त सम्मेलन में एक संकल्प पारित किया गया था, जिसमें युद्ध स्तर पर अपनी समास्याओं का समाधान करने के लिये विशेष सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। पूर्वी भारत पर्यटन सम्मेलन 10 वा 11 मार्च, 1973 को कलकत्ता में हुआ था जिसमें पूर्वी क्षेत्र के कुछ राज्यों के मुख्य मंत्री उपस्थित थे। सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास किया कि क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन करने, पर्यटन स्थलों का निर्धारण करने तथा विशिष्ट स्कीमें तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए जिसमें पूर्वी क्षेत्र के समस्त राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों, पर्यटन व्यवसाय, वाणिज्य मंडलों आदि के प्रतिनिधि सम्मिलित हों; और उसके पश्चात स्कीमों को क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता तथा मार्ग-दर्शन के लिए संयुक्त रूप से भारत सरकार से अनुरोध किया जाये। परन्तु विस्तृत प्रस्तावों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

वरीयताओं की सामान्यीकृत प्रणाली संबंधी गोष्ठी

9217. **श्री विभूति मिश्र**
श्री डी० पी० जदेजा } : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में वरीयताओं की सामान्यीकृत प्रणाली के विषय में एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या निर्णय लिये गये; और

(ग) इससे भारत का कितना लाभ होगा ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) : भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा दिल्ली में 20 मार्च से 23 मार्च, 1973 तक अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली पर आयोजित गोष्ठी में अधिमानों की सामन्यीकृत प्रणाली के अधीन निर्यात प्रयास तीव्र करने के लिए इंजीनियरी, रासायनिक तथा अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट उत्पादों को अभिज्ञात किया गया था। गोष्ठी में अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली के बेहतर लाभ उठाने के लिए विशिष्ट सुझावों की भी सिफारिश की गई। गोष्ठी की विभिन्न सिफारिशों पर संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(ग) लाभ की सीमा का हिसाब नहीं लगाया जा सकता।

यूनाइटेड डिस्टिलरीज एण्ड ब्रीवरी, केरल से कर वसूल किया जाना

9218. **श्री वयालार रवि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यूनाइटेड डिस्टिलरीज एण्ड ब्रीवरीज, शरटालिन, केरल और समस्त देश में उनकी अन्य शाखाओं से 31 मार्च, 1973 को कर की राशि बकाया थी; और यदि हां, तो करों की बकाया राशि कितनी थी और उसको वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सर्वोच्च पदों पर नियुक्तियां

9219. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **वित्त** मंत्री 17 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 962 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिकांश सर्वोच्च पद अभी तक रिक्त पड़े हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्यों और उन्हें भरने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) 17 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 962 के उत्तर में उल्लिखित सरकारी उद्यमों में कुछ रिक्त उच्च पदों को या तो पहले ही भर दिया गया है अथवा उनको भरने की कार्यवाही अग्रिम अवस्था में है, इस प्रकार उनके लिये व्यक्ति ढूंढे जा चुके हैं जिन पदों के लिये उपयुक्त व्यक्तियों का अभी तक पता लगाया जाना है कारणों सहित, विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

सरकारी उद्यमों में रिक्त उच्च पद

क्र० सं०	निगम का नाम	पद	नियुक्ति में विलम्ब के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	राज्य व्यापार निगम	अध्यक्ष	जटिल काम की आवश्यकताओं को देखते हुए नियमित नियुक्ति में कुछ कठिनाइयां हैं। फिलहाल प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेन्ट कारपोरेशन, जो राज्य-व्यापार निगम का सहायक निगम है, के अध्यक्ष को निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
2.	खनिज और धातु व्यापार निगम	निदेशक	उपयुक्त व्यक्ति के मिलने में कठिनाई
3.	भारतीय पटसन निगम (जूट कारपोरेशन आफ इंडिया)।	प्रबन्ध निदेशक	उपयुक्त व्यक्ति के मिलने में कठिनाई। फिलहाल पटसन आयुक्त को उसकी अपनी जिम्मेंदारियों के अन्तरिक्त, प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया है।
4.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	(क) निदेशक (तकनीकी)	(क) पद हाल में ही रिक्त हुआ है।
		(ख) निदेशक (वित्त)	(ख) चुने गये अधिकारी का सूची में नाम लिखने हेतु अनुमोदन नहीं किया गया था।
5.	भारतीय उर्वरक निगम	(क) निदेशक (विपणन)	(क) उपयुक्त व्यक्ति के मिलने में कठिनाई होना।

1	2	3	4
		(ख) 8 महाप्रबन्धक	(ख) क्योंकि निगम की नीति इनमें से अधिकतर रिक्त स्थानों को निगम में से ही भरने की है, वर्तमान उप-महाप्रबन्धक, जब तक कार्य विधि के अनुसार उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं हो जाती इन पदों पर कार्य करेंगे।
6.	हिन्दुस्तान एण्टीबायटिक्स लि०	प्रबंध निदेशक	उपयुक्त व्यक्ति के मिलने में कठिनाई होना।
7.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	निदेशक (उत्पादन)	सितम्बर 1972, से रिक्त इस स्थान को भरने के लिये उपयुक्त व्यक्ति रखने के लिये कार्यवाही की जा रही है।
8.	निर्यात ऋण और प्रत्याभूति निगम।	प्रबन्ध निदेशक	अध्यक्ष इस कार्य को कर रहे हैं और इस बीच बैंकिंग विभाग उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहा है।
9.	भारतीय तेल निगम	महा प्रबन्धक गोहाटी	उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।
10.	स्टेट फार्म कारपोरेशन	प्रबन्ध निदेशक	पद के लिये उपयुक्त प्रत्याशी के लिए कार्यवाही की जा रही है।

मछली के निर्यात में वृद्धि करना

9220. श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मछली के निर्यात में वृद्धि करने के लिए 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान क्या कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : समुद्री उत्पादों के निर्यातों के संबंध में देश की विशाल क्षमता को देखते हुए, उल्लिखित वर्षों में इस उद्योग को सुदृढ़ बनाने तथा इनके निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं: समुद्र तट पर मछली पकड़ने के लिए अधिक ट्रालर के चलाने का प्रयत्न करना तथा ऐसे निर्यातों के लिए आवश्यक अन्य अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का विकास करना। संवर्धन प्रयत्नों में ये शामिल हैं: बाजार का गहराई से अध्ययन करना, प्रतिनिधिमंडलों के दौरे और विशेषीकृत मेलों में भाग लेना । 1-4-1971 से, समुद्री उत्पादों को निर्यात नियंत्रण के अन्तर्गत ले लिया गया जिससे कन्साइन्मेंट आधार पर निर्यातों की पद्धति को बदल कर सीधी बिक्री की पद्धति लागू की गई। 1972 के आरंभ में, कोचीन में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई ताकि

इस उद्योग की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए स्थायी संस्थागत ढांचे की व्यवस्था हो जाये। जो सहायता प्रदान की जानी है उसमें ये शामिल है : गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए ट्रालर बेड़े को बढ़ाना, डीजल तेल आदि अंतर्निविष्ट साधनों की रियायती दरों पर व्यवस्था करना, सुस्थापित तथा नए विकसित दोनों प्रकार के क्षेत्रों में कार्यकरण की दक्षता से विनियमन करना।

आई० टी० डी० सी० के लिए आयातित कारों की खरीद

9221. **श्री प्रताप सिंह नेगी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० टी० डी० सी० के लिये 40 आयातित कारों की खरीद के लिये करार किस तरह किया गया था;

(ख) क्या इस करार के लिये एक ही अधिकारी उत्तरदायी था; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार के ध्यान में कुछ अनियमिततायें आई हैं और यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और ख) 1972 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा 41 कारों के आयात का भारत पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडल ने निवेदित मूल्य (कोटेशनें) तथा तुलनात्मक आंकड़े जिस में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 9 कार निर्माताओं से एकत्रित किये गये तकनीकी प्रतिमान (स्पेसिफिकेशन) भी सम्मिलित थे, पर विचार करने के पश्चात् अनुमोदन किया था। इस सौदे के लिये कोई भी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं था।

(ग) जी, नहीं।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत प्राप्त धन राशि पर ब्याज का भुगतान

9222. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उस धनराशि के व्याज के रूप में भारी धनराशि का भुगतान कर रही है जिसका पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यानों की खरीद के लिए अमरीका को भुगतान किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो धनराशि को चुकता करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) भारत ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयातित अधिकतर वस्तुएं रुपयों में खरीदी हैं। भारत द्वारा खाद्य और खाद्य-भिन्न वस्तुओं के लिए 1956 से लेकर, 31 मार्च, 1973 तक रुपयों में जमा कराई गई कुल रकम 2243 करोड़ रुपये बैठती है। इसमें से 1422.87 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार को ऋणों के रूप में प्राप्त हुई है। ये ऋण 40 वर्षों में चुकाये जाने हैं और इन पर व्याज की विभिन्न दरें लागू होती हैं जिनका औसत लगभग 43 प्रतिशत बैठता है। इन ऋणों पर 1973-74 के दौरान व्याज के रूप में कुल देय रकम का अनुमान 34.91 करोड़ रुपये का है।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत 41.819 करोड़ डालर के मूल्य का बहुत थोड़ा सा अंश डालरों/रूपान्तरणीय मुद्राओं में चुकाये जाने वाले दीर्घावधिक ऋणों के रूप में है। इन ऋणों पर 1 प्रतिशत से लेकर 3 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न दरों पर व्याज लगता है और ये 40 वर्षों में चुकाये जाने हैं। 1973-74 के दौरान इन ऋणों पर व्याज के रूप में अनुमानतः 87.3 लाख डालर की रकम अदा की जानी है।

(ख) ये ऋण, ऋणकरारों में व्यवस्थित शोधन कार्यक्रम के अनुसार चुकाये जा रहे हैं।

वास्तविक प्रयोगकर्ताओं द्वारा जनरेटिंग सेटों का आयात

9223. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़**
श्री बक्शी नायक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को जनरेटिंग सेटों का आयात करने की अनुमति देने की नीति सम्बन्धी निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों की ये सेट आवंटित करने का क्या आधार हैं; और

(ग) इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा आवंटित की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) कतिपय विशिष्टियों के जैनेरेटिंग सेटों के आयात की अनुमति वाणिज्य मंत्रालय के पब्लिक नोटिस सं० 44 आई० टी० सी० (पी० एन०) 173 दिनांक 28-3-1973 के अनुसार दी गई है।

(ख) तथा (ग) सभी पात्र वास्तविक प्रयोगकर्ताओं द्वारा आवेदन पत्र दिये जा सकते हैं। कोई राज्य वार आवंटन नहीं किया गया है जो आयात लाइसेंस जारी किये जाने है उनका कुल मूल्य दिये गये और स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या पर निर्भर करेगा।

चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं का जब्त किया जाना

9224. **श्री शंकर राव सावंत**
श्री एस० एल० पेजे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में तस्करों द्वारा लाई जा रही कितनी वतुस्एं जब्त की गई ; और

(ख) इन वर्षों में राज्य सरकारों और सूचना देने वालों को कितनी कितनी राशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

महाराष्ट्र में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाएं

9225. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उन पर्यटक स्थलों के नाम क्या हैं जिनका केंन्द्रीय सरकार ने विकास किया है या कर रही है।

(ख) उपरोक्त प्रत्येक स्थल पर पर्यटकों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का विचार कोलाबा जिले में रायगढ़ (शिवाजी महान की राजधानी) ले में शियोनेरी (शिवाजी महान का जन्म स्थान) पूना सिटी में शारीवार वाड़ा (मराठा साम्राज्य का अन्तिम बुर्ज) और कोलाबा जिले के मनगांव ताल्लूक में कुडा में गुफाओं के स्थान पर क्या सुविधाएं देने का है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा है।

(ग) जी, नहीं। फिलहाल केन्द्रीय क्षेत्र में इन स्थानों पर सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

महाराष्ट्र में पर्यटन महत्व के उन स्थानों की सूची जहां पर्यटन स्कीमे हाथ में ली गई हैं।

क्रम सं०	स्थान का नाम	पर्यटन स्कीम
1.	अजंता	कैंटीन-व-विश्राम कक्ष तथा बस स्टेशन निम्न आय वर्गीय विश्राम गृह (भाग II) उद्यान तथा स्थल-दृश्य निर्माण (भाग II) पानी की सप्लाई।
2.	एल्लोरा	कैंटीन पानी की सप्लाई की व्यवस्था सड़कों पर काला रोगन करना।
3.	एलिफैंटा	कैंटीन-व-विश्राम कक्ष तथा क्लोक रूम। पानी की सप्लाई। एक जेटी का निर्माण।
4.	औरंगाबाद	निम्न आय वर्गीय विश्राम गृह (भाग II) एक युवा होस्टल का निर्माण। एक शिविर स्थल की व्यवस्था।
5.	बम्बई	बोरीविलि में राष्ट्रीय उद्यान में एक सफारी पार्क का विकास
6.	करनाला	विश्राम गृह।
7.	कारला	होलीडे होम (भाग II)
8.	जलगांव	स्वागत केन्द्र
9.	वार्धा	पर्यटक होस्टल (भाग II)
10.	पूना	स्वागत सुविधाओं वाले एक पर्यटक बंगले का निर्माण (प्रस्तावित स्थान अभी राज्य सरकार द्वारा अलांट किया जाना है)।

1	2	3
11.	पंढरपुर	डार्मिटरी आवास स्थान वाले एक पर्यटक बंगले का निर्माण (प्रस्तावित स्थान राज्य सरकार द्वारा अलाट किया गया)।
12.	शिरडी	एक पर्यटक बंगाले का निर्माण (प्रस्तावित स्थान राज्य सरकार द्वारा अलाट किया गया)।

1973-74 के दौरान हवाई अड्डों का विस्तार

9226. **श्री शंकर राव सामंत :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973-74 के दौरान राज्य सरकारों से किन नए हवाई अड्डों को अपने हाथ में लेने का विचार है; और

(ख) 1973-74 में किन वर्तमान हवाई अड्डों का विस्तार करने का प्रस्ताव है तथा किस प्रकार और उन पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1973-74 के दौरान राज्य सरकारों से किसी भी हवाई अड्डे को हाथ में लेने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) हवाई अड्डों का विस्तार तथा सुधार एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है तथा विभिन्न हवाई अड्डों पर धावनपथों, एप्रनों, टैक्सी ट्रेकों के निर्माण तथा लंबा करने, भवनों के निर्माण/विस्तार, फायर स्टेशनों तथा कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों आदि के निर्माण सम्बन्धी कई योजनाओं को 1973-74 के दौरान प्रारंभ किये जाने/पूरा करने का प्रस्ताव है। 1973-74 के दौरान इन योजनाओं पर होने वाले व्यय का अनुमान लगभग 13.44 करोड़ रुपये है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम में सेवा निवृत्त व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना

9227. **श्री बशेश्वर नाथ भार्गव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम की नीति सेवा निवृत्त व्यक्तियों को रोजगार देने अथवा अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है और वे किस आयु वर्ग के हैं और वे किन-किन राज्यों के हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं, परन्तु कारपोरेशन अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर यदाकदा सेवा-निवृत्त व्यक्तियों को नौकरी पर लगाती है अथवा अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेती है।

(ख) इस समय कारपोरेशन की सेवा में 2 सेवा-निवृत्त अधिकारी हैं तथा 9 प्रतिनियुक्ति पर आए हुए अधिकारी हैं।

7—349LSS/73

भारतीय पर्यटन विकास निगम में हड़तालें

9228. **श्री बशेश्वर नाथ भार्गव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम में अनेक हड़तालों के बारे में सरकार को जानकारी है; और

(ख) इनके क्या कारण हैं और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है.?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम में जुलाई, 1970 से कोई हड़ताल नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ओवरड्राफ्टों के स्थान पर मैसूर को ऋण दिया जाना

9229. **श्री प्रसन्ना भाई मेहता**
श्री के० लकप्पा } क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य को 62.56 करोड़ रुपयों का ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मैसूर राज्य ने केन्द्र से यह अनुरोध किया है कि 62.56 करोड़ रुपयों के राज्य के ओवरड्राफ्ट को दीर्घावधि ऋण माना जाय तथा उसे वापस करने के लिये 15 से 20 वर्षो की अनुमति दी जाए और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मैसूर को 59.38 करोड़ रुपये की राशि अर्थोपाय अग्रिम के रूप में 31-3-1972 तक का ओवरड्राफ्ट समाप्त करने के लिये दी गयी है ।

(ख) जी, हां।

(ग) यह तय किया गया है कि इस ऋण की वसूली, 1972-73 से शुरू कर के सात वर्षों में की जाय।

चाय उद्योग के लिए एक स्वायत्तशासी संगठन की स्थापना

9230. **श्री बक्शी नायक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान एसोसियेशन की परामर्शदात्री समिति ने चाय उद्योग के लिए एक स्वशासी संगठन की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिए;

(ग) उक्त संगठन की स्थापना में सरकार कहां तक सम्बद्ध होगी; और

(घ) इससे देश में चाय की खेती के लिए सरकार कितनी सहायता देगी?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : **(क) से (घ)** सरकार ने दिनांक 15-3-1973 के "हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड" में इस संबंध में प्रकाशित एक समाचार केवल देखा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1972-73 में पी० एल० 480 की राशि का उपयोग

9231. **श्री वयालार रवि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1972-73 में पी० एल० 480 की निधियों से कुल कितना धन निकाला गया और उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिये यह राशि निकाली गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : एक विवरण संलग्न है जिसमें 1972-73 के दौरान पी० एल० 480 की निधियों से निकाली गयी रकमों और उन प्रयोजनों का ब्योरा दिया गया है जिनके लिए ये रकमें निकाली गई थी ।

विवरण

1972-73 के दौरान अमेरिका की रुपया निधियों से निकाली गई रकमें

प्रयोजन	रकम
	(करोड़ रुपयों में)
. संयुक्त राज्य अमेरिका के उपयोग के लिए जिसमें संयुक्त राज्य सूचना सेवा, संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण और अन्य अमरीकी अभिकरण शामिल हैं .	40.62
इन रकमों में ये शामिल हैं:——	
(क) भारत को दिए गए सहायता सम्बन्धी सामान के सम्बन्ध में अमेरिका द्वारा भाड़े की अदायगी ।	
(ख) स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा आदि में अनुसंधान के लिये अमेरिका द्वारा दिये गये अनुदानों का व्यय	
(ग) अमरीकी तकनीकी की सहायता कार्यक्रम का रुपयों में खर्च .	
ख. अमरीकी पर्यटकों, अमरीकी नागरिकों और फाउंडेशनों के व्यय के लिए	1.61
ग. अन्य निकासियां:	
(1) रुपयों का अन्य मुद्राओं में रूपान्तरण	—
(2) नेपाल को सहायता . .	—
(3) भारत अमेरिकी उद्यमकर्ताओं को कूल ऋण .	11.57
(4) भारत सरकार को ऋण .	12.13
(5) भारत सरकार को अनुदान .	2.23
(6) शिक्षा और आयुर्विज्ञान संस्थानों को अनुदान	2.50
(7) ग्राम विद्युतीकरण निगम को अनुदान	40.84
जोड़ 'ग'	69.27
कुल जोड़ क+ख+ग . .	111.50

वर्ष 1969 से 1972 की अवधि के दौरान निर्बाध विदेशी मुद्रा में अदायगी करके अपरिष्कृत ऊन/ऊन के गोलों का आयात

9232. **श्री सतपाल कपूर : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश द्वारा निर्बाध विदेशी मुद्रा की अदायगी करके अपरिष्कृत ऊन/ऊन के गोलों का आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या पिछले कुछ वर्षों में भारत से निर्बाध विदेशी मुद्रा क्षेत्रों (जी० सी० ए० **देशों**) **को** ऊनी हौजरी के निर्यात में कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान किये गये ऐसे **निर्यात** के आंकड़े क्या हैं; और

(घ) अपरिष्कृत ऊन/ऊन के गोलों की अपनी जरूरत पूरी करने के लिए **और** हौजरी **उद्योग** को आत्म-निर्भर बनाने के लिए जी० सी० ए० देशों को निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या **कार्यवाही** की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :(क) तथा (ख) : जी हां।

(ग) क्रमश: 125.91 लाख रु० 103.40 लाख रु०, तथा 98.71 लाख रु०।

(घ) जी० सी० ए० देशों में भारतीय ऊनी हौजरी वस्तुओं के लिए बाजार प्राप्त करने की सम्भाव्यता का पता लगाने के लिए एक अध्ययन-सह बिक्री दल द्वारा शीघ्र ही नौ पश्चिमी यूरोपीय देशों का दौरा किये जाने की आशा है।

पांचवीं योजना के दौरान होटलों के निर्माण का प्रस्ताव

9233. **श्री धर्मराव अफजलपुर कर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के दौरान कितने होटलों के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ख) ये होटल किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे तथा प्रत्येक परियोजना पर कितनी-कितनी धन राशि खर्च की जाएगी; और उनके निर्माण कार्य के पूरा होने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में होटलों के निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन है।

भारत और बंगला देश के व्यापार करार की अवधि बढ़ाना

9234. **श्री धर्म राव अफजलपुरकर**
श्री डी० के० पंडा } क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश ने भारत से दोनों देशों के बीच हुये उक्त करार की अवधि बढ़ाने के लिये कहा है कि जिसकी अवधि 27 मार्च, 1973 को समाप्त होनी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस अवधि को किन-किन शर्तों पर बढ़ाया गया है और नये करार के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा तथा भारतीय में कितने मूल्य की वस्तुओं के सौदों का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) : भारत और बंगला देश के बीच व्यापार करार की अवधि को, जो कि 27 मार्च, 1973 को समाप्त होनी थी, उन्हीं शर्तों पर 3 मास के लिए बढ़ा दिया गया है ।

आई० टी० डी० सी० कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस

9235. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आई० टी० डी० सी० कर्मचारी संघ ने एक हड़ताल का नोटिस दिया है जिस में अन्य बातों के साथ साथ अन्तरिम भत्ते और बिना रसीद दिये 25 प्रतिशत मकान किराया भत्ते की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय तथा प्रबन्धकों ने हड़ताल को रोकने के लिये क्या कदम उठाय हैं; और

(ग) क्या आई० टी० डी० सी० के प्रबन्धकों ने अब तक अपने खान पान विभाग से असम्बद्ध कर्मचारियों के लिये नये वेतनमान नहीं बनाये हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रबन्धकवर्ग ने सम्बन्धित कर्मचारियों को पहले ही निम्नलिखित की स्वीकृति दे दी है :—

(i) 1-3-1973 से बिना रसीद दिखाये 25% मकान किराया भत्ता ; तथा

(ii) अतिरिक्त महंगाई भत्ता, जो कि लगभग उसी पद्धति पर है जिस पर कि 1-2-72 से अन्तरिम सहायता लागू है । महंगाई भत्ते को निर्वाह खर्च सूचकांक के साथ भी जोड़ दिया गया है ।

(ग) प्रबंधकवर्ग ने गैर-कैटरिंग कर्मचारियों (मुख्यालय में तथा परिवहन यूनिटों और शुल्क मुक्त दुकानों, यात्री लाजों तथा पर्यटन सेवा यूनिटों आदि में कर्मचारियों) के लिए एक नया वेतन ढाँचा पहले ही तयार कर लिया है जिस में अतिरिक्त महंगाई भत्ता तथा बकाया धनराशि भी सम्मिलित है ।

Export Of "Lichis"

9236. Shri Ramavatar Shasrtri : Will the Minister of **Commerce** be pleased to ststc :

(a) Whether a bumper 'Lichi' crop is expected this year in Bihar and other parts of the country ;

(b) If so, whether Government have prepared any scheme for the export of 'lichis' ;

(c) If so, the salient features thereof ; and

(d) The foreign exchange likely to be earned as a result of 'lichi' export ?

THE MINISTER OF COMMERCE (PROF. D.P. CHATTOPADHYAYA : (a) Favourable indications in this regard have been received from some states.

(b) & (c): S.T.C. had exported lichis in the past; and are also maintaining contacts with prospective buyers for export during the current year.

(d) It would be difficult to indicate at this stage likely earning for these export

पटना में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाए

9237. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पटना जिले में काम कर रही राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन शाखाओं के द्वारा किसानों, परिवहन चालकों, लघु उद्योगों उद्योगपतियों, खुदरा व्यापारियों, स्वनियोजित व्यक्तियों और बेरोजगार स्नातकों को ऋण दिये जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त वर्गों में से प्रत्येक वर्ग को जनवरी, 1973 तक दिये गये ऋणों की राशि का बक-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) मांगी हुई सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ख) जी हां ।

(ग) सम्भव सीमा तक सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विवरण

बैंक का नाम (1)	केन्द्र का नाम (2)	लेखों की संख्या (3)
1 सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	पटना	5
	बिहार शरीफ	1
	राजगीर	1
	हरनाथ	1
		8
2. बैंक आफ इंडिया	पटना	2
	खगौल	1
	फतवा	1
	मसौरी	1
	मानर	1
	नौबतपुर	1
		7

1	2	3
3. पंजाब नेशनल बैंक	दीनापुर	1
	कैंटोनमेंट	1
	मोकमेह	3
	पटना	1
	पालगंज	1
	बरह	1
	सोहसराय	1
	विक्रम	1
	नूर सराय	1
		10
4 बैंक आफ बड़ौदा .	पटना	2
	हाथीदह	1
		3
5. युनाइटेड कार्मशियल बैंक .	पटना	2
6. कनारा बैंक .	पटना	1
7. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया . .	पटना	1
8. देना बैंक . .	पटना	1
	भक्तिपुर	1
		2
9. यूनियन बैंक आफ इंडिया	पटना	1
10 इलाहाबाद बैंक . .	पटना	2
	हिलसा	1
	इस्लामपुर	1
	फुलवारी शरीफ	1
जोड़—कार्यालयों की संख्या 40		5

रांची स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋण

9238. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के रांची जिले में काम कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों, वाहन चालकों, छोटे उद्योगपतियों, खुदरा व्यापारियों, स्वनियोजित व्यक्तियों और बेरोजगार स्नातकों को ऋण देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों को जनवरी, 1973 तक गत तीन वर्षों में प्रत्येक बैंक द्वारा कितना-कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : सम्भव सीमा तक सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Slump in Mica Market :

9239. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) Whether there is a slump in Mica Market ;

(b) If so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken by government in this regard ?

MINISTER OF COMMERCE (PROF. D.P. CHATTOPADHYAYA) (a) No, Sir.
(b) & (c) : Do not arise.

विदेशी बैंक कम्पनियों द्वारा गुप्त रक्षित धन रखना

9240. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी बैंक कम्पनियों को गुप्त रक्षित धन रखने का अधिकार है; और

(ख) क्या सरकार ने उक्त किसी बैंक को उक्त रक्षित धन को देश से बाहर भेजने की अनुमति दी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

सार्वजनिक जीवन से लिए गए सरकारी उपक्रमों के चेयरमैनों को पारिश्रमिक

9241. **श्री के० लकप्पा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उन चेयरमैनों, को जिन्हें सार्वजनिक जीवन से लिया गया है, देय पारिश्रमिक के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) जी, हां ।

(ख) यह निश्चय किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के सरकारी उद्यमों के अंशकालिक चेयरमैन को निम्नलिखित दरों पर पारिश्रमिक और परिलब्धियां दी जायं;

1. 1000 रुपये मासिक के आधार पर समेकित मानदेय अथवा बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की फीस के अलावा मुख्यालयों में रुकने के दिनों के सम्बन्ध में संसद सदस्यों पर लागू दरों के आधार पर दैनिक भत्ता, परन्तु शर्त यह है कि यह कुल रकम 1000 रुपये प्रतिमास से अधिक न हो।

2. कम्पनी के उच्चतम श्रेणी के अधिकारी को देय यात्रा भत्ते के आधार पर यात्रा भत्ता।

3. जिस अनुसूची में उद्यमों के प्रबन्ध निदेशक का पद वर्गीकृत किया गया है उस अनुसूची के अधिकतम वेतन के 35 प्रतिशत अधिकतम किराया सीमा के साथ निशुल्क आवास व्यवस्था।

4. कम्पनी के उच्चतम श्रेणी के कर्मचारी को जो चिकित्सा सम्बन्धी लाभ प्राप्त हैं वहीं उसको प्राप्त होंगे।

5. छोटी/बड़ी कारों के लिए 100/150 रुपये की अदायगी पर गैर-सरकारी प्रयोजनों के लिए कम्पनी की कार का इस्तेमाल परन्तु शर्त यह है कि कार्य से भिन्न यात्रा एक महीने में 500 किलोमीटर से अधिक न हो।

6. टेलीफोन की व्यवस्था उसी प्रकार से की जाय जैसे कि कम्पनी के एक उच्चतम श्रेणी के कर्मचारी के लिए होती है।

7. कार्यालय में एक आशुलिपिक और एक चपरासी की सचिवालीय सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए।

नागर विमानन विभाग द्वारा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड से बंगलौर हवाई अड्डे पर स्थित टर्मिनल बिल्डिंग का अधिग्रहण

9242. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग ने हिन्दुस्त न एयरोनाटिक्स लिमिटेड से बंगलौर हवाई अड्डे पर स्थित वर्तमान टर्मिनल बिल्डिंग का अधिग्रहण कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) टर्मिनल भवन में परिवर्तन एवं विस्तार कर के यात्रियों को अधिक अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए।

आयकर विभाग द्वारा जूनियर इन्सपेक्टर के पदों के लिये आवेदन पत्रों की बिक्री से आय

9243. **श्री रामकंवर बेरवा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मार्च, 1973 के "करेंट" साप्ताहिक की उस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि आयकर विभाग सेन्ट्रल कलकत्ता ने जूनियर इन्सपैक्टर के 50 पदों के लिये आवेदन पत्रों की बिक्री से एक लाख रुपये से अधिक राशि एकत्र की ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) एक रुपया आवेदन-पत्र शुल्क का लिया जाता है ताकि आवेदन-पत्रों के लिये केवल वास्तविक निवेदन ही प्राप्त हों और आवेदन-पत्रों का अन्य रूप से दुरुपयोग न हो पाये। इस शुल्क में

कागज का मूल्य और छपाई का खर्चा ही पूरा हो पाता है। तथापि इस शुल्क के होते हुए भी, कलकत्ता के आयकर कार्यालयों से प्राप्त किये गये 13,576 आवेदन-पत्रों में से परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए केवल 9,804 आवेदन-पत्र ही वास्तव में प्राप्त हुए हैं। इसलिये सरकार आवेदन-पत्र शुल्क के रूप में एक रुपये लेने की वर्तमान पद्धति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं समझती।

जूट उद्योगों को प्राथमिकता मूल्य-ह्रास सहायता प्राप्त करने वाले उद्योगों की श्रेणी में रखना

9244. श्री रामकंवर बेरवा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जूट उद्योग को प्राथमिकता मूल्य-ह्रास सहायता पाने वाले उद्योगों की श्रेणी में रखने का विचार कर रही है ;

(ख) प्रस्तावित योजना की क्रियान्विति के पश्चात् जूट-उद्योग के उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि होने की आशा है ; और

(ग) क्या इसके फलस्वरूप भारत की विदेशी मुद्रा की आय में भी वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :

(क) 20 प्रतिशत की प्रस्तावित आरंभिक मूल्य-ह्रास छूट के पात्र उद्योगों की सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) तथा (ग) यदि पटसन उद्योग को ऐसी छूट के लिए पात्र बना दिया जाता है तो इससे आधुनिकीकरण और उत्पादन के विविधीकरण में पूंजी लगाने के लिए निधियां बनाने में सहायता मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप पटसन के निर्यात बढ़ेंगे।

केबिल कम्पनियों द्वारा आयात विनियमों का उल्लंघन

9245. श्री रामकंवर : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अनेक केबिल कम्पनियों पर आयात विनियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमे चलाए गये हैं ;

(ख) उक्त कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन पर किस कारण मुकद्दमे चलाये गये ?

वाणिज्य मंत्री० (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी, हां।

(ख) 1. मैसर्स ओरिएन्टल पावर केबल, कोटा, राजस्थान।

2. मैसर्स मोती इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्रीस, दिल्ली।

3. मैसर्स शमशेर स्टर्लिंग कारपोरेशन, बम्बई।

4. मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स, बम्बई।

5. मैसर्स एनेमल वायर्स लि०, बम्बई।

6. मैसर्स शक्ति इंसुलेटिड वायर्स, बम्बई।

7. मैसर्स भंडारी मैटालाजिकल कारपोरेशन, बम्बई।

8. मैसर्स यूनिवर्सल केवल्स, सतना।

9. मैसर्स केवल कारपोरेशन लि०, बम्बई ।

10. मैसर्स हेनले केवल्स, पूना ।

11. मैसर्स एशियन केवल्स, बम्बई ।

(ग) आयातित कच्चे माल का दुरुपयोग ।

Arrears Of Income Tax Above Rs. One Lakh Against Firms In Rajasthan.

9246. **Shri Laljibhai** ; Will the minister of Finance be pleased to state the names of firms in Rajasthan against whom income tax arrears amounting to more than Rs. one lakh are outstanding during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

भारतीय रुई निगम द्वारा पंजाब से कपास की खरीद

9247. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम ने पंजाब में जे०-34 कपास की खरीद जनवरी, 1973 के मध्य में बन्द कर दी थी जब कि वहां गैर-सरकारी खरीद चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) : पंजाब में रुई की जे०-34 किस्म की खरीद भारतीय रुई निगम द्वारा 25-1-1973 को बन्द कर दी गई थी जब रुई की इस किस्म की आवक कम हो गई थी । इस किस्म की रुई की 10,000 गांठों के अनुमानित उत्पादन में से निगम ने लगभग 9513 गांठें खरीदी ।

भुवनेश्वर तक जैट विमान सेवा

9248. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री 14 अप्रैल 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 405 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भुवनेश्वर तक कम से कम एक जैट विमान सेवा आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इंडियन एयर लाइंस ने भुवनेश्वर के लिए जेट सेवाओं की व्यवस्था करने के प्रश्न की जांच कर ली है, परन्तु फिलहाल इसे व्यवहार्य नहीं समझा जाता ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में विकास के लिये चयन किये गये पर्यटन स्थल

9249. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उन पर्यटन स्थलों के नाम क्या हैं जो चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास के लिये चुने गये थ और जिन का विकास पांचवीं पंचवर्षीय योजना में किया जायेगा ; और

(ख) उन पर्यटन स्थलों के नाम क्या हैं जिन का काम चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख): चौथी योजना में उड़ीसा के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में सम्मिलित की गयी पर्यटन स्कीमें ये हैं: पुरी में एक युवा होस्टल का निर्माण तथा कोणार्क में मंदिर के आस पास के क्षेत्र का विकास । इन दोनों प्रायोजनाओं के पांचवीं योजना के पहले वर्ष के प्रारम्भ में पूरा हो जाने की आशा है ।

बारीपाड़ा म एक शिविर स्थल के निर्माण कार्य को भी प्रारंभ करने का प्रस्ताव है, जिसके संबंध में प्रारंभिक कार्य शुरु किये जा रहे हैं ।

देरी से वापस की गई राशि पर आय कर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान

9250. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आयकर दाताओं के नाम क्या हैं जिन्हें एक लाख रुपये अथवा अधिक की राशियां देरी से वापस की गयी थीं, और उन पर एक अप्रैल, 1972 के बाद आयकर अधिनियम की धारा 243 और 244 के अधीन ब्याज का भुगतान किया गया ; और

(ख) देरी से राशि वापस करने के कारण सहित प्रत्येक व्यक्ति को भुगतान किये गये ब्याज का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख): सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

चिथड़ा कांड की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

9251. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिथड़ा कांड पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो अपनी जांच की रिपोर्ट कब तक दे देगा; और

(ख) क्या सरकार इस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखगी ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) इस अवस्था में यह कहना संभव नहीं होगा कि केन्द्रीय जांच व्यूरो की जांच कब तक पूरी हो जाएगी ।

(ख) केन्द्रीय जांच व्यूरो की रिपोर्ट गोपनीय प्रकृति की होती है तथा इस विषय पर उनके प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखना लोक हित में नहीं होगा ।

ब्याज की विभिन्न दरें

9252. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष लागू की गई ब्याज की विभिन्न दरों की योजना असफल हो गई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के तथा अन्य अनुसूचित बैंकों द्वारा इस योजना की प्रभावी तथा पूर्ण क्रियान्विति कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : ब्याज की विभेदी दरों की योजना अगस्त, 1972 में प्रारम्भ की गयी थी । यह योजना अभी अपनी प्रायोगिक अवस्था में है और इस समय योजना की सफलता का निर्णय करना समय-पूर्व होगा । फिर भी, प्राप्त अनुभव को देखते हुए योजना में कुछ सुधार किये गये हैं जो चालू वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय घोषित किये गये थे । इनका अभिप्राय योजना के कार्यक्षेत्र को फैलाना और उसके क्षेत्र को बढ़ाना है ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से तम्बाकू का निर्यात

9253. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू का सम्पूर्ण निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से हो रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) स्वदेश से तम्बाकू की निर्यात की जाने वाली मुख्य किस्म की वी० एफ० सी० तम्बाकू के उत्पादन तथा विपणन का व्यवस्थित ढंग से विकास करने के लिए संस्थागत ढांचे की व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक तम्बाकू बोर्ड स्थापित करने का विचार है।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को आर्थिक सहायता दिया जाना

9254. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को आर्थिक सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कुल कितनी सहायता दी गई ; और

(ग) यह सहायता किन देशों को मिली है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

विवरण

1. अनुदान

अवधि	दक्षिण-पूर्व एशिया के प्राप्तकर्ता देशों के नाम	अवधि के दौरान किये गये कुल व्यय के आंकड़े
		(लाख रुपयों में)
1970-71	फिजी, मलयेशिया, इण्डोनेशिया मालदीवी, सिंगापुर, वियतनाम, जनवादी गणतंत्र . . .	44.86
1971-72	कम्बोदिया, फिजी, लाओस, मलयेशिया, इण्डोनेशिया, मालदीवी, थाईलैण्ड	64.87
1972-73	कम्बोदिया, वियतनाम जनवादी, गणतंत्र, फिजी, इण्डोनेशिया, लाओस, मलयेशिया, थाईलैण्ड, टोंगा .	15.56*
	जोड़ . .	125.29

*ये आंकड़े वचनबद्ध रकमों के द्योतक हैं।

(लाख रुपयों में)

II ऋण

1970-71 इण्डोनेशिया	10.0

यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया द्वारा चुने गये उम्मीदवारों की नियुक्ति

9255. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि समाचार पत्रों में इस आशय का एक विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद कि बी० ए० आनर्स अर्हता वाले आवेदकों में से उचित साक्षात्कार के माध्यम से चयन के बाद 125 पद भरे जायेंगे, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के अधिकारियों के पास 15,000 आवेदन पत्र पहुंचे थे :

(ख) क्या साक्षात्कार पूरा करने के बाद प्रतिभाशाली शैक्षिक योग्यता के कारण 125 युवक चुने गये थे और उन्हें अन्तिम रूप से चुनने के लिए डाक्टरी जांच के लिए बुलाया गया था ;

(ग) क्या यह सब कुछ हो जाने के बाद पश्चिम बंगाल के एक राज्य मंत्री ने अचानक ही यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के अधिकारियों को निदेश दिया गया था कि चयन किये गये उन युवकों की नियुक्ति-पत्र जारी न किये जायें और इन 125 रिक्त पदों को भरने के लिए ऐसे नवयुवकों का नये सिरे से चयन किया जाये जिन के पास किसी पार्टी विशेष अथवा व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र हों; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया ने सूचना दी है कि उसने इस आशय का कोई विज्ञापन नहीं दिया है कि 125 पद बी० ए० (आनर्स) वाले आवेदकों द्वारा भरे जायेंगे।

(ख) से (घ): ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

वसन्त विहार, नई दिल्ली में एक फर्म द्वारा आयातित वस्तुओं का बेचा जाना

9256. **श्री पी० गंगा देव**
श्री नाथू राम अहिरवार } क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादनशुल्क और सीमाशुल्क, नई दिल्ली के कलेक्टर को शिकायतें मिली हैं कि विलास सामग्री, डिब्बों में बन्द खाद्य पदार्थ, ब्लेड, शराब, पुस्तकें, मैगजीन आदि जैसी आयातित वस्तुएं वसन्त-विहार, नई दिल्ली में 'मार्डन बाजार' नामक एक दुकान में खुले आम बेची जा रही हैं ;

(ख) क्या इन वस्तुओं को बेचने के लिये कोई लाइसेंस जारी किया गया है;

(ग) क्या ये वस्तुएं चोरी छिपे लाई गई हैं या वैध लाइसेंस प्राप्त करके आयात की गई ह; और

(घ) उपरोक्त 'मार्डन बाजार' नामक दुकान में आयातित वस्तुओं के अनधिकृत रूप से बेचे जाने को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क, नई दिल्ली को मार्च, 1973 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि नई दिल्ली में वसन्त बिहार स्थित 'मार्डन बाजार' के नाम से ज्ञात परिसर में आयात की गई वस्तुएं बेची जा रही हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस संबंध में की गई जांच से यह पता चला है कि ये वस्तुएं किसी भी वैध लाइसेंस के अन्तर्गत आयात नहीं की गई हैं।

(घ) इस परिसर को निगरानी में रखा गया तथा 5 अप्रैल, 1973 को इस पर छापा मारा गया इस परिसर में मिली विदेशी मूल की सिगरेटों और अन्य वस्तुओं को जिनका मूल्य लगभग 2,400 रुपये है, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन कार्यवाही के लिए पकड़ लिया गया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (सिविल) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। (पुस्तकालय में रखी गई/देखिए संख्या एल० टी०-4954/73)

(2) वर्ष 1971-72 के लिए केन्द्रीय सरकार के विनियोग लेखे (सिविल) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। (पुस्तकालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी०-4954/73)

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा०सां०नि० 262(ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०सां०नि० 262, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०सां०नि० 323, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०सां०नि० 360, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 4955)।

(4) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा की खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित आन्ध्र प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1968 की धारा 72 की उपधारा (4) के अन्तर्गत

निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) ज्ञापन संख्या 2245/टी० 2/70-15, जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई, 1972 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश उत्पाद-शुल्क (शराब की खुदरा बिक्री के अधिकार का पट्टा) नियम, 1969 में कतिपय संशोधन किए गये हैं।

(दो) ज्ञापन संख्या 2890/टी० 2/72-3, जो आन्ध्र प्रदेश राजपत्र दिनांक 29 जनवरी, 1973 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आन्ध्र प्रदेश उत्पाद-शुल्क (शराब की खुदरा बिक्री के अधिकार का पट्टा) नियम, 1969 में कतिपय संशोधन किया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। **देखिए** सं० एल०टी०-4956]/73।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : डा० (श्रीमति) सरोजनी महिषी की ओर से मैं वायु निगम नियम, 1954 के नियम 3 के उपनियम (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) एयर इंडिया के वर्ष 1973-74 के राजस्व और व्यय के बजट अनुमानों का सारांश।

(दो) एयर इंडिया के वर्ष 1971-72 के वास्तविक व्यय, वर्ष 1972-73 के बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों और वर्ष 1973-74 के बजट अनुमानों का सारांश।

(तीन) इण्डियन एयर लाइन्स के वर्ष 1973-74 के राजस्व और व्यय के बजट अनुमानों का सारांश।

(चार) इण्डियन एयर लाइन्स के वर्ष 1971-72 के वास्तविक व्यय, वर्ष 1972-73 के बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों और वर्ष 1973-74 के बजट अनुमानों था सारांश [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 4957/73]।

राज्य सभा से संदेश

Message from Rajya Sabha

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देनी है। कि राज्य सभा को विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973 के बारे में जो लोक सभा द्वारा 27 अप्रैल, 1973 को पास किया गया था, लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

सभा का कार्य

Business of the House

ससंदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं आज लोक सभा में घोषणा करता हूं कि सोमवार, 7 मई, 1973 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) उड़ीसा राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1973 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, 1973 (विचार तथा पास करना)

(3) रेल अभियान समिति के प्रतिवेदनों सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा।

(4) एक नई रेल अभिसमय समिति के गठन सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा।

(5) पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय विधेयक, 1973

(विचार तथा पास करना)

(6) संविधान (31वां संशोधन) विधेयक, 1973

(8 मई, 1973 को विचार तथा पास करना)

(7) दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1972, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : There is scarcity of wheat, coal, kerosene oil etc. in Bihar. At many places even the water is not available. I would therefore request that in order to discuss the problems of Bihar at least a period of four hours should be Sanctioned.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : Sir, I had given notice that we should be allowed to raise discussion regarding scarcity of foodgrains, porable water, coal and cement. But so far no decision has been taken on that. We should be given time next week to raise discussion regarding it.

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान अमरीका के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए नीति सम्बन्धी एक वक्तव्य की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सभा को इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया बताई जाए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं संसदीय कार्य मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह वित्त मंत्री को तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए कहें। प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जा चुका है और इसकी प्रतियां सदस्यों को मिल चुकीं हैं। इससे 28 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी प्रभावित हैं। अतः इस सत्र में ही इस पर चर्चा होनी चाहिए।

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : Shri Shinde had made a statement yesterday but in that statement he did not make a mention of Bihar. The condition of Bihar and its adjoing areas is very serious. I would therefore request a discussion on these problems should be made in the House before it adjourns since die.

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं सरकार का ध्यान नाइलोन और विसकोन के धागे की कमी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिस के फलस्वरूप बुनकरों में बेरोजगारी बढ़ रही है। कताई करने वाले लोग धागा जमा कर रहे हैं और अवास्तविक कमी पैदा कर रहे हैं। सरकार को कताई करने वालों की बैठक बुलानी चाहिए और उनसे अनुरोध करना चाहिए कि वे वास्तविक उपभोक्ताओं को धागा दें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं संसदीय कार्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह श्री गोखले से अनुरोध करें कि वे जय इंजीनियरिंग कम्पनी को कलकत्ता से दिल्ली लाने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें। यह एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इससे लाखों लोगों को कठिनाई होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह अवसर कार्य सूची में किन्हीं कार्यों को सम्मिलित कराने के बारे में सुझाव देने के लिए होता है। यदि कोई माननीय सदस्य किसी मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने की प्रार्थना करना चाहता है तो वह उन से सप्ताह में प्रार्थना कर सकते हैं।

श्री के० रघुरामैया : जो मंत्री यहां पर हैं उन्होंने माननीय सदस्यों की बात सुन ली है तथा शेष मंत्रियों को मैं सूचित कर दूंगा।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : कल माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह सम्बन्धित मंत्री से सलाह कर के वेतन आयोग पर चर्चा कराएंगे। उन्हें उस आश्वासन का पालन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उस के बारे में फैसला हो चुका है।

Shri Madhu Limaye : I want that discussion on three important points should be held next week namely report of Tariff Commission reartificial yarn and man-made fibres, Unemployment of 70 lakh weavers as a result of scarcity of yarn and acute shortage of porable water in Bihar, Maharashtra, Rajasthan etc.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

उन्तीसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 29वें प्रतिवेदन से, जो 3 मई 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : अब जो सुझाव दिए गए उनका क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने वे लिख लिए हैं।

श्री जी विश्वनाथन (वांडीवाश) : उन्होंने वेतन आयोग के बारे में कुछ नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य मंत्रणा समिति में है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह निर्णय हो चुका है कि इसपर चार घंटे की चर्चा होगी।

अध्यक्ष महोदय : जो बात कार्य मंत्रणा समिति की कार्यवाही में है हम उसका पालन करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : कल उन्होंने बताया था कि वह वित्त मंत्री से सलाह करेंगे।

श्री के० रघुरामैया : मैं उन्हें आज मिला हूं। उनकी बात उन तक पहुंचाने के लिए समय चाहिए। मैं शेष बातों पर भी गौर करूंगा।

Shri Madhu Limaye– I want to make an amendment on the motion moved by Shri Raghuramaiah. Under rules half an hour discussion can be held on it.

Mr. Speaker:– The procedure has now changed. Now all the suggestions should come at a time when the Minister is announcing the Business of the week.

Shri Madhu Limaye:--But you have not changed the rule.

Mr. Speaker:– It was out of order. This informatian was conveyed to you.

Shri Madhu Limaye : This House is the owner and the Business Advisory Committee is its sub-committee. This House can make amendment in the work of its sub-committee. No body can snatch this right.

Mr. Speaker : The hon. Member can make a suggestion when the Business is announced here.

Shri Madhu Limaye : I want a decision on it.

Shri Shanker Dayal Singh (Chatra) : Sir, one point of order. Under Rule 361 of the Rules of Procedure when the Speaker is on its legs then the hon. Member should resume his seat. Now when you are on your legs the hon. Member is defying the rule while standing.

Mr. Speaker : I shall be glad in case you resume your seat. About others I will see.

Shri Madhu Limaye : Shall I speak my point.

Mr. Speaker : I cannot hold this amendment in order.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : The rules are being adhered to.

Shri Madhu Limaye : I can speak for five minutes even without amendment.

Mr. Speaker : In case you want to speak without amendment then we will have to flant the convention we had adopted in the previous week's business.

Shri Madhu Limaye : I want to read Rule 290.

Mr. Speaker : A convention has been set to adopt the business as presented by the Business Advisory Committee as leaders of all parties take part in that Committee. Does the hon. Member want to bring it under such rule.

Shri Madhu Limaye : If there are no rules then I may resume my seat. If there are rules then I have a right to take their protection. I am feeling the absence of Mr. Kamath. Had he been here I would not have felt here alone.

श्री जी० विश्वनाथन : हमने उच्चतम न्यायालय के बारे में 12 बजे चर्चा करने का निर्णय किया था।

अध्यक्ष महोदय : हमने निर्णय किया था परन्तु अब यह सब कुछ हो गया है।

Shri Madhu Limaye : Shall I speak or sit.

Mr. Speaker : On what point shall you speak?

Shri Madhu Limaye : If you have a right to take decision and I have no right then I may resume my seat. I would also like to know what is your decision.

अध्यक्ष महोदय : आप केवल विभिन्न मदों के समय के नियतन के बारे में बोल सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : Which rule prohibits me here to speak on other items. Let me read the rule.

Mr. Speaker : No.

श्री जी० विश्वनाथन : हमने आधा घंटा खो दिया है। अब हमें उच्चतम न्यायालय के बारे में चर्चा आरम्भ कर देनी चाहिए।

Shri Madhu Limaye : I don't dispute. The motion can be taken up on Tuesday.

श्री जी० विश्वनाथन् : हम सोमवार को चर्चा करने को तैयार हैं।

Shri Madhu Limaye : Sir, What is your decision ?

Shri Shankar Dayal Singh : Sir, under Rule 361 when the chair is on its legs the hon. Member should resume their seats.

श्री एस० एम० बनर्जी : हम यदि कोई मामला यहां न उठाए तो यह और बात है परन्तु किसी सदस्य को अपने संशोधन पेश करने के लिए कैसे रोका जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनका अधिकार नहीं छीन रहा हूं।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister is silent. In case he says something I will not put any hurdles in the way.

श्री के० रघुरामैया : मैं जानना चाहता हूं कि उनके क्या सुझाव हैं। जो भी सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं मैं माननीय सम्बन्धित मंत्रियों को बता दूंगा परन्तु इन पर वे क्या कार्यवाही करते हैं यह उन पर निर्भर करेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 29वें प्रतिवेदन से, जो 3 मई 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में चर्चा—जारी

DISCUSSION *re.* APPOINTMENT OF CHIEF JUSTICE OF INDIA—*(contd.)*

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, Sir, when the discussion on this important issue had started, it was said that the appointment of a junior judge as the Chief Justice of India and the supersession of three judges was not something so big or important on which the House should spend much time. But after hearing the speech of Shri Kumaramangalam, it has become clear that the question is not merely one of appointment of a person as Chief Justice or of supersession of three senior judges, but the question is whether the independence of the judiciary in the country will remain or not. Shri Kumaramanglam's speech has confirmed the apprehensions of expressed by Members of the opposition, the lawyers and intelligentsia of the country. Shri Kumaramanglam had made it amply clear that the Government wanted committed judges who could effectively work and help them in the Supreme Court.

It has been brought to my notice that in 60 per cent cases, the government itself is a party. Whenever individual liberty is sought to be curbed and the fundamental rights are curtailed, one has to knock at the door of the Supreme Court to get justice. But if the judges there are to help the government, who will protect the rights of the citizens. Will it possible for judges, whose philosophy and outlook is the same as that of the government, to safeguard the liberty of the individual and the fundamental rights.

Shri Kumaramanglam also talked of philosophy. Are we to understand that the Congress Party and the government had no philosophy before Shri Kumaramanglam joined it? Is our Constitution not based on any philosophy? Were the framers of the Constitution devoid of any philosophy? Did they not want to promote economic equality by reducing disparities and putting an end to all kinds of exploitation? They did but along with this, they wanted to protect the individual liberty. In order to achieve this end they provided for an independent judiciary. This is why the constitution provides that judges cannot be removed merely by an executive order. In order to remove a judge, a special procedure has been provided in the Constitution. So far as payment of salaries etc. to judges is concerned, it is to be made out of the consolidated Fund of India. Even the Parliament has no power to make any reduction. All this has been done to ensure the independence of the judiciary. Do these provisions not reflect any philosophy?

I have nothing to say against Chief Justice Ray. I have no intention to make any allegation against him. Attention is, however, invited to the case filed by Mundra against the Turner Morrison Company. Mundra wanted to purchase the remaining 51 percent shares in addition to the 49 per cent he already held by paying a sum of Rs. 80,60,000/- in accordance with an agreement with the company. But justice Ray gave his judgement in such a way that Mundra virtually became the owner of 100 per cent shares without paying any amount for the 51 per cent shares. Will Justice Ray be judged on the basis of this judgement?

It is surprising that instead of participating in this discussion in Parliament, the Prime Minister spoke about this matter in a public meeting in Kanpur. There she is said to have made a reference to the President Roosevelt of America. But what Roosevelt had said has no relevance to the conditions prevailing in our country. In America the appointment of judges is confirmed by the Senate and there have been many cases in which the Senate had rejected the President's recommendation and the President had to suggest another name. But in our country, there is no such procedure. We can understand the Prime Minister's ambition to be ranked among personalities like President Roose velt. But this is to be decided by writers of history and not by her sycophants.

Examples from U.K., Australia and Canada have been given. Here I quote Mr. Churchill who had said :—

> "The principal of the complete independence of the judiciary from the executive is the foundation of many things in our Island life. It is perhaps one of the deepist gulfs between us and all forms of totalitarianism. The judge has not only to do justice between man and man but he also—and this is one of his most important functions—has to do justice between the citizens and the State."

If there is conflict between the individual and the State, what type of decision committeed judges give?

Besides, a demand is being made to-day that the judges should be such whose social philosophy is the same as that of the ruling party. If now this demand is allowed to go unchallenged tomorrow the same demand will be raised in regard to the Chief Election Commissioner, the Chairman of the U.P.S.C. and also in regard to the judges, who will be appointed to enquire into cases of police firings. Will this rule be applied in regard to armed forces also?

It is very surprising that the appointment of the new Chief Justice announced in the evening of the same day the Supreme Court had given its decision in regard to the fundamental rights case and he took oath before the next day's sitting of the Court began. What was the need for doing this in the darkness of the night? Why was it done under a veil of secrecy?

It is even more strange that even the retiring Chief Justice was not consulted in regard to this appointment which should has been done according to the spirit of the Constitution. Here I quote Dr. Ambedkar who had said :

> "The provision in the Article is that there should be consultation of persons who are *ex hypothesi* well qualified to give proper advice in matters of this sort."

So the President could have consulted the retiring Chief-Justice. But we have information that the President was pressurised to supersede three judges and appoint Shri Ray as the Chief Justice. Has this been done according to the spirit of the Constitution?

Evidently the Government is striking at the very roots of the independence of the judiciary and is bent upon to do away with the fundamental rights. The Supreme Court has never stood in the way of the Government to bring down prices, to declare the right to work as a fundamental right and to give allowance to those who are unemployed.

As regards the question whether Parliament is supreme or the Supreme Court, in my view both are supreme in their spheres and the people are above all. If the Government feels that the present Constitution is standing in the way of quick socio-economic transformation, then it can change the Constitution. It can even call a new Constituent Assembly to frame a new Constitution. But whatever laws have been made the question of their validity will have to be left to the Supreme Court's decision and the Government should accept the Supreme Court's decision gracefully. If the Government has any differences, there are ways to resolve them. But if the Supreme Court is sought to be made a group of yesmen, then both the Constitution as well as the democracy will be in grave peril.

The Government should either accept the rule of seniority or evolve some other method whereby the judges who are superseded do not have the feeling that they are being insulted for political reasons.

The question is as to which philosophy will now be followed in India? We want to have an independent judiciary who can give its judgement impartially and without any prejudice. We want to safeguard individual liberty as well as bring about economic equality, whereas Shri Kumaramanglam wants only to bring about economic equality. This is the difference between our philosophy and that of Shri Kumaramanglam. The Law Minister and specially the Prime Minister should be asked to explain whether the philosophy propounded by Shri Kumaramanglam is that of the Congress Party and whether that philosophy has ever been discussed in the Party? If the judges are to reflect the philosophy of the party in power then what will be the position in High Courts of different States where different parties are in power? The philosophy propounded by Shri Kumaramanglam is going to strike at the roots of democracy as well as the independence of judiciary in India. So we have decided to fight it out here as well as outside.

Shri B. P. Maurya (Hapur) : While discussing this matter we will have to consider whether the Constitution has been framed for the people or the people are at the mercy of the Constitution. If anything in the Constitution comes in the way of the people, the Constitution will have to be changed or the people will be made to suffer? And once it is realised that the Constitution is meant to serve the people, it is also implied that the Supreme Court is also there for the people at large and not for a handful of rich people.

Dr. Ambedkar while presenting the Constitution on 25th November, 1949 stated that—

"26 जनवरी, 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में समानता होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता रहेगी .....हमें यथाशीघ्र इस परस्पर विरोध को हटाना चाहिए। अन्यथा जो असमानता के शिकार होंगे, वे राजनीतिक लोकतंत्र का समूचा ढांचा तहस-नहस कर देंगे।"

In the light of this Statement of one of the founding fathers of our Constitution it is the duty of the judiciary to interpret the Constitution in such a way that these inequalities are removed from the country.

Those who raise the question of seniority should know that original provision about the procedure of appointment of the judges of the Supreme Court in the draft Constitution is that they shall be appointed by the President after consultation with such of the judges of the Supreme Court and High Courts 'as may be necessary'. This was changed to 'deemed necessary' with a

view to leave the matter entirely to the President. So if the President knows a man to be of outstanding ability, it is not necessary for him to consult anybody. Therefore the question of seniority does not arise.

Even Shri Hegde whose case is being pleaded here did not raise the question of seniority. Instead he talked about fitness. So the question is who will decide fitness. Evidently it will be decided by the President in consultation with the Cabinet.

The charge that the Government want a committed judiciary is not a new one. It has been made for a very long time. But our Prime Minister has never said that she wants to have committed judges. All that she says is that the judges should be forward-looking so that they can look at the law and interpret it with a new angle and a new social consciousness.

Even Justice Hidayatullah once said that we must avoid too much theory and become practical and pragmatic. But there are certain judges who want to confine themselves to their ivory towers from where the people cannot be seen. This is not proper.

So far as independence of judiciary is concerned, Government do not have any intention to curb it. But certainly the judiciary will not be allowed to interpret law in such a style and fashion as if they have made the law.

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : उच्चतम न्यायालय को प्रजातंत्र का गढ़ और न्याय का मन्दिर समझा जाता है। यद्यपि डी०एम०के० ने अधिकतर अवसरों पर उसकी नीतियों का समर्थन किया है और उसका साथ दिया है किन्तु इस मामले में, जो कि बहुत गंभीर है, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते बल्कि निन्दा करते हैं। विधि तथा न्याय मंत्री श्री गोखले ने कल अपने भाषण में "स्वतंत्र न्यायपालिका" का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]

[Shri K. N. Tiwari in the Chair]

संविधान निर्माता तथा प्रमुख कांग्रेसी नेता श्री अनन्तशयनम आयंगर ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय प्रजातंत्र का रखवाला है। वह नागरिक के अधिकारों का संरक्षक एवं अभिभावक है। अतः न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके वेतन, उनकी पदावधि आदि से सम्बन्धित सभी मामलों को विनियमित करना आवश्यक है ताकि कार्यपालिका उनके कृत्य में कुछ भी हस्तक्षेप न कर सके। इसी प्रकार डा० अम्बेडकर ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं और कहा था कि इसमें कोई सन्देह नहीं है, न्यायापालिका को कार्यपालिका से मुक्त रखा जाना चाहिए और ऐसा कानून द्वारा किया जा सकता है।

मैं यह नहीं कहता कि वरिष्ठता का सिद्धांत सर्वोत्तम है और हमेशा उसी पर चलना चाहिए। किन्तु मैं सरकार से एक बात पूछता हूं कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति के सम्बन्ध में आज तक जो परम्परा चली आ रही है, उसे तोड़कर वह कौन-सा नया सिद्धांत प्रतिपादित कर रही है जिसका वह भविष्य में अनुकरण करेगी? सरकार ने जनता के समक्ष ऐसा कोई स्पष्ट कारण या सिद्धांत नहीं रखा है जिसके आधार पर उसने ऐसा किया है। सरकार ने नये मुख्य न्यायाधिपति की चोरी से नियुक्ति की है जिसका पता सेवा निवृत्त होने वाले मुख्य न्यायाधिपित को भी नहीं चला था। इसलिए हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इसीलिए विधि व्यवसाय के सभी लोगों ने तथा जनता ने सरकार की इस कार्यवाही की भरपूर निन्दा की है।

श्री कुमारमंगलम ने कहा है कि "हमें ऐसे न्यायाधीशों की जरूरत है जो समझ सकें कि देश में क्या हो रहा है और देश में किस प्रकार परिवर्तन की हवा चल रही है और जो यह समझ सकें कि संसद सर्वशक्तिमान है।" यदि सरकार इस परिवर्तन की हवा को स्वीकार करती है तो उसे यह भी याद रखना चाहिए कि वायु एक ही दिशा में नहीं चलती, यह आमतौर पर दिशा बदलती रहती है। इसलिए न्यायाधीशों का क्या होगा? क्या सरकार गिरगिट जैसे न्यायाधीश चाहती है जो बदलती हुई हवा के साथ अपना रंग भी बदल दें। श्री कुमारमंगलम का यह सिद्धांत बड़ा खतरनाक सिद्धान्त है।

श्री कुमारमंगलम ने कहा है कि वर्तमान सरकार को पूरा-पूरा अधिकार है कि वह देश के उच्चतम न्यायिक पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करे जो, उसके विचार में, सर्वाधिक उपयुक्त हो और जिसका दृष्टिकोण व विचारधारा उपयुक्त हों। वह केवल सामाजिक विचारधारा की बात नहीं करते बल्कि उपयुक्त विचारधारा व दर्शन की बात करते हैं। यह उपयुक्त दर्शन क्या हैं? विधि मंत्री को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए।

श्री कुमारमंगलम ने स्पष्टत: कहा है कि नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीश के लिए गैर-राजनीतिज्ञ होना जरूरी नहीं है और कोई राजनीतिज्ञ भी इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है और ऐसा लगता है कि इस पद के लिए उनके दिमाग में कोई और व्यक्ति है। विधि मंत्री को हमें बताना चाहिए कि क्या ये विचार सरकार के हैं अथवा क्या इस विचारधारा को संविधान में कहीं स्थान मिला है? किन्तु इस मामले में सरकार का कोई सिद्धान्त नहीं है। वह तो केवल यही चाहती है कि भारत का मुख्य न्यायाधिपति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीश उसके गुलाम हों।

श्री मोहन कुमारमंगलम तथा कुछ अन्य व्यक्तियों ने कुछ साम्राज्यवादी देशों के उदाहरण दिए हैं। रूस में उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों का अधिक महत्व नहीं है। किन्तु सिद्धान्त रूप में वहां भी एक स्वतंत्र न्यायापलिका की परिकल्पना की गई है। श्री मोहन कुमारमंगलम एक राजा से भी आगे बढ़ गए प्रतीत होते हैं। वह तो इस देश को उन अधिकारों से भी वंचित रखना चाहते हैं जो रूस का संविधान भी प्रदान करते हैं।

विधि तथा न्याय मंत्री श्री गोखले ने तर्क दिया है कि यह सब कुछ विधि आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार हैं। जहां तक मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति का सम्बन्ध है विधि आयोग ने स्पष्ट कहा है कि भारत का मुख्य न्यायाधिपति अपने पद पर कम से कम पांच से सात वर्ष तक बना रहना चाहिए। क्या सरकार ने यह नियुक्ति करते समय इस बात को ध्यान में रखा था। वर्तमान मुख्य न्यायाधिपति अपने पद पर केवल तीन वर्ष कुछ मास तक ही बने रहेंगे। सरकार ने विधि आयोग के प्रतिवेदनानुसार कार्यवाही नहीं की है।

विधि तथा न्याय मंत्री श्री गोखले ने आगे यह कहा है कि पिछले 15-20 वर्षों में उच्च न्यायालयों में दो दर्जन मामलों में वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ है। यदि ऐसा हुआ है तो वह गलत बात थी। किन्तु अब तक जो उल्लंघन हुए हैं, वे विचारधारा के आधार पर नहीं हुए हैं और न ही वे सामाजिक दर्शन (विचारधारा) के आधार पर किए गए थे। ये उल्लंघन व्यक्तिगत कारणों के आधार पर किए गए थे। एक गलती को दूसरी गलती करके उचित नहीं ठहराया जा सकता।

सरकार का यह कहना कि विधि आयोग ने वरिष्ठता के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है, सच नहीं है। उसने ऐसा नहीं कहा है कि वरिष्ठता के सिद्धान्त को बिलकुल ही ठुकरा दिया जाना चाहिए। ऐसा तो सरकार ने किया है जो विधि आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार नहीं है।

इस मामले को लेकर आज समूचे देश में रोष की लहर है इसलिए नहीं कि तीन न्यायधीशों का अतिक्रमण किया गया है बल्कि इसलिए कि इससे जनता के विश्वास को भारी ठेस पहुंची है। सरकार जो कुछ कर रही है उससे प्रजातंत्र को खतरा उत्पन्न हो रहा है। न्यायपालिका को ठेस पहुंचा कर अब वह धीरे-धीरे प्रजातंत्र को भी समाप्त कर देगी यह विषय किसी दल विशेष का नहीं है अतः मैं असली कांग्रेसियों से भी अपील करूंगा कि वे भी इस कांग्रेस दल तथा सरकार के विरुद्ध, जिस में कई अन्य बाहरी खतरनाक तत्व घुस आए हैं, आवाज़ बुलन्द करें, जिससे कि न्याय का उचित स्थान बना रह सके और लोगों का उच्चतम न्यायालय में फिर से विश्वास पैदा किया जा सके।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपूजा) : जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि भारत के मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति कर सकता है, इस पर आपत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु आपत्ति इस आधार पर की जा रही है कि अब तक वरिष्ठतम न्यायाधीश को इस पद पर पदोन्नत करने की परम्परा रही है, परन्तु इस परम्परा को कदाशय से तोड़ा गया है जिसके परिणामस्वरूप न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा को धक्का पहुंचा है। जहां तक न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्बन्ध है, जब किसी व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, तो उसे न्यायाधीश के रूप में अपनी आत्म प्रेरणा के अनुसार कार्य करने की पूरी आजादी होती है। इसके लिए संविधान में न्यायाधीश को पूरी गारंटी दी गई है और जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, यह स्वतंत्रता खतरे में नहीं है।

यह दावा किया गया है कि न्यायपीठ में नियुक्तियां कार्यपालिका तथा राष्ट्रपति से स्वतंत्र रह कर की जानी चाहिएं। न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां और न्यायपीठ का गठन एक ऐसा मामला है जिस पर संविधान सभा ने विस्तारपूर्वक विचार किया था। न्यायपालिका में नियुक्तियां करने के लिए देश की जनता का राजनीतिक अधिकार एक ऐसा प्रश्न है जिसका महत्व कदाचित कम नहीं किया जा सकता। राजनीतिक अधिकार सर्वोपरि रहेगा और इसे अवश्य रहना भी चाहिए। एक बार न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाने के पश्चात न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूरे रूप से स्थापित हो जाती है।

विचारणीय है कि उच्चतम न्यायालय के मुकाबले में राष्ट्रपति की क्या स्थिति है ? नियुक्तियों के मामले में राष्ट्रपति को पूरी स्वतंत्रता है। जहां तक न्यायाधीशों का सम्बन्ध है, वे जब तक पदारूढ़ रहते हैं उन्हें न्यायिक कृत्यों को पूरा करने की आजादी है। इसके पश्चात परम्परा का प्रश्न उठाया गया है, ऐसी बात नहीं है कि भारत का संविधान वरिष्ठता के सिद्धांत से अनभिज्ञ हो। परन्तु क्या देश में कोई ऐसा उच्चतम स्थान है जहां पर वरिष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया हो ? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वरिष्ठता का सिद्धांत कोई महत्व नहीं रखता। नियुक्तियों के लिए न्यायिक कानून में वरिष्ठता का सिद्धांत कोई अर्थ नहीं रखता। सामान्य कानून और प्रशासनिक कानून में भी यह सिद्धांत लागू नहीं होता। तो फिर इस सिद्धांत

को भारत के मुख्य-न्यायाधीश की नियुक्ति के क्षेत्र में ही क्यों लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वरिष्ठता ही नियम है। इसलिए इसे लेकर कोई परम्परा कदाचित नहीं बनाई गई है।

संविधान सभा ने संविधान के वर्तमान अनुच्छेदों में किए गये उपबन्धों को स्वीकार किया है। इस देश में न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए किसी स्वतंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक प्राधिकार ही ऐसी नियुक्ति करेगा। अतः यह आवश्यक है कि एक ऐसी स्वस्थ परम्परा स्थापित की जाये कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति विशेष गुणों के आधार पर की जाये और इस पद को साधारण रूप से वरिष्ठतम न्यायधीश को न सौंपा जाये। राजनीतिक प्राधिकार को न्यायपालिका में नियुक्ति करने का अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ना चाहिए।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : इस मामले में सरकार की जोकि दुर्बल होती जा रही है कुमार्गी प्रवृत्ति और हठ का पता चलता है। हम स्पष्ट रूप से आर्थिक गतिरोध और आर्थिक अव्यवस्था देख रहे हैं। पहले ही राजनीतिक अव्यवस्था व्याप्त है और अब यह अव्यवस्था न्यायपालिका के क्षेत्र में भी आ रही है। प्रश्न यह है कि सरकार के इस कृत्य ने देश में इस प्रकार का हंगामा क्यों खड़ा कर दिया है। इस मामले में सरकार के उद्देश्यों पर संदेह क्यों किया जा रहा है? इस विषय में अवश्य संदेह उत्पन्न होगा और बहुत सी हानियां खुले आम गढ़ी जायेंगी। जिस प्रकार गुप्त ढंग से यह सब किया गया है उसे सब ने देखा है। इस विषय में लगभग षड़यन्त्रकारी रवैया अपनाया गया है। यह सब बिल्कुल असभ्य और गंवारू ढंग से किया गया है। सेवा निवृत्त होने वाले न्यायाधीश श्री सीकरी ने कहा है कि इसमे राजनीति का हाथ है क्योंकि मूल अधिकारों सम्बन्धी मामले में उनके द्वारा दिये गये निर्णय और न्यायाधीशों की वरिष्ठता का उल्लंघन परस्पर सम्बन्धित विषय हैं। यदि ऐसा उस स्थिति में किया जाता जब उन्होंने मूल अधिकारों के मामले में सरकार के पक्ष में निर्णय दिये होते तो यह बात सब की समझ में आ सकती थी। परन्तु सरकार की मंशा पर इसलिए पुरा संदेह किया जा रहा है क्योंकि यह मामला विशेष उनके द्वारा दिये गये निर्णय से सम्बन्धित है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानना चाहेगा कि न्यायाधीश श्री रे को उनकी नियुक्ति के बारे में कब बताया गया और उनकी सहमति कब प्राप्त की गई। इस विशेष मामले में ऐसा लगता है कि सभी पिछली प्रक्रियाओं को ताक में रख दिया गया है और मुख्य न्यायाधीश की घोषणा भी सम्भवतः कुछ घंटे पहले ही की गई है।

भारत के कुछ महान्यायवादियों ने भी यह कहा है कि जो हुआ है वह एक बड़ी लज्जा-जनक बात है। उन्होंने इसके साथ ही उन न्यायाधीशों के साहस का भी उल्लेख किया है जिनकी वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया है। इस बारे में प्रधान मंत्री का भी नाम लिया गया है। वास्तव में, ऐसा जान पड़ता है कि न्यायाधीश हेगड़े प्रधान मंत्री को बचाना चाहते थे, फिर भी वह प्रधानमंत्री के नाम तथा प्रतिष्ठा को जितना बचाना चाहते थे नहीं बचा पाये हैं।

जहां तक इस कार्य के संवैधानिक औचित्य का सम्बन्ध है, विधि मंत्री ने स्पष्टतः सभा को गुमराह किया है। मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अन्तर्गत प्राप्त है। मंत्री महोदय ने सभा को यह बताने का प्रयास किया

है कि मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति अनुच्छेद (124)2 के अन्तर्गत प्राप्त होती है। वह अनुच्छेद 124 को उस अनुच्छेद 126 के साथ मिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं जोकि कार्यभारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में हैं। मेरे विचार से यह पुर्णतः अवैध, असंवैधानिक तथा अधिकार-बाह्य नियुक्ति है। अनुच्छेद 124(2) में अपेक्षित बातें पूरी नहीं की गई हैं। अतः यह नियुक्ति अवैध है। आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह ली जानी चाहिए। सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से विचार करे, परन्तु सलाह ली जानी चाहिये।

संविधान सभा की तदर्थ समिति ने भी कहा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में भी सलाह लेना आवश्यक है। प्रधान मंत्री ने और गृह मंत्री ने भी राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसी भी हालत में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के सम्बद्ध उपबन्धों के अनुसार उचित सलाह लेने के बाद की जाती है। प्रधान मंत्री के कथनानुसार जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय सलाह ली गई थी किन्तु इस मामले में अब हमें बार-बार पूछताछ करने के बाद भी यह नहीं बताया गया कि अनुच्छेद 124(2) के अन्तर्गत अपेक्षित सलाह ली गई है अथवा नहीं।

विधि आयोग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। किन्तु सरकार ने विधि आयोग की सिफारिशों के बिल्कुल विपरीत कार्य किया है। विधि आयोग ने कहा है कि स्थायी पदधारक का कम से कम 5--7 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। न्यायाधीश ए० एन० रे का कार्यकाल 4 वर्ष से भी कम का रहा है।

क्या यह सभा या यह देश इस बात के लिए वचनबद्ध है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाये? यदि वह इस विचार से वचनबद्ध है तो हमें यह विचार करना है कि क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की आवाज प्रबल रहेगी। विधि आयोग का प्रतिवेदन सरकार ने 1960 में गृहीत किया था। विधि आयोग की सिफारिशों को 13 वर्ष तक एक ताक में रख दिया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि अब तक न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो परम्परा अपनायी गई वह सही थी। यह परम्परा 13 वर्ष तक रही और सरकार ने इस परम्परा को समाप्त करना उचित नहीं समझा। परम्परा एक परम्परा ही है जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। परम्पराएं उतनी ही पवित्र और महत्वपूर्ण हैं जितना कि स्वयं संविधान।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : एक माननीय सदस्य ने न्यायाधीश श्री ए० एन० रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के निर्णय की संवैधानिकता पर इस आधार को लेकर आपत्ति उठायी है कि यह नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) के अन्तर्गत की गई है। मैं यह बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 124(1) में भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के बीच भिन्नता रखी गई है और अनुच्छेद 124(2) में न्यायाधीशों के सम्बन्ध में उपबन्ध हैं।

कहा गया है कि सरकार के इस निर्णय के फलस्वरूप न्यायपालिका पर से विश्वास डगमगा गया है। न्यायपालिका पर से जो विश्वास कम हुआ है उसका कारण सरकार नहीं

है अपितु स्वयं न्यायपालिका है, क्योंकि देश के सबसे बड़ा न्यायालय अर्थात् उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में निर्णय देने के बाद से राजनीति में पड़ना शुरू कर दिया है। तब से तो यह विश्वास विशेषकर युवा पीढ़ी का, और भी अधिक घटता जा रहा है। वर्तमान मामले में भी जब कभी न्यायाधीशों में राय भिन्न होने का पता लगा, तभी मुख्य न्यायाधीश ने श्री बेग के बिना मामले की सुनवाई करने की कोशिश की और जब भी श्री बेग अस्पताल में रखे गये तो उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीश उपचर्या गृह में गये और डाक्टर पर एक ऐसा प्रमाणपत्र देने का दबाव डाला कि श्री बेग अत्यधिक कार्य का बोझ वहन करने के योग्य नहीं हैं। यदि इन न्यायाधीशों की यह प्रवृत्ति है तो उनका उच्चतम न्यायालय में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त जब सारी बात चैम्बर में होती हैं तो ये न्यायाधीश जो प्रैस के अधिकार की बात करते हैं चैम्बर में हो रही बात प्रैस को प्रकाशित नहीं करने देते।

इन अवसरों पर और उसके बाद श्री हेगडे ने वक्तव्य दिये हैं जिनमें श्री रे की योग्यता पर आपत्ति उठायी गई है, सभी राजनीतिक वक्तव्य हैं। इससे यह अर्थ निकलता है कि यदि इस देश में न्यायपालिका पर से विश्वास डगमगा रहा है तो वह सरकार के निर्णय के कारण नहीं वरन् इसलिए कि उच्चतम न्यायालय निहित स्वार्थों के लिए राजनीति चल रहा है।

हम बहुत ही विशिष्ट प्रश्न को लेकर जनता के पास स्पष्ट आदेश के लिये गये। प्रश्न था कि क्या संसद सर्वोच्च तथा प्रभुसत्तासमपन्न है और क्या इसे मूलभूत अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। जनता ने स्पष्ट निर्णय दिया कि संसद को ऐसा करने का अधिकार है किन्तु नवीनतम फैसला क्या हुआ है? नवीनतम फैसला यह हुआ है कि जब इन न्यायाधीशों को मालूम हुआ कि लोग उन्हें वहा ले जायेंगे तो उन्होंने निर्णय दिया कि "हां, संसद को संशोधन करने का अधिकार है किन्तु वह मूल स्वरूप में संशोधन नहीं कर सकती"। संविधान का मूल स्वरूप क्या है? क्या वह न्यायाधीशो द्वारा निर्धारित किया जाना है अथवा वह एक राजनीतिक प्रश्न है जिस पर लोगों ने जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं निर्णय करना है? एक परिवर्तनशील समाज में समान की मूल भावना प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है और यह स्पष्ट है कि संविधान में स्वयं कोई मूल बात नहीं हो सकती है।

न्यायाधीश श्री हेगडे की अपनी राजनीतिक विचारधारा है। वह इस बात का विचार नहीं कर सकते कि कोई न्यायाधीश संविधान की व्याख्या करते हुए किसी मामले में अपना निर्णय देते हुए ऐसा निर्णय देते हैं जो उनकी अपनी राजनीतिक विचारधारा पर आधारित है। श्री हेगडे के निर्णय में राजनिति है। जब श्री नीरेन डे ने तर्क दिया तो कहा कि "श्री हेगडे ने निर्वाचन आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि सत्ताधार दल को कुछ मतों में केवल 43.4 प्रतिशत ही मत मिले हैं।" इन बातों से यह दिखाई देता है कि वह मामलों में एक न्यायाधीश के रूप में निर्णय नहीं देते रहे हैं वरन् अपनी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर निर्णय देते रहे हैं।

यदि न्यायपालिका में जनता का विश्वास बनाए रखना है तो न्यायपालिका को भी उचित मार्ग अपनाना है। मैं सरकार के इस पक्ष का पूरे दिल से समर्थन करता हूँ। सरकार के इस निर्णय से लोगों के, हमारे देश के पददलित मेहनतकश लोगों तथा युवा पीढ़ी के लोगों में भी जो भविष्य के प्रति आशा और विश्वास बांधे हुए हैं, एक नई चेतना और विश्वास आया है।

श्री फ्रेंक एंथोनी (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : स्वतंत्रता के तुरन्त पश्चात् प्रतिष्ठित न्यायशास्त्री और संवैधानिक पंडित पहले से ही इस बात पर विचार करते रहे हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखा जाए और कैसे उसे शक्तिशाली बनाया जाये। सप्रू कंसिलियेशन कमेटी ने इस विषय पर काफी अधिक समय तक विचार किया कि किस प्रकार न्यायपालिका को राजनीतिक संरक्षण अथवा प्रभाव से मुक्त रखा जाए। संविधान सभा ने भी इस एक मात्र पहलू पर काफी समय विचार किया और इस सिधान्त का सर्वसम्मति से समर्थन किया कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका शायद लोकतंत्र के लिये सबसे महत्वपूर्ण है और यह कि एक विधि-हींन कार्यपालिका से नागरिकों को बचाने के लिये कानून ही एकमात्र आड़ है। अतः विधिहीन कार्यपालिका न्यायपालिका की नियुक्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उच्चतर नियुक्ति में राजनीतिक संरक्षण या प्रभाव नहीं होना चाहिए।

संविधान ने निर्माताओं ने निदेशक तत्वों को भी बनाया। यह न्यायपालिका के लिए निम्नस्तर की नियुक्तियों के संबंध में है। निदेशक तत्वों में यह बताया आया है कि निम्न स्तर की नियुक्तियों में भी कार्यपालिका का न्यायपालिका से अवश्य ही कोई संबंध नहीं होना चाहिए। संविधान सभा न्यायपालिका पर राजनीतिक संरक्षण या प्रभाव रहने के बारे के इस सीमा तक चिन्तित थी।

विधि मंत्री ने विधि आयोग की 13 वर्ष पूर्व की सिफारिशों से एक वाक्य का उद्धरण देकर अपने साथ भी न्याय नहीं किया है। स्वयं विधि आयोग के सदस्यों ने मंत्री महोदय पर सबसे अधिक आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि विधि मंत्री महोदय ने एक वाक्य को उद्धरण को तोड़मरोड़ पर पेश किया है।

14वें प्रतिवेदन में न्यायपालिका के बढ़ते हुए दूषण की निराशाजनक स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। उसमें कहा गया है कि उच्च न्यायाधीश के रूप में जो न्यायाधीश बनने के योग्य नहीं है नियुक्त करने की शिकायतें उन्हें मिली हैं। उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 217 का संशोधन किया जाए। किन्तु उस सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया गया है। जिस सीमा तक मुख्य मंत्रियों द्वारा अपने पिठ्ठुओं की नियुक्ति की जाती रही है उसके कारण न्यायपालिका का जो राजनीतिक दूषण बढ़ा है उसके फलस्वरूप हमारे उच्च न्यायालयों का कार्यस्तर पहले ही काफी घटिया हो चुका है।

न केवल उच्चतम न्यायालय के किन्तु उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि अब उम्मीदवारों को मंत्रियों के अतिरिक्ति उप-मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के हां भी चक्कर काटने पड़ते हैं। इससे अधिक और कितनी गिरावट हो सकती है। वरिष्ठ न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधिपति के पद से वंचित किये जाने का रोष सर्वत्र व्याप्त है। उच्चतम न्यायालय की बार एसोसिएशन ने संकल्प पारित करके इस अतिलंघन की निंदा की है। क्या ये सभी मूर्ख है ? इस रोष का कारण एक ही है और वह इन नियुक्तियों में बढ़ता हुआ राजनीतिक हस्तक्षेप है, जो सिद्धान्तहीनता का परिचायक है।

ऐसी नियुक्तियों के मामले में संविधान का अनुच्छेद 124 लागू होता है। अनुच्छेद 126 तो केवल कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति के मामले में लागू होता है। अनुच्छेद 124 के अधीन यह आवश्यक है कि मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति करते समय

सेवा से निवृत होने वाले मुख्य न्यायाधिपति तथा अन्य न्यायाधीशों की सलाह ली जाए। पतांजली शास्त्री के स्थान पर जब जवाहरलाल जी श्री मुखर्जी को लाना चाहते थे, तब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह माननी पड़ी थी। परन्तु इस बार संविधान के उपबन्धों को ताक में रख दिया गया है। किसी भी न्यायाधीश की सलाह नहीं ली गई है। राजनीतिक मामलों संबंधी समिति के सदस्यों की सलाह अवश्य ली गई है। प्रश्न यह उठता है कि क्या इन में कोई भी सदस्य इस योग्य है कि वह न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में अपनी कोई सलाह दे सके। इससे उच्चतम न्यायालय का अपमान और अपकीर्ती ही हुई है। संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने के लिये कहा गया है। किन्तु श्री रे की नियुक्ति से उच्चतम न्यायालय को कार्यपालिका के साथ जोड़ दिया गया है। श्री मोहन कुमार मंगलम श्री हैगड़े से बहुत ही भयभीत थे। श्री हैगड़े की नीतियां चाहे कुछ भी हों उनकी योग्यता के बारे में किसी को कोई संन्देह नहीं है। यदि हैगड़े जी मुख्य न्यायाधिपति बन जाते तो, वह श्री मेहर चन्द महाजन की तरह उच्चतम न्यायालय के गौरव को बनाए रखते। श्री रे एक सरकारी कर्मचारी बन के रह गये हैं। आम-सम्मान का ध्यान रखते हुए उन्हें इस पद पर आसीन होने से इन्कार कर देना चाहिए था। इस प्रकार अपने साथियों का गला काटना कोई अच्छी बात नहीं है। इसके परिणाम बहुत ही हानिकारक होंगे।

साम्यवादियों के कुछ वर्गों ने इस नियुक्ति का स्वागत किया है। उन्हें इस बात की खुशी है कि उनके रास्ते में जो बाधाएं थीं वे दूर हो गई हैं। अब न्यायालयों में भी घुस जायेंगे, और तब ईश्वर भी हमारी सहायता नहीं कर सकेंगे। श्री कुमारमंगलम साम्यवादी हैं और वह सरकार के सामाजिक विचारधारा के अभिरक्षक बन बैठे हैं। साम्यवादी संसदीय लोकतंत्र मूलअधिकारों और स्वतंत्र न्यायपालिका को समाप्त करना चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे इस प्रकार अन्दर घुसकर सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहते हैं। श्री कुमारमंगलम को न ही लोकतंत्र की और न ही विधि की कोई जानकारी है। लोकतंत्र का पहला सिद्धान्त विधि का शासन है। विधि का शासन तभी स्थापति हो सकता है जब स्वतंत्र न्यायपालिका हो। आज सरकार भाई भतीजेवाद और भ्रष्टाचार के पंजे में है। नागरिक परेशान हैं। उन्हें केवल एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही इस परेशानी से बचा सकती है। सरकार के विरुद्ध नागरिकों तथा अल्पसंख्यक वर्गों की अब कौन रक्षा करेगा। अनुच्छेद 30 के अधीन हमारे जो मूल अधिकार हैं उनके अन्तर्गत कई मामले मैंने जीते हैं। श्री कुमारमंगलम ने मुझे कहा था कि यदि उन्हें शासन की बागडोर कभी हाथ लगी तो वह अनुच्छेद 30 को संविधान में से निकाल देंगे। अब तो संविधान का संशोधन ही नहीं करना पड़ेगा।

इस देश के लोग मुद्रा-स्फीती, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान हैं। लोगों की परेशानी केवल सरकार ही दूर कर सकती है। इससे न्यायाधीशों का कोई संबंध नहीं है न्याय-पालिका की स्वतंत्रता को समाप्त करके सरकार कार्यपालिका की अव्यवस्था को बढ़ा रही है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : इसमें कोई संन्देह नहीं है कि वरिष्ठ न्यायाधीशों के स्थान पर एक कनिष्ठ न्यायाधीश, श्री रे को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति बनाए जाने पर लेखा कर्म व्यवसाय तथा विधि व्यवसाय के कुछ सदस्य काफी रुष्ट हैं। इस नियुक्ति को लेकर जिस प्रकार यह विवाद चल रहा है उससे मुझे बहुत दुख हुआ है। यदि हम उच्चतम न्यायालय

के गौरव और उसकी कीर्ति को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें ऐसा निर्णय चित्रण नहीं करना चाहिये था। कि वे तीन वरिष्ठ न्यायाधीश ही सब से योग्य हैं और अन्य सभी सिद्धान्तहीन दूसरों का गला काटने वाले और सरकार के पिछलग्गू हैं। इस मामले में आपसी भेदभाव और कटुता और शत्रुता को भुलाकर निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना चाहिए। जिन न्यायाधीशों की वरिष्ठता की उपेक्षा की गई है उनमें से एक न्यायाधीश ने, जो बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, प्रधान मंत्री के विरुद्ध कुछ ऐसी बातें कहीं है जो उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की शान के शायां नहीं है। उन्हें उच्चतम न्यायालय की गरिमा का कुछ तो ध्यान रखना चाहिए था।

यह मैं बिलकुल स्पस्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे दल के सदस्य यह कभी नहीं चाहेंगे कि न्यायपालिका कार्यपालिका के आधीन हो। क्योंकि हम जानते हैं कि इससे लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो हिल जायेंगी। लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिये एक स्वतंत्र न्यायप्रिय और अभ्रष्ट न्यायपालिका का होना नितान्त आवश्यक है। वरिष्ठता के नियम को लागू न करने का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय में सरकार के कुछ पिछलग्गुओं को भरना है तो हम ऐसी योजना का पूरी ताकत से विरोध करेंगे। किन्तु वर्तमान न्यायाधीश ऐसे नहीं हैं। इस अतिलंघन आदेश के पीछे कोई कारण, कोई सिद्धान्त और कोई औचित्य है, जिसे समझने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसे बिना समझे प्रधान मंत्री कुमारमंगलम या श्री गोखले की कटु आलोचना करना ही न स्वतंत्र न्यायपालिका और न ही संसदीय लोकतंत्र के हित में है। हमें इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

जनसंघ के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह कहना है कि कुमारमंगलम ने इन वरिष्ठ न्यायाधीशों पर पक्षपात का आरोप लगाया है और उनकी ईमानदारी पर सन्देह प्रकट किया है, सही नहीं है। श्री कुमारमंगलम ने न तो ऐसा कभी कहा है और न ही वह ऐसा कहेंगे क्योंकि जहां तक उनकी ईमानदारी, सचरित्रता, विदुता और बुद्धिमता का प्रश्न है, उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। निःसन्देह बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। किन्तु न्यायाधीशों की अपनी अभिरुचि प्राथमिकता और पसंद होती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे ईमानदार या सच्चरित्र नहीं है। वरिष्ठता के नियम की उपेक्षा करने के कुछ वैध कारण हैं।

देश की जनता ने सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में अमूल परिवर्तन लाने की, जिससे शोषण का दौर समाप्त हो और इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वर्गों में व्याप्त विषमताओं को दूर किया जा सके, जिम्मेवारी हमें सौंपी है। इस उद्देश्य की पूर्ति किसी सामाजिक एवं आर्थिक दर्शन या सामाजिक एवं राजनैतिक दर्शन को अपनाए बिना नहीं की जा सकती है। अतः हमने एक सामाजिक एवं राजनैतिक दर्शन अपनाया है। इसका विरोध चुनावों सार्वजनिक सभाओं, राज्य विधान मंडलों, संसद में किया जाए, तो उचित ही है और हम इसका स्वागत करते हैं किन्तु यदि न्यायाधीश ऐसे दर्शन का उच्चतम न्यायालय में विरोध करते हैं चाहे इसके कारण कितने ही वैध क्यों न हो, तो एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम जनता द्वारा सौंपी गयी जिम्मेवारियों को कैसे निभा सकते हैं। जनता की मांगें और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये यह उचित ही है कि ऐसे कार्यक्रमों का विरोध करने वाले न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अपेक्षा की जाए। अतः अधिलंघन आदेश से लोकतंत्र की जड़ें

मजबूत होंगी। पश्चिमी देशों में भी ऐसे ही कदम उठाये गये हैं। इससे वहां पर लोकतंत्रीय ढ़ांचे को कोई हांनि नहीं हुई है।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : सरकार ने जितना बड़ा जुर्म किया है, उतना ही बड़ा वकील भी चुना है। श्री कुमारमंगलम ने जो एक मशहूर वकील है, जिस नाटकीय ढ़ंग से अपनी बात कही है, उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने सब कुछ ईमानदारी से और साफ साफ कहा है। चूंकि उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है इसलिये इस बारे में कोई तर्क देने की आवश्यकता ही नहीं रही है।

संविधान के अनुच्छेद 124 और 126 के आधीन मुख्य न्यायाधिपति तथा न्यायाधीशों को नियुक्त करने का सरकार को पूरा अधिकार है। इसके साथ-साथ सरकार की सद्भावनाओं के बारे में कोई संदेह नहीं रहे और कोई आलोचना न हो, इसके लिये एक परम्परा औचित्य का नियम और प्रक्रिया का एक नियम था जिसे भंग कर दिया गया है। यह ठीक है कि विधि आयोग ने 15 वर्ष पूर्व जहां यह सुझाव दिया था कि मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति के बारे में केवल वरिष्ठता की कसौटी ही नहीं होनी चाहिए वहां यह भी कहा था कि यदि सरकार इस परम्परा को तोड़ने का निर्णय करती है तो सरकार को चाहिए कि वह इसकी बहुत पहले ही मुनादी करा दे। किन्तु खेद है कि ऐसा कुछ न करके सरकार ने सहसा ऐसा कदम उठाया है जिससे न केवल एक परम्परा ही समाप्त हो गई है किन्तु एक संस्था भी समाप्त हो गयी है। अब उच्चतम न्यायालय में प्रगतिवादी न्यायाधीश भरे जाया करेंगे चाहे उन्हें विधि का कोई ज्ञान हो या न हो। ऐसे न्यायाधीशों का, जो विधि का निर्वचन करने के योग्य हैं, अतिलंघन कर दिया जाया करेगा। मुझे न्यायाधिपति श्री ए० एन० रे के बारे में कुछ नहीं कहना है। किन्तु मैं इतना अवश्य जानना चाहूंगा कि न्यायाधिपति श्री रे० में ऐसी कौनसी बातें हैं जिनको ध्यान में रख कर उन्हें सबसे अधिक योग्य पाया गया है।

मैं श्री कुमारमंगलम से सहमत हूं कि न्यायाधीश भी साधारण मनुष्य ही होते हैं और वे गलतियां भी कर सकते हैं। गलतियां तो प्रधान मंत्री और अन्य मंत्री भी करते हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि ऐसे व्यक्ति कहां से लाये जायें जिनसे कोई गल्ती न होती हो। क्या मुख्य न्यायाधिपति श्री रे० ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे ?

न्यायाधीशों को नियुक्त करने की योग्यता और उपयुक्तता की जो कसौटी अपनायी गई है वही अन्य राजनैतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में भी अपनाई जानी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग को भी ऐसी हिदायतें क्यों न दे दी जायें कि वह केवल प्रगतिवादी दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों को ही भर्ती किया करे।

श्री कुमारमंगलम ने अपने भाषण में यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीश प्रतिक्रियावादी हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि उन्हें किस ने चुना था। उनकी नियुक्ति श्रीमती इन्दिरागांधी के पिताजी ने ही की थी। किन्तु श्रीमती इंदिरा गांधी आज अपने पिता के किये पर पानी फेर रही हैं।

श्री कुमारमंगलम ने अपनी अनुचित बात को उचित सिद्ध करने के लिये कई अमरीकी न्यायशास्त्रियों की बात कह कर और इस संबंध मं ब्रिटेन और कनाडा में न्याय व्यवस्था

का उल्लेख करके अपनी बात को समर्थन प्रदान करने का प्रयत्न किया है। किन्तु यह समझ में नहीं आया कि उन्होंने प्रक्रियावादी और साम्राज्यवादी देशों का तो उल्लेख किया है किन्तु सबसे अधिक प्रगतिवादी देश, सोवियत संघ का कोई हवाला नहीं दिया है। जब हम और बातों में तो रूस की नकल करते हैं, तो न्याय प्रशासन के मामले में रूस की नकल न करके अमरीका की क्यों नकल करना चाहते हैं ?

जहां तक सामाजिक दर्शन की बातें हैं मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। अब लोगों के सबर का प्याला भर गया है। सामाजिक व्यवस्था को तुरन्त बदलने की आवश्यकता है। इसके लिये उच्चतम न्यायालय ने सरकार को संविधान में संशोधन करने का पूरा अधिकार दे दिया है। संविधान में उचित संशोधन करके उस उद्देश्य की पूर्ती की जा सकती है।

श्री के० एन० तिवारी भी पीठासीन हुए।

[*Shri K. N. Tiwari in the chair*]

श्री वसन्त साठे (अकोला) : यदि न्यायाधिपति, श्री शलट को, जो जुलाई में ही सेवा से निवृत्त होने वाले थे, मुख्य न्यायाधिपति के पद पर आसीन कर दिया जाता, तो शायद इस मामले में इतना शोर शराबा न होता। हाँ, बाद में यदि सरकार चाहती कि वरिष्ठता के नियम को खत्म कर दिया जाये और इस सम्बन्ध में विधि आयोग की सिफारिश को मान लिया जाये, तो यह सब बाद में बड़े शाँत ढंग से हो सकता था। श्री फ्रैंक एन्थनी ने परामर्श करने की बात कही। अनुच्छेद 124(2) के अधीन राष्ट्रपति के लिये यह अनिवार्य है कि वह मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति के मामले को छोड़कर अन्य मामलों में न्यायाधीशों से परामर्श करें। परन्तु मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति के मामले में किसी से परामर्श करना अनिवार्य नहीं है।

मेरे मित्र श्री पीलू मोदी ने उस दिन अनुच्छेद 19 और 39 में अन्तर्विष्ट मूल अधिकारों में भेद बताते हुए यह कहा कि मूल अधिकार जो अनुच्छेद 19 में दिये गये हैं वे अधिक पवित्र हैं क्योंकि वे जन्मजात हैं जबकि अनुच्छेद 39 में दिये गये निदेशक तत्व जन्मजात नहीं हैं। इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 19 में उल्लिखित कई अधिकार ऐसे हैं जिनकी आड़ में आम लोगों का शोषण किया जाता है। सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का जो अधिकार है, उसे ही ले लीजिये। कुछ लोग गरीबों का शोषण करके इतनी अधिक सम्पत्ति धारण कर लेते हैं। तो क्या इसे हम जन्मजात अधिकार कहेंगे ? मेरे विचार में इन अधिकारों और निदेशक तत्वों में कोई अन्तर नहीं है अन्तर केवल इतना है कि निदेशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती है। अन्यथा अनुच्छेद 38 और 39 में दिये गये निदेशक तत्व अधिक मूलभूत हैं। अब जब राज्य इन निदेशक तत्वों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कोई कानून बनाता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर देते हैं।

कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही गाड़ी के दो पहिये हैं, जिन्हें विधान के साथ मिलकर एक ही दिशा में अग्रसर होना चाहिये। यदि एक पहिया उलट दिशा में चलने लगेगा, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकेगी, यदि हम लोगों के लिये वास्तव में ही कुछ करना चाहते हैं, तो न्यायपालिका को संसद् के साथ सामन्जस्य स्थापित करके आगे चलना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये राष्ट्रपति ने संवैधानिक ढंग से ऐसे लोगों को, जो निदेशक तत्वों या संविधान के उद्देश्यों और नीति में विश्वास नहीं रखते है, अलग करके ठीक ही किया है।

Shri Mool Chand Daga (Pali) : The opposition parties should rather be happy that Shri Hegde has decided to join one of the opposition parties.

The way in which the opposition parties were routed in the last mid-term polls, this has naturally created a sense of frustration in them. As a result of this frustration, they are now trying to create furore in the Parliament by raising each and every matter here. Nothing unconstitutional has been done. Neither the constitution nor anything else has been murdered.

Much has been said against the speech made by Shri Kumaramanglam. But what is wrong with what Shri Kumaramanglam has said? All that he said was that the constitution was meant to serve the people and that it must change according to the aspirations of the people. In the present circumstances, it is very necessary. In the last elections, we had made a promise to the people to improve their living condition. The people believed us and returned us with a massive majority. Therefore, it is our duty to implement what we had promised and that is exactly what we are trying to do. But some intellectuals, capitalists and political parties are putting obstacles in our way. They are trying to spread discontentment among the people on one or the other plea. The fact is that Shri Kumaramanglam has not referred to any new philosophy. It is the philosophy which has already been spelt in our Constitution. We simply want to make some changes in the constitution according to the hopes and aspirations of our people. This is very necessary, if we want to save our people from exploitation and capitalism. But opposition parties are making capital out of it. It is quite clear from the speech of Shri Morarji Desai which he made yesterday. He asked the audience to resolve to over throw the Government and Shri Atal Bihari Vajpayee urged Chief-Justice A. N. Ray to resign on his own or he would be made to quit. By making such speeches, they are trying to create dis-satisfaction among the masses. But they have failed in their attempt as is evident from the black flag demonstration before the retired justice Shelat and justice Hegde.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): महोदय, श्री कुमारमंगलम ने दो दिन पहले जो भाषण दिया, उससे ऐसा प्रतीत होता हैं कि वह देश को एकदलवाद की ओर ले जाना चाहते हैं। तथापि यह एक खुशी की बात है कि सभा में तथा इसे बाहर भी इसका विरोध किया गया है। हमें इस सम्बन्ध में अतिवाद को छोड़कर कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिये। सभा श्री कुमारमंगलम की उस सामाजाकि विचार धारा को अच्छी तरह से समझती हैं, जिसमें उनकी आस्था है और जिसे वह न्यायपालिका जैसे सरकार के प्रमुख अंगों पर लागू करना चाहते हैं। क्या कांग्रेस के सभी सदस्य ईमानदारी से इस साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं? यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें चाहिये कि वे सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि वे इस विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं।

श्री कुमारमंगलम ने अपना पक्ष बड़ी सफाई से पेश किया है। उन्होंने ऐसे तथ्यों पर बल दिया जो उनके पक्ष में हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने अमरीका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और कनाडा के उदाहरण दिए और वहाँ के लोगों की बातों का हवाला दिया। किन्तु उन्होंने ऐसे किसी देश का हवाला नहीं दिया है, जिसकी सामाजिक विचारधारा उन्हें प्रिय है। उक्त देशों का हवाला देते समय उन्होंने इस बात का भी ज़िक्र नहीं किया है कि उन चार लोकतन्त्रीय देशों में विपक्षी दल मज़बूत हैं। वहाँ पर स्वतन्त्र न्यायपालिका स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र रेडियो तथा टेलीविज़न है जो कि स्वतन्त्र रूप से सरकार की आलोचना कर सकते हैं। इन देशों में जनमत सुविज्ञ, मेधावी और प्रबुद्ध है। इस के अतिरिक्त वहाँ पर संविधानों में ऐसे रक्षोपाय किए गए हैं जो किसी व्यक्ति को, चाहे उसकी नियुक्ति राजनैतिक आधार पर ही क्यों न की गई हो, सरकार के पक्ष में या अन्यथा किसी प्रकार की मनमानी करने से रोकते हैं। यदि ऐसी दशाएं हमारे देश में विद्यमान होती, तो इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति पर हमें कोई आपत्ति न होती। परन्तु खेद है कि उक्त दशाएं हमारे देश में विद्यमान नहीं हैं।

सरकार ने सहसा जो कार्यवाही की है वह निःसन्देह स्वतंत्र न्यायपालिका को समाप्त करने के लिए एक षडयंत्र है जिसकी रचना ऐसे वर्गों ने की है जिनकी लोकतंत्रीय संस्थाओं में कोई आस्था नहीं है। इससे संसदीय लोकतन्त्र का अहित होगा और लोकतन्त्रीय संविधान की बदनामी होगी।

हमें व्यक्तिगत रूप से न्यायाधीशों के बारे में कुछ नहीं कहना है। यह एक नीति का प्रश्न है। यह ठीक है वरिष्ठता का सिद्धांत इतना पवित्र नहीं है, किन्तु 15 वर्षों के पश्चात् विधि आयोग की सिफारिश सहसा क्यों अच्छी लगने लगी।

तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता समाप्त करने से पूर्व, देश, संसद और विशेषतया न्यायापालिका की सलाह क्यों नहीं ली गई? न्यायाधीशों ने पद का त्याग कर के यह सिद्ध कर दिया है कि वे निष्पक्ष और आत्म-सम्मान वाले व्यक्ति हैं और सारा राष्ट्र उनकी इस कार्यवाही पर उनको बधाई देता है।

यह एक सुविदित बात है कि न्यायाधीश प्राकृति से रूढ़िवादी होते हैं। किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उनकी अपनी भी कोई विचारधारा होती है। तथापि न्यायाधीशों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे देश की प्रगति में कोई बाधा न डालें। लोगों की आकांक्षाओं, संसद के संकल्पों और अधिनियमों का सम्मान किया जाना चाहिए। लोगों से भी भूल हो सकती है और संसद् भी भूल कर सकती है। सर्वगुण सम्पन्न तो कोई भी नहीं है। न्यायाधीश स्वतंत्र हों तो वे हर मामले में उसके गुण-दोषों के आधार पर अपना निर्णय देते हैं। किन्तु यदि सरकार इस प्रकार के न्यायाधीशों को नियुक्त करना चाहती है जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाएं, तो यह लोकतंत्रीय मान्यताओं के विरुद्ध बात होगी।

हमारे संविधान की रचना करने वालों ने बड़े परिश्रम से एक स्वतंत्र न्यायापालिका का उपबन्ध किया था। किन्तु खेद है कि अब सरकार ने अपनी कार्यवाही से इस स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया है। सरकार ने न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप कर के इसे जो क्षति पहुंचाई है उसके प्रति हमारा सम्पूर्ण राष्ट्र सचेत हो उठा है और इसके विरोध में जगह-जगह से आवाज़ उठ रही है। सरकार ने यह कार्यवाही मूल अधिकारों के मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय के दिए जाने के पश्चात् की है, जिसमें इन तीन न्यायाधीशों ने, जिनका अतिलंघन किया गया है, सरकार की राय के विरूद्ध अपना मत दिया है। इससे लोगों का न्यायपालिका की निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता से अपना विश्वास बिल्कुल उठ गया है। व्यक्तियों द्वारा व्यक्त की गई स्वतंत्र राय सदा भिन्न और असुविधाजनक होती है। खेद है कि यहाँ लोकतन्त्र को लोकतन्त्रीय ढांचे की सहायता से ही समाप्त किया जा रहा है। यह कार्यवाही हमें जर्मनी में हिटलर के कारनामों की याद दिलाती है। आशा है कि हम अपने देश में वैसा नहीं होने देंगे।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : इस सम्बन्ध में हमें मुख्य रूप से तीन प्रश्नों पर विचार करना है। पहला यह कि क्या भारत के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति तथा उसके परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों का अतिक्रमण (सुपरसेशन) संवैधानिक तथा वैध है, और दूसरा यह कि यदि वह संवैधानिक तथा वैध है तो क्या सरकार की ओर से जो ऐसी नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है, यह बिल्कुल अनुचित कार्यवाही है और तीसरा यह कि अतिक्रमण की यह तथा-कथित अनुचित कार्यवाही के बावजूद क्या इस नियुक्ति से प्रजातंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है।

अनुच्छेद 126 के साथ पठित अनुच्छेद 124 में भारत के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति के सम्बन्ध में परामर्श करने के लिए कोई उपबन्ध अथवा प्रक्रिया उल्लिखित नहीं है। जब यह मामला संविधान सभा के समक्ष लाया गया तो श्री अनन्तशयनम अयंगार ने कहा:

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करना जरूरी है किन्तु जहां तक स्वयं मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति का सम्बन्ध है, उससे कोई उच्चतर न्यायिक प्राधिकारी नहीं है जिससे परामर्श किया जा सके।

1966 में उच्चतम न्यायालय ने एक और न्यायिक निर्णय दिया कि राष्ट्रपति को जब संवैधानिक उत्तरदायित्व के रूप में किसी से परामर्श करना हो तो उन्हें केवल उसी व्यक्ति से परामर्श करना होगा, अन्य किसी व्यक्ति से नहीं। अब स्थिति यह है कि जब संविधान के अधीन किसी व्यक्ति से परामर्श करना आवश्यक नहीं है तो फिर भारतीय संघ के प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्यवाही करनी होती है और मंत्रिमंडल की प्रधान प्रधानमंत्री महोदया हैं जिसने उन्हें भी ए० एन० रे को भारत का मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त करने की सलाह दी है।

कुछ लोग राजनैतिक औचित्य के आधार पर इसकी आलोचना जरूर कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि इसमें राजनैतिक अनौचित्य क्या है। कुछ दिन पहले तक न्यायमूर्ति श्री ए० एन० रे एक योग्य व्यक्ति थे क्योंकि उन्हें विधिवत उच्चतम न्यायालय का उत्तरवर्ती न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसका क्या यह अर्थ है कि उन्हें भारत का मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त करते ही वह अपनी अन्तर्आत्मा बेच देंगे और वर्तमान सरकार के हाथ कठपुतली बन जाएंगें। न्यायाधीशों की निष्ठा व ईमानदारी पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अपने पथ से विचलित नहीं होते अतः हमारे न्यायाधीशों के बारे में अदूरदर्शी दृष्टिकोण बनाना और उनके चरित्र पर सन्देह करना सर्वथा अनुचित है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस नियुक्ति के कारण प्रजातंत्र खतरे में नहीं पड़ा है।

जहाँ तक परम्परा का सम्बन्ध है, इससे पूर्व संयोगवश उच्चतम न्यायालय के कुछ वरिष्ठ न्यायाधीश मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त किये गये थे, वे अच्छे, ईमानदार तथा योग्य न्यायाधीश होने के साथ-साथ वरिष्ठ भी थे जो महज एक संयोग की बात थी। यदि मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति के मामले में वरिष्ठता के सिद्धान्त का कठोरता से पालन किया जाये, तो उसका अर्थ यह होगा कि राष्ट्रपति तथा सरकार को इस मामले में कोई भी अधिकार नहीं रह जायेगा। और फलतः संविधान में एक नया खण्ड, नया उपबन्ध जोड़ना पड़ेगा जो इस समय उसमें नहीं है।

प्रतिवद्ध न्यायपालिका के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। श्री कुमारमंगलम ने अपने भाषण में कहीं भी यह नहीं कहा कि भारत में भी रूस के समाजवादी ढांचे के अनुरूप प्रतिवद्ध न्यायपालिका ठीक रहेगी। प्रतिवद्धता का अर्थ संविधान के सामाजिक और निदेशक सिद्धांतों के प्रति वफादारी है और कोई भी व्यक्ति जो देश की प्रगति में बाधा डालना चाहता है और जो लोगों की आकाँक्षाओं और अरमानों की अभिपूर्ति में बाधक बनता है उसे हटाना पड़ेगा और केवल इस संदर्भ में हमें प्रतिवद्ध न्यायपालिका का अर्थ समझना है।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : प्रतिपक्ष ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि मुख्य न्यायाधिपति को वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। यदि इस तर्क को मान लिया जाए, तो सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश स्वतः ही मुख्य न्यायाधिपति बन जायेगा, किन्तु मामला ऐसा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अधीन सभापति को मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उन्हें इस मामले में स्वैच्छिक अधिकार प्राप्त हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार अथवा कार्यकारिणी से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

देश में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है और उसने वर्ष 1971 के चुनावों में श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में अपनी आस्था प्रकट की है। देश की जनता की इच्छा ही राष्ट्र के भाग्य का निर्माण करती है। देश का बहुमत जो बात चाहेगा और जिस ढंग से चाहेगा, उसी ढंग से वह बात होगी, आज हम न्यायाधीशों के अतिक्रमण के प्रश्न पर संसद का इतना अधिक मूल्यवान समय बर्बाद कर रहे हैं जब कि देश में भूख से मर रहे गरीब लोगों के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। आज जनता की माँग है कि उसके लिए भोजन, कपड़ा, मकान, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं आदि की जाएं अतः सरकार पर भारी दायित्व है और उसे ध्यान में रखना होता है कि वह देश की जनता की इच्छाओं तथा भावनाओं को कहां तक पूरा कर सकती है और इस दृष्टि से यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो वह कोई गलत बात नहीं है।

हमारे देश के सभी मुख्य न्यायाधिपतियों के रिकार्डों का अध्ययन करने से पता चलता है कि अधिकतर मामलों में, सेवा निवृत्ति होने से पूर्व, जनता की भावनाओं तथा आकांक्षाओं के विरुद्ध निर्णय दिये हैं। उदाहरणार्थ, संसद की प्रभुसत्ता के मामले में, निजी थैलियां, राष्ट्रीयकरण, सम्पत्ति के लिए मुआवजा देने आदि कई मामलों में यही बात हुई है। इन सभी मामलों में सेवा निवृत्त होने वाले न्यायाधीशों ने जनता की इच्छा के विरुद्ध निर्णय दिये. केवल एक न्यायाधीश श्री ए० एन० रे ही एक ऐसे न्यायाधीश हैं जो यद्यपि सदैव नहीं, अधिकतर जनता की इच्छा के अनुकूल निर्णय देते रहे हैं जिस पर हमें गौर करना है।

श्री हेगड़े ने कहा कि मेरी योग्यता की जाँच वकील संघ द्वारा की जाये न कि सरकार द्वारा, उन्होंने कहा कि तीन न्यायाधीशों के साथ किया गया अनुचित इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ऐसा करके न्यायपालिका की स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता को पहुंचाई गई क्षति। यदि ऐसा होता तो अन्य न्यायाधीशों ने भी त्यागपत्र दे दिये होते, किन्तु अन्य किसी ने त्यागपत्र नहीं दिया है।

श्री शंकर राव सावंत (कोलाबा) : कल दिल्ली और बम्बई के वकीलों ने कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इन्दिरा गांधी पर निन्दा व आलोचना की जो बौछारें कीं उस पर मुझे उतना आश्चर्य नहीं जितना कि मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ है कि सोशलिस्ट नेता श्री मधु लिमये भी उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता के अतिक्रमण पर सरकार की आलोचना करने में अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित हुए हैं। जब गोलक नाथ मामले पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था तो भी नाथ पाई पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस निर्णय के विरुद्ध संसद में आवाज उठाई थी और कहा था कि यह एक दोषपूर्ण व खतरनाक सिद्धांत निर्धारित किया जा रहा है जिससे संसद की प्रभुसम्पन्नता समाप्त हो जायेगी। अतः हमें इस निर्णय को अस्वीकार कर देना चाहिए, किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि श्री मधु लिमये का इन प्रतिक्रियावादी लोगों से घनिष्ठ सम्बन्ध है जो, श्री नाथ पाई के अनुसार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को सामाजिक कल्याण से अधिक महत्व देते हैं।

श्री लिमये ने कहा है कि अतिक्रमण की बात इतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी कि इस मामले में अपनाई गई प्रक्रिया। किन्तु एक दफा जब यह निर्णय कर लिया गया कि अतिक्रमण वैध है और उसमें संवैधानिक औचित्य है, तो यह कहना सर्वथा महत्वहीन है कि कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सोशलिस्ट पार्टी ने अपना

समाजवाद का सिद्धान्त त्याग दिया है और अब केवल कांग्रेस से घृणा करने का अभियान चालू कर दिया है।

अब प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं और सरकार की तीव्र आलोचना कर रही हैं। यह कोई नई बात नहीं है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा राजा-महाराजाओं की निजी थैलियाँ समाप्त करते समय भी उन्होंने ऐसी ही बातें की थीं।

किसी भी देश की सरकार के तीन मुख्य अंग होते हैं—विधानमंडल, न्यायपालिका तथा कार्यकारिणी। यदि, इन तीनों को एक ही दिशा में चलाना है, तो फिर कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैं, तो उसमें कोई अनुचित बात नहीं है और सरकार का यह कहना बिलकुल ठीक है कि न्यायपालिका को कुछ सिद्धान्तों के अनुकूल चलना चाहिए। न्यायपालिका के साथ संघर्ष केवल गोलक नाथ मामले से ही आरम्भ नहीं हुआ, संघर्ष तो काफी पहले शुरू हो चुका था, संविधान पारित होने के तुरन्त पश्चात् उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि कत्ल करने की प्रेरणा देना अनुज्ञेय है क्योंकि ऐसा करना विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक अधिकार के अन्तर्गत आता है। अतः सरकार को संविधान में पहला संशोधन करना पड़ा और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह संशोधन उचित है। उसके बाद गोलक नाथ मामले में उसने स्वयं अपने निर्णय के विरुद्ध यह कहा कि पहला और चौथा संशोधन अवैध है। किन्तु जब उसने देखा कि पिछले दशक में पारित सभी विधान को रद्द करने पर बहुत गड़बड़ी व अराजकता फैल जायेगी, तो उसने एक बिलकुल नया सिद्धान्त निर्धारित कर दिया कि अतीत में जो कुछ भी किया गया है वह वैध है किन्तु भविष्य में सरकार को इन संशोधनों के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब न्यायाधीश ऐसे मनमाने निर्णय देते हैं तो क्या कार्यकारिणी और विधानमंडल को चुपचाप बैठा रहना चाहिए? जब हमने यह देखा कि हर महत्वपूर्ण मामले में उच्चतम न्यायालय सरकार के विरुद्ध निर्णय दे रहा है, तो हमने यही रास्ता अपनाना ठीक समझा जिससे कि वह संविधान में निर्धारित सामाजिक जीवन के सिद्धान्त के अनुकूल कार्य करे और कार्यकारिणी, विधानमंडल व न्यायपालिका सभी एक दिशा में चलें। जहाँ तक इस नियुक्ति का सम्बन्ध है मेरा पक्का मत यह है कि यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 126 के अन्तर्गत की गई है और उसमें सेवा-निवृत्त होने वाले मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करने का कोई उपबन्ध नहीं है इसलिए जो कुछ किया गया है उसमें औचित्य है और उसे मान लिया जाना चाहिए।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

Mr. Speaker in the chair

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : प्रश्न यह है कि क्या सरकार जिसे चाहे उसे मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त कर सकती है और क्या वह न्यायसंगत तथा संवैधानिक है। इसमें सन्देह नहीं कि सरकार ने जो कुछ किया है वह निश्चित रूप से सवैधानिक है। किन्तु जिस ढंग से यह नियुक्ति की गई है उससे लोगों के दिमाग में कुछ सन्देह पैदा हो गया है। ऐसा मालूम हुआ है कि श्री रे, जिन्हें मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त किया गया है, श्री कुमारमंगलम के केवल मित्र ही नहीं अपितु उसके सम्बन्धी भी हैं और भी श्री कुमारमंगलम का ही इस नियुक्ति में सबसे अधिक हाथ रहा है और यही कारण है कि लोग इस मामले में बहुत क्रुद्ध एवं असन्तुष्ट हैं।

श्री कुमारमंगलम के भाषण सुनने के पश्चात् मुझे यह महसूस हुआ कि वकीलों, जनता तथा संसद सदस्यों का यह आन्दोलन उचित हैं क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि श्री रे को इसलिए चुना गया हैं कि इस पद के लिए वह बहुत योग्य तथा उपयुक्त व्यक्ति हैं और उनका कुछ निश्चित सामाजिक दर्शन है आदि आदि। सरकार ने जो कुछ किया हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि ऐसा कहना किसी सरकार तथा श्री कुमारमंगलम के लिए उचित नहीं है। यह बहुत खतरनाक बात है। प्रजातन्त्र में न्यायपालिका का पूर्णरूपेण स्वतन्त्र होना बहुत जरूरी है, उसकी एक अलग भूमिका होती है जो उसे निभानी पड़ती है। इसी प्रकार कार्यपालिका की भी भूमिका होती है उसे विधानमण्डल द्वारा पारित कानून की क्रियान्विति करनी होती हैं। न्यायाधीश को विधानमण्डल द्वारा पारित कानून की व्याख्या करनी होती है। यह बात नहीं है कि केवल उस के सामाजिक दृष्टिकोण तथा जीवन के विशेष सिद्धान्त पर विचार करके ही उसकी नियुक्ति की जानी चाहिए। उसका काम अपने जीवन दर्शन के अनुसार व्याख्या करना नहीं है बल्कि संविधान के अनुसार कानून की व्याख्या करना है। हमें यह जानकर बहुत खेद हुआ है कि अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया हैं संसद संविधान में संशोधन कर सकती है और उसे अधिकारों को कम करने का अधिकार भी प्राप्त हैं। फिर भी इन तीन न्यायधीशों की वरिष्ठता का अतिक्रमण किया गया है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया गया है। सरकार की इस कार्यवाही से मुझे अफसोस हुआ है। यह केवल कांग्रेस पार्टी के ही नहीं अपितु देश के हित में भी नहीं हैं। मैं सदस्यों से विशेषतः कांग्रेसी सदस्यों से इस निर्णय के प्रति सावधान होने की अपील करता हूं क्योंकि यह पहला पग है और इस के बाद अनेक बातें होंगी।

श्री समर गुह (कन्टाई) : सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात जो लोगों को उत्तेजित कर रही है वह है अतिक्रमण की इस कार्यवाही के पीछे राजनैतिक स्वार्थ, इस में लोग एकाधिकारवाद के सिद्धांत को पनपता देख रहे हैं जो भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को नष्ट कर सकता है। इस में न्यायपालिका को कार्यपालिका के मातहत करने का प्रयास किया गया है, इस कार्यवाही से, एक राजनैतिक चालबाजी खेली गई है जिससे हमारे लोकतंत्र का समूचा भवन ही नष्ट-भष्ट हो सकता है।

सरकार के प्रमुख वक्ता, श्री कुमारमंगलम ने अपने भाषण में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया कि उनके चयन की कसौटी एक विशेष राजनैतिक और सामाजिक दर्शन पर आधारित होनी चाहिए, दूसरे शब्दों में उन्होंने अधिदेशित (डिक्टेटेड) न्यायपालिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यह ठीक है कि राष्ट्रपति की इच्छा कार्यपालिका के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है किन्तु ऐसे मामलों में, जहां किसी न्यायाधीश की वरिष्ठता का अतिक्रमण करना है, वह कार्यपालिका की अपनी मनमोज पर नहीं बल्कि सांस्थानिक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए जिन्हें अभी स्थापित किया जाना है। इस मामले पर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है अन्यथा यह देश के स्वच्छ राजनैतिक जीवन के लिए ही नहीं अपितु स्वयं कांग्रेस पार्टी के लिए भी घातक हो सकता है।

न्यायाधीशों का मार्गदर्शन आज एक राजनैतिक दल के सामाजिक दर्शन द्वारा तो कल दूसरी पार्टी के सामाजिक दर्शन द्वारा नहीं होगा। उनका मार्गदर्शन संविधान करेगा। यदि न्यायाधीश यह देखते हैं कि संसद द्वारा किए गए कुछ संशोधन हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे के अनुसार नहीं हैं, तो उन्हें इन संशोधनों को रद्द करने का अधिकार प्राप्त है। यदि सरकार वास्तव में देश के पुनर्निमाण के लिए सामाजिक परिवर्तन लाना चाहती है, तो कुछ क्रान्तिकारी उपाय करने पड़ेगें। एक नई संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा और हम इस प्रयास में सरकार को समर्थन देंगे।

इस संसद ने संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान में पूरी तरह ढांचागत तथा मूलभूत परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की है। यदि हम वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं तो हम एक संविधान सभा बुलाकर ऐसा कर सकते हैं। यदि सरकार को वास्तव में देश में समाजवादी परिवर्तन लाने का साहस है, तो उसे एक नई संविधान सभा बुलानी पड़ेगी और उसके लिए उसे हमारा पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा ।

जहां तक न्यायपालिका के साथ संघर्ष अथवा अतिक्रमण सम्बन्धी प्रश्न का सम्बन्ध है, अब समय है कि हमें कुछ मानदण्ड, कुछ सिद्धांत, कुछ प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए तथा तैयार करनी चाहिए ताकि कार्यपालिका को अपनी उपयुक्ता के अनुसार न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अतिलंघनीय अधिकार प्राप्त न हो जिसका यही अर्थ लगाया जाएगा कि सरकार "प्रतिवद्ध न्यायपालिका" तथा अन्ततोगत्वा "अधिदेशित न्यायपालिका" स्थापित कर रही है ।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चंडीगढ़) : विरोधी दलों में प्रतिक्रियावादी तत्वों की आदत झूठा खतरे का नारा लगाने तथा लोगों के दिमाग में असुरक्षा की भावना पैदा करने की है ताकि वे आतंक की भावना फैलाकर उसका नाजायज फायदा उठा सकें। पहले उन्होंने यह नारा लगाया कि धर्म तथा संस्कृति खतरे में है, उसके बाद उन्होंने दूसरा नारा लगाया कि भाषा खतरे में है और अपने पहले नारों में असफल होने के बाद अब उन्होंने यह नारा लगाया है कि न्यायपालिका तथा प्रजातंत्र खतरे में है।

वास्तव में विरोधी दलों ने ही न्यायपालिका को राजनैतिक अखाड़े में धकेला है। इन्हीं प्रतिपक्षी दलों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री सुब्बाराव को राष्ट्रपति के चुनाव में धकेला था, वह उस समय, जब उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में निर्णय दिया था, मुख्य न्यायाधिपति थे, वे (प्रतिपक्षी) उनकी राजनैतिक विचारधारा व सामाजिक विचारधारा से परिचित थे। अत : उन्होंने श्री सुब्बाराव को अपने पद से त्यागपत्र देने और उनकी ओर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा था कि वे अपने राजनैतिक प्रयोजनों के लिए अर्थात् यथा-पूर्व स्थिति बनाए रखने तथा सामाजिक परिवर्तन का विरोध करने के लिए राष्ट्रपति के पद का प्रयोग करेंगे। उसमें असफल होने के बाद अब वे यह चाहते हैं कि न्यायपालिका का उपयोग अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए किया जाए और वे न्यायापालिका से निहित स्वार्थों की रक्षा करने की उम्मीद करते हैं। उनकी धारणा यह है "स्थिरता" का मतलब है यथापूर्व स्थिति अर्थात् विद्यमान ढांचे की रक्षा करना। प्रश्न इस न्यायाधीश या उस न्यायाधीश का नहीं है। प्रश्न है कौन-सी राजनैतिक विचारधारा, कौन-सी सामाजिक विचारधारा अपनायी जायेगी हम नहीं चाहते कि न्यायाधीश किसी दल-विशेष की विचारधारा के प्रतिबद्ध हों, हम चाहते हैं कि वे निदेशक तत्वों तथा मूलभूत अधिकारों के प्रति प्रतिवद्ध हों, और मैं कह सकता हूं कि अधिकतर न्यायाधीशों की विचारधारा इस दृष्टिकोण से मेल नहीं खाती है।

वरिष्ठता के सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। किन्तु इस बारे में स्वयं उच्चतम न्यायालय के निर्णय मौजूद हैं जिसमें उसने यह कहा है कि जहां चयन द्वारा नियुक्ति का प्रश्न उठाया जाता है, कि कौन सा पात्र सर्वाधिक उपयुक्त है, इसका निर्णय करना केवल सरकार का काम है और वरिष्ठता ही उसका एकमात्र मानदण्ड नहीं है। जहां तक परम्परा का प्रश्न है, ऐसे बहुत-से उदाहरण हैं जहां परम्परा का अनुसरण नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में असली जज सरकार ही होती है और यदि, उसने वरिष्ठता की उपेक्षा की है, तो वह कोई गलत नहीं है और उसने एक सामाजिक विचारधारा को जो जनता को मान्य है, और जिसे हमारे निदेशक तत्वों में स्वीकार किया गया है, प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा किया है, जो न्यायाधीश यथापूर्व स्थिति की विचारधारा से प्रभावित हैं, और जो निहित स्वार्थों को संरक्षण देना चाहते

हैं, उनकी वरिष्ठता की उपेक्षा की जानी चाहिए, ऐसे न्यायाधीश इस उच्च पद को ग्रहण करने के काबिल और योग्य नहीं हैं।

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal) : Some Members have levelled a charge that the three judges have been superseded because they delivered judgements against the government. But it is utterley baseless. It is a matter of coincidence that this situation has arisen. Had Sikri continued for another two or three years, this situation would not have arisen. This fact is being ignored that the executive had to fulfil its obligations and it had to face the situation created by the judiciary as a result of the judgements in Golaknath case, Privy purses case or Mulki Rules case.

There are several cases in which the seniority of Supreme Court judges was not strictly followed. It is said that Shri A. N. Ray has been made Chief Justice of India so that he could uphold the policies of ruling party, but it should not be forgotten that he had delivered judgement in the cases of MISA and Newsprint Control order which went against the Government.

It is also said that the appointment of the Chief Justice by President smacks of political motivations. Justice Hegde's press statement seems to have distorted the facts in the present issue of appointment of Chief Justice. Similarly, the charges levelled by the Opposition are totally baseless and they have created obstacles in the country's march of progress.

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारामंगलम) : श्री सत्यनारायण राव ने अपने भाषण में यह जो कहा है कि मेरा मुख्य न्यायाधिपति श्री ए० एन० रे से सम्बन्ध पूर्णतः गलत है। उन्हें इस विषय में पहले मुझसे मालूम कर लेना चाहिए था।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह मामला जनता के मन को उत्तेजित कर रहा है। जब पहली बार 26 अप्रैल, 1973 को इस मामले पर विचार हुआ, तो विधि मंत्री महोदय ने पुराने विधि आयोग की सिफारिशों को जिन्हें कभी भी कार्यान्वित नहीं किया गया, फिर से लागू करने का प्रयत्न करते हुए किसी तरह के औचित्य के आधार पर स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। अब विधि आयोग की सिफारिशों पर और अधिक निर्भर नहीं रहा जा सकता।

विधि मंत्री महोदय ने इसे और अधिक उचित बताते हुए कहा कि इस देश के कानून में अनिवार्य रूप से निश्चितता और स्थिरता होनी चाहिए और हमें अवश्य ही यह मालूम होना चाहिये कि देश के कानून की भारत के उच्चतम न्यायालय ने क्या व्याख्या की है। प्रश्न यह है कि इस देश के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या एक विशेष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में एक विशेष व्यक्ति का किस आधार पर चयन किया जाता है अथवा उसे नियुक्त किया जाता है। जहां तक एक परम्परा का सम्बन्ध है, परम्परा के सम्बन्ध में विधि आयोग की सिफारिशों का पालन नहीं किया गया है। एक मुख्य व्याख्याता श्री सोरवाई ने अपनी पुस्तक में इस परम्परा का उल्लेख किया है और अपना विचार व्यक्त किया है कि इस देश के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचने के लिए इस स्वस्थ परम्परा का भविष्य में पालन किया जाना चाहिए। किन्तु सरकार ने उस परम्परा का पालन नहीं किया है। उस परम्परा का त्याग किया जा रहा है। किन्तु भविष्य में सरकार इस देश के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे करेगी? इसके लिए आत्मपरक कसौटी नहीं अपनाई जा सकती, इसे वस्तुपरक ढंग से करना होगा। अब इस सिद्धान्त का प्रचार किया जा रहा है कि कोई न्यायाधीश यदि अपने पद पर बने रहना चाहता है तो उसे ऐसे निर्णय देने होंगे, जिन्हें कार्यपालिका का अनुमोदन मिला हो। इस सिद्धान्त को मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं।

सरकार को शायद ये तीनों न्यायाधीश स्वीकार्य नहीं थे। यदि ऐसी बात थी तो भारत के संविधान में ऐसा उपबन्ध मौजूद था जिसके अन्तर्गत इन न्यायाधीशों को हटाया जा सकता था। इस घुमावदार मार्ग को इसलिए अपनाया गया ताकि तीनों वरिष्ठ न्यायाधीश त्यागपत्र दे दें। इस उपाय के पक्ष में सामाजिक दर्शन और राजनीतिक विचारधारा की बात कही है। किन्तु ऐसी विधि बनाई गई है जिसके अधीन लोगों का विचारण किये बिना तीन वर्ष या अनिश्चित काल के लिए बन्दी बनाया जा सकता है। इन तीनों न्यायाधीशों को इसीलिए प्रतिक्रियावादी कहा गया है क्योंकि उन्होंने ड्रेकोनियन विधि को रद्द कर दिया था।

इस सरकार का यही रवैया है। एक-दो निर्णय का आधार लेकर कार्यपालिका यह निश्चय करने का अपना निरंकुश अधिकार प्रयुक्त करना चाहती है कि किस को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाये और किसे निकाल बाहर किया जाये।

अत: इन तीनों न्याय पीठों के गठन कार्य का विश्लेषण किया जाये और यह जानकारी दी जाये कि भविष्य में मुख्य न्यायाधीश को किस प्रकार नियुक्त किया जायेगा। मंत्री महोदय कृपया बतायें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का निर्णय कब लिया गया था। यह तो भली भांति विदित था कि मुख्य न्यायाधीश सीकरी अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में सेवा निवृत्त हो रहे हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति का मामला अगले दिन के लिए नहीं टाला जा सकता था। यह तो भारत के सर्वोच्च पदों में से एक पद का मामला था। अत: सरकार अवश्य ही मुख्य न्यायाधीश सीकरी के सेवानिवृत्त होने की तारीख से काफी समय पूर्व ही इस मामले पर विचार करती रही होगी। क्या इस निर्णय को इसीलिए टाला जाता रहा ताकि मूल अधिकारों सम्बन्धी फैसले आ जायें। यह नहीं किया जा सकता था। अत: इस निर्णय को बहुत पहले ले लेना चाहिए था। पहले कुछ मामलों में जो निर्णय दिये गये थे और उन पर कुछ न्यायाधीशों ने अपनी टिप्पणी दी थी उनके आधार पर यह निर्णय लेने की बात कही गई है। हमें यह कहने का अधिकार है कि कुछ निर्णय गलत दिये गये हैं किन्तु हमें किसी न्यायाधीश पर किसी निहित उद्देश्य का आरोप नहीं लगाना चाहिए और कुछ टिप्पणियों के आधार पर यह नहीं कहना चाहिए कि वह प्रतिक्रियावादी है और दूसरे निर्णय में उसने अपना जो मत व्यक्त किया है उसके आधार पर वह प्रगतिशील है। अब इन न्यायाधीशों में कार्यपालिका का पक्ष लेने की प्रतियोगिता छिड़ जायेगी।

इसका वास्तविक कारण यह था कि एक न्यायाधीश को उसके असुविधा और कठिनाई जनक निर्णय के लिए रास्ते से हटाना था। यह धारणा न देने के लिए कि किसी विशेष न्यायाधीश को निकाला गया है अन्य दो न्यायाधीशों को भी उसके साथ लपेट लिया गया है।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : यह कहना एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि उच्चतम न्यायालय विधान कार्य का तीसरा सदन नहीं हो सकता। यह मामला तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता की उपेक्षा करने या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का नहीं है बल्कि उच्चतम न्यायालय के स्वरूप का है। विरोधी-सदस्य अपने क्रियाकलापों और आलोचना से उच्चतम न्यायालय की गरिमा और सम्मान को जो कि इस देश में न्यायालय को मिलनी चाहिए कम कर रहे हैं। न्याय मंच के मुख्य सदस्य यह कह कर और आलोचना करके गलती कर रहे हैं कि न्यायालय स्वयं लोकतन्त्र का अभिरक्षक बन सकता है।

लोकतन्त्र में संसद् सर्वोच्च होती है और संसद् में जनता की उद्घाटित इच्छा को सम्मान मिलना चाहिए और इस स्थान के उपकरण के रूप में होना चाहिए। कोई भी यह पूछ सकता है कि क्या इनकी दृष्टि उच्चतम न्यायालय के अन्य सभी न्यायाधीश, इन तीनों के सिवाय, उन्हें स्वीकार्य हैं। यदि अन्य सभी न्यायाधीश, जिनका उच्चतम न्यायालय में बहुमत है, उन्हें स्वीकार्य हैं, तो यह स्वतः सच है कि एक मुख्य न्यायाधीश लोकतन्त्र को गम्भीर हानि नहीं पहुंचा सकता जैसा कि वह अब कह रहे हैं।

यह सारा शोर निरर्थक और दिखावा है कि लोकतन्त्र को हानि पहुंचाई जा रही है। सांवैधानिक लोकतन्त्र का अभियान सरकार के हाथों में सुरक्षित है और उच्चतम न्यायालय को तीसरे सदन की शक्तियों और कार्यक्रमों को स्वयं अधिकार रूप से प्राप्त करने का हक नहीं दिया जा सकता। यही सुनिश्चित करना इस संस्था का कार्य है कि कानून की सही व्याख्या की जा रही है और सही निर्णय लिये गये हैं। अन्ततोगत्वा, यह मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या नये न्यायाधीशों के चयन का प्रश्न नहीं है बल्कि यह भारत के लाखों लोगों की इच्छा की सर्वोच्चता है जिससे भारत के भाग्य का निर्धारण होने वाला है। निहित स्वार्थों को इस सर्वोच्च संसद् के आगे पराजित होना पड़ेगा।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : दुर्भाग्य की बात है कि उन व्यक्तियों में से कुछ ने जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं: कुछ ऐसे वक्तव्य दिये हैं जिनसे न्यायपालिका को धक्का पहुंचेगा। श्री हेगडे ने जो कुछ कहा है उससे तो सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का औचित्य स्वयं सिद्ध हो जाता है।

कहा गया है कि श्री मोहन कुमारामंगलम् ने जो कुछ कहा है वह उस बात से कुछ भिन्न है जो सरकार ने अन्यथा कही होती। मैं इससे सहमत नहीं हूं। यद्यपि किसी बात को कहने का हरेक का अपना अलग तरीका होगा किन्तु इस प्रश्न के प्रति मेरी तथा श्री मोहन कुमारामंगलम् की राय में कोई अन्तर नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि इस मामले में मेरी या श्री मोहन कुमारामंगलम् या किसी अन्य साथी की भिन्न-भिन्न राय नहीं है।

निस्संदेह राष्ट्रपति का आदेश पूरी तरह संविधान के उपबन्धों के अनुरूप है। मैंने यह नहीं कहा कि मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति अनुच्छेद 124 में नहीं है। मैंने यह भी नहीं कहा कि अकेले अनुच्छेद 124 द्वारा यह शक्ति प्राप्त की जा सकती है। निस्संदेह मैंने अनुच्छेद 126 का उल्लेख किया है। मैंने कहा है कि अनुच्छेद 124 के संम्बन्ध में सभा के समक्ष जो व्याख्या कर रहा हूं उसके लिए मैं अनुच्छेद 126 से समर्थन प्राप्त कर सकता हूं। किसी छोटी सी अवधि के लिए कार्यवाहक के रूप में किसी नियुक्ति करने के मामले में भी अनुच्छेद 126 में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को चाहे वह वरिष्ठ हो या कनिष्ठ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के लिए कह सकता है। इससे उसे अनुच्छेद 124 से समर्थन प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है।

जहां तक उच्जतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का सम्बन्ध है निसंदेह यह राष्ट्रपति का दायित्व है कि वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करें। अनुच्छेद 124 से स्पष्ट है कि यदि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना

आवश्यक नहीं है। यदि वह किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करना चाहते हैं तो फिर मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। अतः इस मामले में की गई नियुक्ति की संवैधानिक वैधता असंदिग्ध है।

एक माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से यह आश्वासन लेने के लिए पहले परामर्श किया गया कि वह सरकार के पक्ष में निर्णय देगा। इससे बढ़ कर और अधिक झूठ क्या हो सकता है। यदि कोई मंत्री इस प्रकार का आश्वासन लेने के लिए कहता है और यदि कोई न्यायाधीश यह आश्वासन देने की बात करता है, तो वह नेक नहीं है।

'प्रतिबद्ध न्यायाधीश' शब्द का बारम्बार खुले रूप से उल्लेख किया गया है। सरकार प्रतिबद्ध न्यायाधीश कदापि नहीं चाहती और वह भी विशेषकर जिस ढंग से इस शब्द का अर्थ लगाया जा रहा है। भारत सरकार स्वयं यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है कि भारत मे एक मजबूत तथा निष्पक्ष न्यायापालिका हो जो बिना किसी वैर-भाव, पक्षपात के निर्भीकता से कार्य करें।

कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति परम्परा के अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति नहीं करेंगे, तो देश में लोकतंत्र तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। उच्च न्यायालयों में अनेक नियुक्तियां इस प्रकार की गई हैं, और विधायी कार्य वाहियों, विधान कार्यों तथा सरकार के कार्यपालिका सम्बन्धी कार्यों को रद्द किया गया और सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया गया। उससे उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि इस कार्य से उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि संविधान में इसके लिए अनुमति दी गई है।

खेद की बात है कि सरकार पर राजनीतिक हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है। राजनीति सरकार के कार्य में नहीं है, बल्कि विपक्षी दल के कुछ सदस्य ही इस अवसर का लाभ उठाकर सरकार पर आरोप लगा राजनीतिक खेल खेल रहे हैं।

ऐसा व्यक्त किया जा रहा है कि जैसे न्यायाधीश सर्वोच्च हैं या महामानव हैं, उनकी अपनी कोई अभिरुचि, प्राथमिकताएं नहीं होतीं या पूर्वाग्रह नहीं होते। प्रत्येक न्यायाधीश के चाहे वह उच्च न्यायालय का हो या उच्चतम न्यायालय का, कुछ झुकाव, विचार या पूर्वधारणाएं होती हैं। एक अमरीकी न्यायाधीश ने कहा है कि "भयानक तूफ़ान और झंझवाता जो मनुष्य को अपनी लपेट में ले लेते हैं, न्यायाधीशों को देखकर अपना मार्ग नहीं बदल लेते।" उनपर भी इनका प्रभाव पड़ता है जिस कारण उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

अन्य अनेक देशों में राजनीतिक उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर नियुक्तियां की जातीं हैं, परन्तु हमने इस प्रकार का कोई विचार नहीं किया है। जिन देशों में हमारी तरह ही लोकतांत्रिक और न्यायिक प्रणाली है, उनमें भी न्यायाधीश या न्यायापालिका के उच्च पदों पर आसीन करने के पूर्व व्यक्ति के विदित विचारों की जांच की जाती है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। न्यायाधीश राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहे हैं। भारत में इस बात को लेकर क्षोभ क्यों प्रकट किया जा रहा है।

न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में पिछले राजनीतिक जीवन और राजनीतिक अनुभव पर विचार किया जाता है। इसमें इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं।

इस मामले पर चर्चा करते समय हमें हाल ही के संवैधानिक संशोधन पर विचार करना ठीक रहेगा। सभा को स्मरण होगा कि अनुच्छेद 368 में संशोधन के लिए 24वें संशोधन को सभा ने कितने अधिक बहुमत से पारित किया था। हम इस बात को आधार बनाकर चले थे कि संसद् राष्ट्र की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन फिर कैसे एक न्यायाधीश का दर्शन, उसकी विचारधारा इस बात के विपरीत निर्णय करवा देती है? न्यायामूर्ति श्री हैगडे ने हाल ही में इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। संसद् की प्रभुसता सम्पन्नता और जनता की उसकी प्रतिनिधित्वता के बारे में न्यायाधीश ने कहा है कि चाहे कोई विधेयक दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाए लेकिन यह जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं भी कर सकती।

इसके विपरीत भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने इस अत्याधिक महत्वपूर्ण मामले के बारे में कहा है कि "संविधान का संशोधन करने के लिए संशोधी-निकाय लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है।"

ऐसा महसूस कराया गया है कि जब सरकार यह कह रही है कि "हमें सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना होगा", तो वह इस अधिकार से बाहर जाकर कुछ क्रांतिकारी बात कह रही है और यह बात पहले नहीं हुई है। सो ऐसी बात नहीं है,। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के इतिहास में किसी व्यक्ति का दोष न होते हुए भी सदैव ऐसा होता रहा है। इस संदर्भ में यह भी जानना आवश्यक है कि एक मानव का चाहे वह न्यायाधीश हो अथवा नहीं अपना कोई दर्शन हो सकता है। यदि उसने मानव के रूप में, कार्य करना होता है तो उसे चाहे जानबूझकर अथवा अनजाने में अपने न्यायिक निर्णयों में अपना दर्शन लाना ही होता है।

मैंने कुछ मामलों का उदाहरण इसलिए नहीं दिया कि किसी ऐसे व्यक्ति को इस कारण हटा दिया जाए कि उसने गोलकनाथ के मुकदमें में अथवा राष्ट्रीयकरण के मुकदमे में हमारा विरोध किया है। उद्देश्य यह है कि यदि हम गत कुछ वर्षों की ओर देखें और विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों के निर्णयों पर विचार करें, तो हम एक यथार्थ आधार अर्थात् एक तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने में सफल हो जाएंगे कि किसी व्यक्ति के उन मामलों के बारे में जिनका संबंध इस संसद् के द्वारा इस देश से है, क्या दृष्टिकोण है। अतः जब हम यह कहते हैं कि महत्वपूर्ण मामलों के सम्बन्ध में मानव के रूप में एक न्यायाधीश का दर्शन अथवा जानकारी अवश्य होनी चाहिए, तो हम यह मांग नहीं कर रहे हैं कि एक न्यायाधीश को 'प्रतिबद्ध' होना चाहिए। इसके विपरीत हम यह चाहते हैं कि एक न्यायाधीश को किसी अन्य व्यक्ति के नहीं अपितु स्वयं संविधान के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए जिसमें निदेशक तत्व भी शामिल हैं संक्षेप में निदेशक तत्वों में संविधान का दर्शन शामिल है। जब न्यायाधीश कोई ऐसी बात कहता है जो स्वयं संविधान के दर्शन के विरुद्ध जाती है तो कोई भी सरकार जो जिम्मेदारी निभाना चाहती हो, और कोई संसद् जो लोगों के प्रतिनिधित्व का प्रयास कर रही हो, यह दृष्टिकोण नहीं अपना सकती है कि हम वहां ऐसे

लोगों को नियुक्त करेंगे जो स्वयं संविधान में उल्लिखित दर्शन को कार्यान्वित नहीं करेंगे।

1949 में हमारे महान प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ये ऐतिहासिक शब्द कहे "कोई उच्चतम न्यायालय अथवा न्यायपालिका ऐसा निर्णय नहीं दे सकती जो संसद् की प्रभुसत्ता सम्पन्नता की, जो समूचे समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, उपेक्षा करता हो। यदि हम कोई गलती करते हैं तो वह हमें उस बारे में बता सकती है किन्तु अन्तिम विश्लेषण के रूप में जहां समुदाय के भविष्य का सम्बन्ध है, कोई न्यायालय इसमें बाधक नहीं बन सकता। यह स्पष्ट है कि कोई भी न्यायालय या कोई भी न्यायपालिका एक तीसरे सदन के, जो निर्णयों में संशोधन करने वाला हो, रूप में कार्य नहीं कर सकता। यह आवश्यक है कि न्यायपालिका के कार्यचालन में यह सीमा निहित रहे। अन्ततोगत्वा तथ्य यह है कि विधान मंडल सर्वोच्च है और न्यायालय ऐसे सामाजिक सुधारों सम्बन्धी उपायों में हस्तक्षप नहीं कर सकते।"

हम उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता को किंचित भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। वास्तव में हम सुदृढ़ और स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय चाहते हैं, किन्तु उच्चतम न्यायालय ऐसा होना चाहिए जो संविधान के अधीन रहकर निर्णय दे, न कि उसकी उपेक्षा करके। हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं यदि हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम नहीं उठाते कि हम उन स्वतंत्र और सशक्त न्यायाधीशों को नियुक्त नहीं करते जो संविधान का समर्थन करें और जो अपने राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार मामलों पर निर्णय नहीं देंगे बल्कि संविधान में दी गई विचारधारा और दर्शन के अनुसार और देश तथा समाज द्वारा स्वीकृत विचारधारा के अनुसार और जिस दशा की ओर देश जा रहा है उसके अनुसार अपना निर्णय देंगे।

जिन न्यायाधीशों ने त्यागपत्र दिया है उनके प्रति हमारा कोई द्वेष नहीं है। जैसाकि विधि आयोग ने स्वयं कहा है कि जब किसी व्यक्ति की वरिष्ठता को नजर अन्दाज़ किया जाता है, तो इसका यह अभिप्राय नहीं कि उनका अनादर किया गया है क्योंकि यह बात ही अलग है। यह भी जानना रुचिकर है कि वर्तमान न्यायाधीश ने संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द किया है। हाल ही में उन्होंने आंतरिक सुरक्षा, रखरखाव, अधिनियम और अखबारी काग़ज़ के नियंत्रण के सम्बन्ध में सरकारी आदेश को रद्द करने का निर्णय दिया है।

हम किसी भी प्रकार से वशवर्ती या कमजोर न्यायालय नहीं चाहते। हमारा यह आधारभूत सिद्धान्त है कि न्यायालय स्वतंत्र और शक्तिशाली होना चाहिए। किन्तु न्यायालय की स्वतंत्रता और शक्ति का कोई मूल्य नहीं होगा। यदि उसने आधुनिक शक्तियों को समझा न हो जिससे हमारे लाखों देशवासी प्रेरित हैं और जो नया और बेहतर जीवन चाहते हैं और हमने जो किया है उसमें औचित्य है कि हम इस बात में विश्वास करते हैं कि जिस व्यक्ति को भारत के मुख्य न्यायाधीश का उच्च पद मिला है वह कानून की जानकारी और विचारों की स्वतंत्रता के कारण ही मिला है और हमारे देश के न्यायिक व्यवसाय में उनका अच्छा स्थान है और वह यह भी जानते हैं कि हमारा देश किधर जा रहा है और हम सभी क्या करना चाहते हैं तो हम अपने भारत को महान बनाना चाहते हैं।

संविधान संशोधन विधेयक, 1973

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1973

(अनुच्छेद 248, 250 आदि का संशोधन)

श्री समर गुह (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री समर गुह : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

वन्य प्राणी (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 1973

WILD LIFE (PROTECTION) AMENDMENT BILL, 1973

(नयी धारा 43क का अन्त:स्थापन)

श्री रण बहादुर सिंह (सिद्दी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री रण बहादुर सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगला विधेयक वापस ले लिया गया है।

नेताजी राष्ट्रीय अकादमी विधेयक, 1973

(NETAJI NATIONAL ACADEMY BILL 1973)

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नेताजी राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना और विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों संबंधी ज्ञान के प्रसार और उससे संबद्ध तथा अनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नेताजी राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना और विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों संबंधी ज्ञान के प्रसार और उससे संबद्ध तथा अनुषंगी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री समर गुह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

पंचायत राज के माध्यम से आयोजन तथा विकास विधेयक, 1973

(PLANNING AND DEVELOPMENT THROUGH PANCHAYAT RAJ BILL, 1973)

श्री रण बहादुर सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंचायत राज के विभिन्न लोकतंत्रीय और शासकीय अभिकरणों के माध्यम से आयोजन तथा विकास का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पंचायत राज के विभिन्न लोकतंत्रीय और शासकीय अभिकरणों के माध्यम से आयोजन तथा विकास का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री रण बहादुर सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1973

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1973

(अनुच्छेद 217 का संशोधन)

श्री के० नारायण राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री के० नारायण राव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला और भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून (पुनर्नामांकन) विधेयक, 1973

NATIONAL DEFENCE ACADEMY, KHADAKVASLA AND THE INDIAN MILITARY ACADEMY, DEHRADUN, (RE-NAMING) BILL, 1973

श्री समर गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला और भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून का पुनर्नामांकन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला और भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून का पुनर्नामांकन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री समर गुह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग (शिक्षण का माध्यम मातृभाषा) विधेयक, 1973

LINGUISTIC MINORITIES (MEDIUM OF INSTRUCTION IN MOTHER TONGUE) BILL, 1973

श्री समर गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए मातृ भाषा को शिक्षण और परीक्षा का माध्यम बनाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

शिक्षा मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह विधेयक का विरोध कर रहे हैं, उसके पुरःस्थापन का नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए मातृ भाषा को शिक्षण और परीक्षा का माध्यम बनाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री समर गुह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात् लोकसभा सोमवार, 7 मई, 1973/17 वैशाख, 1895 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, May 7, 1973/ Vaisakha 17/1895 (Saka)

10--M349LSS/73—GIPF.

PLS. 48.XXVII. 50. 73 (N)
490

© 1973 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पाचवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित ।

© 1973 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD